खण्ड-162, अंक-2
मंगलवार, 22 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(13 दिसम्बर, 1955 ई0)

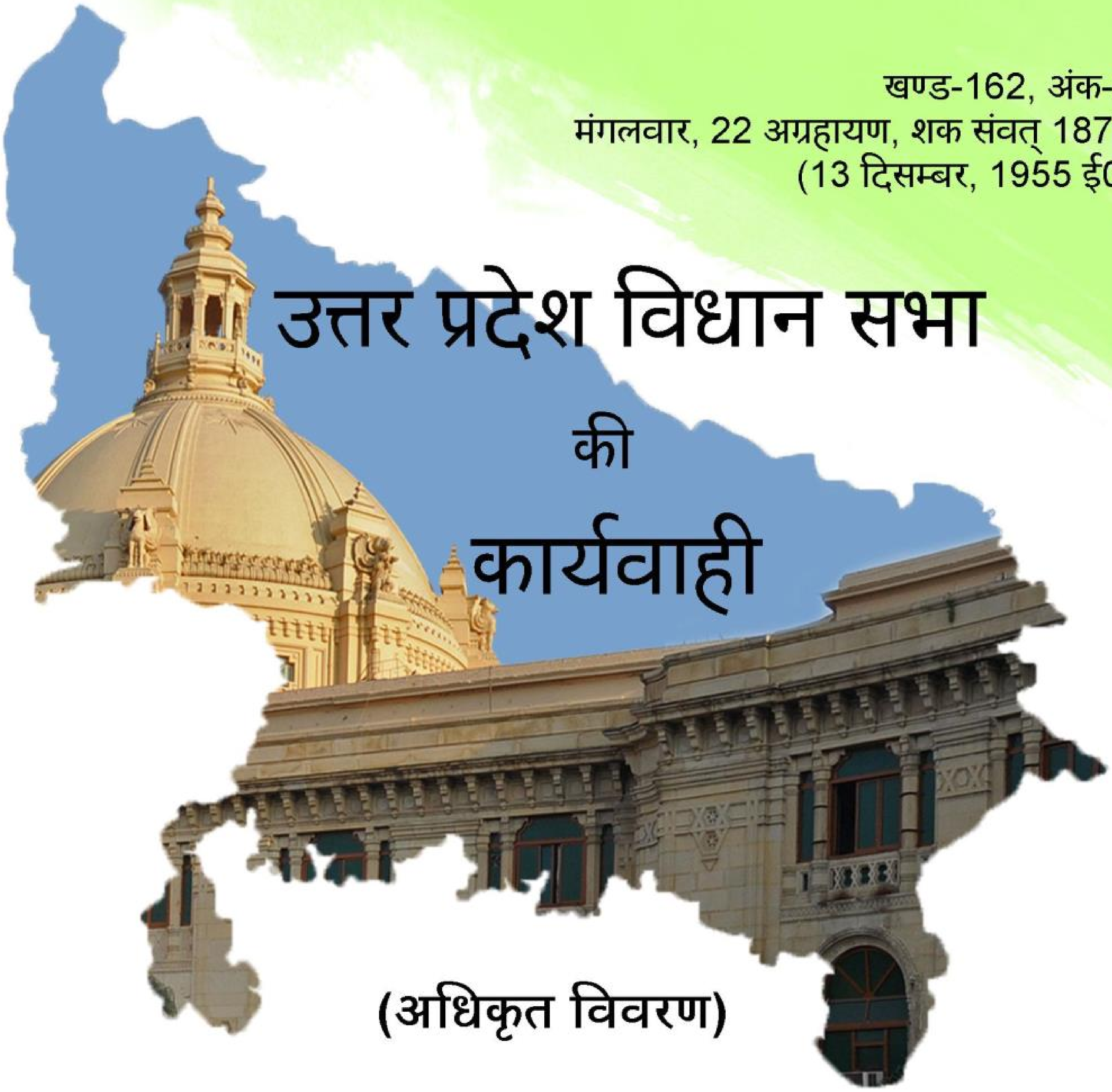

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

खण्ड 162 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

---

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

---

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्यों की सूची (३३०)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र मोहिले
उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पान्डेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयाल दास मगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दातारम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन राम, श्री
देवराज, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेजनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री

ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमगल सिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

---

मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### राजनीतिक पीड़ितों को शिक्षा–सुविधायें देने के लिए राजाज्ञा

**१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि ७ नवम्बर, १९४९, को उसकी ओर से कोई ऐसा आदेश जिलाधिकारियों को जारी किया गया था कि राजनीतिक पीड़ित और उनके आश्रितों की शिक्षा में बोर्डिंग और ट्यूशन फी माफ रहनी चाहिए ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जी हां।

**श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. १५६ पर,)

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार को जानकारी इसकी है कि इस आदेश का पालन स्कूलों और कालेजों और विश्वविद्यालयों में नहीं हो रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं। इसका पालन हो रहा है।

श्री उमा शंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी इस सर्क्युलर की खास–खास बातें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह प्रश्नकर्त्ता महोदय की मेज पर रख दी गई है। वह कृपा करके देख लें।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन शर्तों के अनुसार किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा का तो मैंने कहा नहीं कि निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

श्री उमा शंकर—क्या माननीय मन्त्री जी को यह पता है कि इस सर्क्युलर की बारहवीं धारा (ए) और (बी) का पालन स्कूलों में नहीं किया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरे पास तो कोई ऐसी सूचना आयी नहीं क्योंकि उनको यह लिख दिया गया था, उसमें है कि जो ऐसे लड़के हों, जिनकी फीस वह माफ करें तो गवर्नमेन्ट उसको रीइम्बर्स करेगी।

---

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १–२ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

**श्री जगदीश प्रसाद**---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इस प्रश्न पर वह विचार कर रहे हैं कि हाई स्कूल की शिक्षा तक राजनीतिक पीड़ित विद्यार्थियों की शुल्क माफ कर दी जाय ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**---हाई स्कूल तक ही नहीं, मैं तो आरम्भ से लेकर अन्त तक के आंकड़े इकट्ठा कर रहा हूं कि अगर पोलिटिकल सफरर्स के कुल जितने डिपेंडेंट्स हैं, अगर उनकी सबकी फीस माफ कर दी जाय तो कितना धन उसके लिए आवश्यक होगा। इसके आंकड़े मैं इकट्ठा कर रहा हूं।

**श्री रामेश्वर लाल** (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर राजनीतिक पीड़ितों के जो आश्रित हैं, उनकी व्याख्या साथ-साथ बतला देंगे ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**---सर्क्युलर अंग्रेजी में है, इसलिए बताना मुश्किल है। 'डिपेंडेंट्स' उसमें डिफाइंड हैं।

**श्री बलवन्त सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जबतक ये आंकड़े इकट्ठा हों तब तक सरकार राजनीतिक पीड़ितों के जो आश्रित हैं उनसे फीस नहीं लेगी ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**---यह तो स्पष्ट ही है कि जो आंकड़े मैं इकट्ठे कर रहा हूं वह इस सर्क्युलर के उपरान्त हैं। इस सर्क्युलर में सब की फीस माफी का कोई कायदा नहीं है। मैं तो यह चाहता हूं कि जान लूं कि कितना धन उसके लिए आवश्यक होगा और उसका क्या प्रबन्ध हो, इसलिए आंकड़े इकट्ठा कर रहा हूं।

**श्री जगन्नाथ मल्ल** (जिला देवरिया)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो आंकड़े इकट्ठा किये जा रहे हैं वह कब तक इकट्ठे कर लिये जायंगे ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**---इसका विस्तार तो स्वयं माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि सारे प्रान्त के जिलों से इकट्ठे किये जा रहे हैं और पोलिटिकल सफरर्स के डिपेंडेंट्स की तादाद मालूम करना यह कोई आसान काम नहीं है।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये आंकड़े किसके द्वारा इकट्ठा कराये जा रहे हैं और क्या इसके सम्बन्ध में विद्यार्थियों को कोई दरख्वास्त देने की सूचना भेज दी गयी है ?

**श्री हरगोविन्द सिंह**---जी नहीं, विद्यार्थियों द्वारा दरख्वास्त देने की कोई बात नहीं की गयी है कि वह दें। यह शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किये जा रहे हैं।

## तारांकित प्रश्न

### बुलन्दशहर व अलीगढ़ जिलों में नल कूपों के स्थान पर मांट ब्रांच नहर से सिंचाई की मांग

*१---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)---क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने बुलन्दशहर व अलीगढ़ जिले में कोई ऐसी जांच कराई है कि जनता मान्ट ब्रांच नहर व उसकी शाखाओं को खारिज चाहती है या टयूबवेल चाहती है ? यदि हां, तो जनता का मत क्या रहा ?

सिंचाई उप-मन्त्री (श्री राममूर्ति)--जी हां, गंगा नहर की माट शाखा से सम्बन्धित किसानों से इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ की गई थी, जिससे पता चला कि सब किसान निम्नलिखित कारणों से नहर की शाखाओं को खारिज करा कर ट्यूबवेल की सिंचाई के पक्ष में नहीं हैं :--

(१) नलकूप से होने वाली सिंचाई की दर अधिक है।

(२) तालाबों और पोखरों को बिना मूल्य के नहरी पानी मिलने की सुविधा ट्यूब वेल्स से प्राप्त न हो सकेगी।

*२--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस जांच पर क्या व्यय हुआ है ?

श्री राम मूर्ति--जांच विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई थी अतः इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह जो जांच कराई गई और यह पाया गया किसानों की तरफ से कि वह इसको खारिज करने के हक में नहीं है तो क्या इस पर विचार किया गया ?

श्री राम मूर्ति--मैंने अर्ज किया कि दो वजहों से वह चाहते थे कि शाखायें खारिज न की जायं। वह समझते थे कि नलकूपों के जरिये से जो पानी मिलेगा उसके चार्जेज ज्यादा होंगे तो उनको डिपार्टमेंट की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है कि चार्जेज ज्यादा नहीं होंगे और जो नहरों का रेट है वही लग जायगा। इस बात के होने पर उनको कोई एतराज नहीं है।

श्री राम चन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यदि उनकी कोई निश्चित योजना थी तब इस प्रकार की जांच क्यों आवश्यक समझी गई ?

श्री राम मूर्ति--योजना तो थी लेकिन पंचायतराज का जमाना है। मालूम कर लेना अच्छा होता है, इसीलिए यह जांच की गई।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर) --क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह योजना किन कारणों के आधार पर आरम्भ की गई ?

श्री राम मूर्ति--इसका कारण यह है कि यह जो २४ मील हैं शुरू के यह भराव में जा रहे हैं तो इसकी वजह से नहर में झराई रहती है और पास-पड़ोस की जमीनों में वाटर लागिंग हो गई है। यह भी खयाल हुआ कि यह जमीनें खराब हैं और मथुरा के हिस्से में पानी की बड़ी कमी रहती है। तो यह समझ कर कि अगर ट्यूबवेल लगा दें तो वाटर लेविल ऊंचा हो जायगा और उनको परेशानी भी नहीं होगी और मथुरा जिले को पानी भी मिल जायगा यह किया जा रहा है। तो यह कहना चाहिये कि एक ही पत्थर से दो चिड़ियां मारने का काम किया जा रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या यह सत्य है कि इस योजना से इस क्षेत्र के किसानों में असंतोष है ?

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री राम चन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच किन विभागीय अधिकारियों द्वारा कराई गई और कितने कर्मचारी इस काम पर लगे थे ?

श्री राममूर्ति--कर्मचारियों के नाम तो इस समय मेरे पास नहीं हैं लेकिन एक्जीक्यटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ओवरसियर और जिलेदार आदि ही यह काम करते हैं, और उन्हीं के जरिये यह काम कराया गया था।

श्री श्रीचन्द्र--क्या यह सही है कि इस मांट ब्रांच पर जितने पानी की जरूरत है वह नहीं मिल रहा है ?

श्री राम मूर्ति--मैंने अर्ज किया कि पानी ज्यादा मिलने का सवाल नहीं है। पानी इतना ज्यादा मिल रहा है कि जिसको काश्तकार नहीं चाहते और वहां वाटर लागिंग हो रही है इसलिये यह स्कीम चलाई गई है।

## जिला जजों की नई अदालतों के सम्बन्ध में आज्ञा-पत्र

*३--श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)--क्या यह सत्य है कि प्रादेशिक वित्त विभाग ने इस वर्ष एक ऐसा आदेश जारी किया था कि नयी स्कीमें जो बजट द्वारा सदन में स्वीकृत हो जाती हैं उनके सम्बन्ध में आवश्यक आज्ञायें पहली अप्रैल के शीघ्र बाद ही जारी हो जाना चाहिये ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जी हां।

*४--श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में जो नये जिला जजों की अदालतें सरकार ने मंजूर कीं उनके आज्ञा-पत्र किस तिथि को जारी हुये ?

श्री सैयद अली जहीर--वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में जो जिला जजों की अदालतें सरकार ने मंजूर कीं उनके आज्ञा-पत्र दिनांक ९ जुलाई, १९५५, को जारी किये गये।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ही इस प्रकार का आदेश जारी हो चुका था तो फिर यह अदालतें देर से खुलने का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर--यह बात हाईकोर्ट से पूछी गयी थी तो उन्होंने कहा कि उनके पास काफी तादाद में सीनियर डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज नहीं थे। इस वजह से वह अभी तक नहीं कर सके। अब नये रिक्रूटमेंट से नये मुन्सिफों की भरती हो जायगी तो अब यह जल्दी ही तकर्रुरी हो जायगी।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह आज्ञा-पत्र किन जिलों में अदालतों के खोलने का जारी किया गया और क्या वहां पर जजों ने मुकदमे सुनना आरम्भ कर दिया है ?

श्री सैयद अली जहीर--मुकदमे तो हर जिले में सुने जाते हैं, लेकिन इस वक्त सवाल बिजनौर, मुजफ्फरनगर और बलिया का है, जहां पर नयी जजी कायम की गयी है।

श्री बाल नन्दन (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन कचहरियों में कई महीने से न्यायाधीश नहीं भेजा गया, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर--न्यायाधीश जिले में तो थे नहीं पहले। जिन जिलों में १९५५-५६ में जजी कायम होना तय पाया था तो अभी वहां पर नहीं भेजे जा सके।

## हिण्डन बांध योजना के सम्बन्ध में पूछताछ

*५--श्री राम चन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि हिन्डन बांध योजना समाप्त की जा चुकी है या नहीं ?

श्री राम मूर्ति--हिन्डन बांध योजना समाप्त तो नहीं की गयी है, पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना का अंतिम रूप निर्णय होने के पूर्व यह नहीं कहा जा सकता कि उसे लिया जा सकेगा या नहीं।

**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंच-वर्षीय योजना का अन्तिम रूप कब तक निश्चय हो जायगा ?

**श्री राम मूर्ति**--अब करीब-करीब निश्चय ही हो गया है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि शुरू में सिंचाई विभाग के लिये करीब ७०-७२ करोड़ रुपये की स्कीम बनायी गयी थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने उसको काट दिया और वह रुपया बहुत कम कर दिया। ऐसी स्थिति में यह कुछ मुनासिब नहीं मालूम पड़ रहा है और शायद यह मुमकिन नहीं हो सके कि यह योजना ली जा सके।

**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या यह सत्य है कि जनता के सामने माननीय सिंचाई मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों न यह आश्वासन दिया था कि यह योजना अब समाप्त कर दी गयी है ?

**श्री राम मूर्ति**--यह इन शब्दों में तो नहीं कहा गया कि खत्म कर दी गई बल्कि जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि जो उनकी तकलीफ है उनका खयाल किया जायगा।

**श्री श्रीचन्द्र**--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह हिन्डन बांध योजना कब प्रारम्भ की गयी और क्यों ?

**श्री अध्यक्ष**--यह आप बहुत पुराना इतिहास पूछ रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

**श्री राज नारायण** (जिला बनारस)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करग कि हिन्डन बांध योजना पर कुल कितनी खर्च होनवाली रकम थी ?

**श्री राम मूर्ति**--लगभग दो करोड़ रुपया।

**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या माननीय मंत्री जी ने जो यह आश्वासन यहां सदन में दिया उसको अन्तिम समझा जाय कि यह योजना बन्द कर दी जायगी ?

**श्री राम मूर्ति**--सरकार का कोई निर्णय अन्तिम तो नहीं समझना चाहिये, लेकिन कोशिश इस बात की की जायगी कि वहां के लोगों को तकलीफ न हो।

## लखनऊ में हैवलक रोड व बशीरतगंज मुहल्ले के सरकारी क्वार्टर

*६--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शहर लखनऊ के हैवलक रोड व बशीरतगंज नामक मुहल्ले म सरकारी क्वार्टर बनव
यदि हां, तो वे कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे ?

**निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)**--जी हां, इन क्वार्टरों के ३१ दिसम्बर, सन् १९५५, तक तैयार हो जान की आशा है।

*७--**श्री राम सुन्दर पाण्डेय**--ये क्वार्टर्स किन कर्मचारियों के लिये तैयार किये जा रहे हैं ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--यह क्वार्टर्स मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए हैं चाहे वे सरकारी कमचारी हों अथवा न हों।

*८--**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उनका allotment किस विभाग द्वारा किया जायेगा ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह क्वार्टर कितन रुपय की लागत के बनाय जा रहे ह और कितन ह ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---इस समय 'बी' टाइप क्वार्टर पर १०,२२५ रुपया प्रति क्वार्टर। 'सी' टाइप पर ८,३५० रुपया प्रति क्वार्टर और 'डी' टाइप क्वार्टर पर ४,८०० रुपया प्रति क्वार्टर है।

दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि यह कितने हैं। मैं केवल लखनऊ में जो बने हैं उसकी संख्या देता हूं। हैवलेक रोड पर ८ 'बी' टाइप और २८ 'सी' टाइप मकान बने हैं और बशीरतगंज में ८ 'सी' और १०८ 'डी' टाइप बन रहे हैं।

**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या सरकार यह बतायेगी कि इन क्वार्टरों का किराया किस प्रकार से निश्चित किया जायगा ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---लागत पर प्रायः ६ प्रतिशत।

**श्री राम सुभग वर्मा** (जिला देवरिया)---इन क्वार्टरों में कितने कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था है ?

**श्री अध्यक्ष**---इसका उत्तर अभी दिया जा चुका है।

**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या सरकार यह बतायेगी कि जिस प्रकार से लखनऊ में क्वार्टर्स बनाये जा रहे हैं उसी प्रकार से हर जिले में क्वार्टर बनाय जायेंगे ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---अभी उत्तर प्रदेश के ८ जिले लिये हैं।

**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या सरकार यह बतायेगी कि वे कौन-कौन जिले हैं ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---वे जिले इस प्रकार हैं---कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, देहरादून, मेरठ और लखनऊ।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---क्या सरकार बतायेगी कि इन क्वार्टर्स की क्या लाइफ होगी ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---यह तो कठिन मालूम पड़ता है, इसके बारे में तो ज्योतिषी ही ज्यादा कह सकता है।

**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन जिलों को किस आधार पर चुना गया ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---जिले नहीं बल्कि आठ बड़े शहर लिये गये हैं।

**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या सरकार यह बतायेगी कि इन क्वार्टर्स का अलाटमेंट किस आधार पर किया जायगा ?

**श्री अध्यक्ष**---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि कानपुर म कितने क्वार्टर्स बनेंगे ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---कानपुर में 'ए' टाइप ३, 'बी' टाइप ४, 'सी' टाइप ७ और 'डी' टाइप २६ क्वार्टर्स बनेंगे।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अगर इन क्वार्टर्स की लाइफ ज्योतिषी ही बता सकते हैं तो फिर सरकार न यह ६ प्रतिशत किराया किस आधार पर लगाया है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**---यह खर्च के लिहाज से रक्खा गया है।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**---अगर यह खर्च पर लगाया गया है तो ६ प्रतिशत लगाने के बजाय १ या २ प्रतिशत क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री अध्यक्ष--मालूम पड़ता है यह आप विवाद कर रहे हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मेरे पूछने का मतलब यह है कि किस आधार पर प्रतिशत निर्धारित किया गया है, लागत पर अथवा कितने दिन मकान रहने वाला है अथवा और कोई भी आधार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जो सूद देना पड़ता है, जो खर्चा होता है और जितने दिन वह चल सकेगा, इन आधारों पर किराया निर्धारित किया जाता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या इन क्वार्टर्स के निर्माण म केन्द्रीय सरकार ने भी कोई धन प्रान्तीय सरकार को दिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इन क्वार्टर्स में २५ लाख रुपया प्रदेशीय सरकार ने अपने ही पास से लगाया है।

## गोंडा जिले में तुलसीपुर टाउन एरिया कमेटी का निर्माण

*९--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपा कर के बतायेंगे कि गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में स्थित तुलसीपुर कस्बे में टाउन एरिया कमेटी का निर्माण तथा निर्वाचन वह कब कराने जा रहे हैं ?

स्वशासन उप-मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)--तुलसीपुर टाउन एरिया के बनाये जाने की विज्ञप्ति २२ अगस्त, १९५५, को जारी हुई। ये विज्ञप्ति २७ अगस्त के सरकारी गजट में प्रकाशित हुई थी। सरकार ने यहां पर निर्वाचन कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही आरम्भ कर दी है और आशा है कि मई तक या इससे भी कुछ पहले यहां कमेटी बन जायगी।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि निर्वाचन के लिए नामजदगी के पर्चे कब लिए जायंगे और क्या तुलसीपुर में कोई वार्ड इस हेतु बनाए गए हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश --अभी कार्यवाही चल रही है, कोई तारीख नियत नहीं की गई है।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जब तक वहां चुनाव सम्पादित नहीं होते तब तक के लिए वहां कोई एडमिनिस्ट्रेटर रखा जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश--अभी तो ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तुलसीपुर टाउन एरिया का चुनाव अब तक क्यों रुक रहा है ?

श्री कैलाश प्रकाश--तुलसीपुर गांव पंचायत थी उसको टाउन एरिया बनाया गया है और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि गजट में विज्ञप्ति जारी हुई है और चुनाव कराने की कार्यवाही वहां चल रही है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय--क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि तुलसीपुर कस्बे की कितनी आबादी है ?

श्री कैलाश प्रकाश--आबादी के आंकड़ों के लिए सूचना चाहिए।

## तुलसीपुर, जिला गोंडा में टाउन एरिया निर्माण के कारण पंचायत की समाप्ति

*१०--श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल--क्या मन्त्री महोदय कृपया बतायेंगे कि आगामी पंचायत चुनाव में गोंडा जिले की बलरामपुर तहसील में तुलसीपुर कस्बे को वह पंचायत चुनाव से अलग रखने का विचार रखते हैं ?

**श्री कैलाश प्रकाश**--जी हां।

तुलसीपुर में टाउन एरिया की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र में पंचायत के चुनाव की कार्यवाही समाप्त कर दी गई है।

**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पंचायत द्वारा एकत्र किया हुआ टैक्स का रुपया या धनराशि टाउन एरिया के काम में लाई जायगी ?

**श्री कैलाश प्रकाश**--टाउन एरिया स्थापित होने के बाद वहां के असेट्स और लायबिलिटीज का निबटारा और निर्णय कर दिया जायगा।

### पचपेड़वा, जिला गोंडा में चुनाव न होना

*११--**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**--क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पचपेड़वा कस्बा, तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा, में वे टाउन एरिया कमेटी का चुनाव करा देने का विचार रखते हैं ?

**श्री कैलाश प्रकाश**--पचपेड़वा टाउन एरिया नहीं है, अतः वहां टाउन एरिया कमेटी के चुनाव कराने का प्रश्न नहीं उठता।

**श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल**--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पचपेड़वा कस्बे का रंग-रूप शहरी है, देहाती नहीं है ?

**श्री कैलाश प्रकाश**--इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, न ऐसी कोई सूचना वहां से आई है।

*१२--**श्री शिव पूजन राय** (जिला गाजीपुर)--[२७ दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किया गया।]

*१३-१४--**श्री राजवंशी** (जिला देवरिया)--[२७ दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किये गये।]

### फतेहपुर जिले में मेटौरा तथा रायबरेली जिले में राहपुर में गंगा नदी पर पुलों की आवश्यकता

*१५--**श्री गुप्तार सिंह** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर में मेटौरा और रायबरेली में राहपुर के सामने गंगा नदी में सरकार पुल बनाने हेतु कोई योजना बना रही है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--जी नहीं।

**श्री गुप्तार सिंह**--क्या सरकार फतेहपुर जिले और रायबरेली जिले, जो दोनों गंगा तट पर बसे हैं और दोनों गल्ले की मंडी के लिए मशहूर हैं और जहां गल्ले के यातायात के हेतु कोई रास्ता नहीं है, इसलिए क्या राहपुर के सामने सरकार पुल बनाने पर फिर विचार करेगी ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--जी नहीं, इसका कारण यह है कि इन दोनों जिलों के बीच में इस स्थान से ज्यादा इम्पार्टेन्ट दूसरा और स्थान भी है, जहां पर राजमार्ग गंगा नदी को पार करते हैं और जिला नियोजन समिति ने भी इस स्थान पर पुल बनाने की कोई सिफारिश नहीं की। इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर यह पुल माननीय सदस्य द्वारा कहा गया है वह स्थान न तो प्रान्तीय राजमार्ग पर है और न राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। इन सब कारणों से इस स्थान पर पुल बनने की कोई सम्भावना नहीं है।

**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि राजमार्ग से उनका क्या मंशा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--प्रान्तीय राजमार्ग तो प्राविंशियल हाईवेज कहलाते हैं और राष्ट्रीय राजमाग नशनल हाईवेज।

*१६-१७--श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)--[१० जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किय गये।]

*१८--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--[१० जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किये गया।]

*१९-२१--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--[१० जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

*२२-२३--श्री शिवबक्ष सिंह राठौर (जिला मैनपुरी)--[१० जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किये गये।]

*२४--श्री रामेश्वर लाल--[२७ दिसम्बर, १९५५, के लिए स्थगित किया गया।]

*२५--श्री रामेश्वर लाल--[२८ दिसम्बर, १९५५, के लिए प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## बलिया जिले में गांवों की भूमि का स्तर ऊंचा करने का कार्य

*२६--श्री राधामोहन सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी इस साल बाढ़ से रक्षार्थ जिला बलिया में कितने गांवों के भूमि स्तर ( level ) ऊंचा करने की योजना स्वीकार की गई है?

श्री राम मूर्ति--इस साल सरकार ने बलिया जिले में १७४ जलमग्न ग्रामों की भूमि के स्तर को ऊंचा करने की योजना स्वीकार की है।

*२७--श्री राधामोहन सिंह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश कब जारी किए गए थे और कितने गांवों की भूमि-स्तर ऊंचा किया जा चुका है? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री राम मूर्ति--उक्त योजना पर कार्य आरम्भ करने के आदेश २४ अगस्त, १९५५, ो जारी हुए थे।

इस साल अधिक वर्षा होने के कारण १७४ जलमग्न ग्रामों के स्तर को ऊंचा करने का कार्य वर्षा ऋतु के समाप्त होने के पूर्व प्रारम्भ नहीं किया जा सका। अब २५ ग्रामों में कार्य उन्नति पर है और बाकी ग्रामों पर कार्य हाथ में लिया जा रहा है।

*२८--श्री राधामोहन सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांवों के भूमि-स्तर ऊंचा करने का कार्य कब तक समाप्त हो जावेगा?

श्री राम मूर्ति--११० ग्रामों पर कार्य जून, १९५६, तक पूर्ण हो जावेगा और बाकी ६४ ग्रामों पर कार्य जून, १९५७, तक समाप्त होगा।

श्री राधामोहन सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ग्रामों के स्तर को ऊंचा करने का कार्य ठेकेदारों द्वारा हो रहा है या ग्राम पंचायतों के द्वारा?

श्री राम मूर्ति--इस बात का खयाल रखा जाता है और आदेश इस बात के हैं कि जहां तक हो सके वहां तक ग्राम पंचायतों के जरिये से ही यह काम कराया जाय।

श्री राधामोहन सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेरिया से आगे संसारटोला तक सारे ग्रामों का स्तर नीचा है उनके लिये काम कब से आरम्भ होने जा रहा है ?

श्री राम मूर्ति--अध्यक्ष महोदय, गांवों का विचार करके तो सवाल पूछे नहीं गए हैं। इसलिये उनके उत्तर भी नहीं आये हैं। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या यह सही है कि कुछ ग्राम जो टोंस नदी के किनारे थे और उनमें स्तर ऊंचा करने का कार्य हो रहा था वह रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम मूर्ति---काम होते-होते अगर रोक दिया गया है तो उसके माने यह हैं कि पंचायत के लोग शायद काफी मजदूरों को नहीं पा रहे हैं, इसलिये काम रुक गया है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिये भी गांवों को ऊंचा करने के आदेश भेजे गए हैं ?

श्री राम मूर्ति---जहां जरूरत है वहां सब जगह ऐसे आदेश जारी किए गए हैं।

## आजमगढ़ जिला बोर्ड को बाढ़-पीड़ितों के लिए सहायता

*२९---श्री उमा शंकर---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पिछले तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार ने जिला बोर्ड, आजमगढ़, को कितना धन बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में खर्च करने को दिया ?

श्री कैलाश प्रकाश ---सरकार ने पिछले वर्ष १९५४-५५ में ७५,००० रु० जिला बोर्ड, आजमगढ़, को बाढ़ से क्षतिग्रस्त बोर्ड की सड़कों और इमारतों की मरम्मत के लिये दिया था। इस वर्ष अभी इस हेतु कोई अनुदान नहीं दिया गया है।

श्री उमा शंकर---क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि यह रुपया बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की सड़कों पर और इमारतों पर नहीं खर्च किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---कई बार इस सदन में इसका उत्तर दिया जा चुका है कि सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ित सड़कों और भवनों की मरम्मत क लिये सरकार कितना रुपया देने जा रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश---यह प्रश्न अभी विचाराधीन है। कोई निर्णय अभी तक इस पर नहीं हुआ है।

श्री व्रज बिहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला बोर्ड ने १३ लाख रुपए की बाढ़ पीड़ित भवनों और सड़कों के निर्माण--हेतु मांग की है ?

श्री कैलाश प्रकाश---मांग अवश्य की है। कितने की मांग की है इसकी मुझे सूचना नहीं है। सब जगह से सूचना एकत्रित की जा रही है और उस सूचना के प्राप्त हो जाने पर इस बात का निर्णय होगा कि किस जगह को कितना-कितना अनुदान दिया जाय।

श्री ब्रज बिहारी मिश्र--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कब तक यह अंतिम निर्णय हो जायगा कि कितना रुपया इन जिला बोर्डों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों की पूर्ति के लिये दिया जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश--मैंने निवेदन किया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आशा यह है कि यह सूचना शीघ्र ही आ जायगी और तभी निर्णय कर दिया जायगा।

## कालाढुंगी-नैनीताल आउटर रोड बनवाने के लिए नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड की मांग

*३०--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री जी के पास नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड की यह मांग आई है कि कालाढुंगी-नैनीताल-आउटर रोड का निर्माण किया जावे ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड की यह मांग निर्माण मंत्री के पास आई है।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि जब तक जिले की अन्य महत्वपूर्ण सड़कें न बन जायं, इस सड़क का निर्माण सम्भव नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार यह बतलायेगी कि जिले की अन्य कौन सी सड़कें हैं, जिनका निर्माण सरकार इस सड़क के निर्माण के पहले करना चाहती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि इस सड़क के निर्माण-हेतु जिला नियोजन समिति ने भी कोई सिफारिश सरकार के पास भेजी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, जिला नियोजन समिति ने भी इस बात की प्रार्थना की थी।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि अभी ग्रीष्म ऋतु में जिला नियोजन समिति को सम्बोधित करते हुए वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने स्वतः इस सड़क के निर्माण की आवश्यकता बतलाई थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--इसका ज्ञान मुझे नहीं है।

## म्युनिसिपल बोर्ड, जालौन की वाटर वर्क्स के लिए मांग

*३१--श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि म्युनिसिपल बोर्ड, जालौन ने वाटर वर्क्स बनाने की सरकार से मांग की है ? अगर हां, तो सरकार की तरफ से इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, जालौन म्युनिसिपल बोर्ड ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग से जालौन में वाटर वर्क्स बनाने के बारे में पूछ-ताछ की थी। इसके उत्तर में बोर्ड से कहा गया था कि जालौन वाटर वर्क्स की लागत लगभग ३ लाख रुपए की होगी और वह d tail d project बनाने की फीस तुरन्त जमा कर दे। परन्तु बोर्ड ने अभी तक यह फीस नहीं जमा की है। बोर्ड को सरकार ने भी हाल में यह आदेश दिया है कि वह Ch E gi r की फीस फौरन जमा कर दे जिससे कि d a le j शीघ्र बनाया जा सके।

श्री बसन्त लाल---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि वाटर वर्क्स का डिटेल्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिये म्युनिसिपल बोर्ड, जालौन, को चीफ इंजीनियर के लिये कितनी फीस जमा करनी पड़ेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---उनसे कहा गया है कि ५ हजार रुपए जमा करें।

श्री बसन्त लाल---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि चीफ इंजीनियर की फीस जमा करने के लिये म्युनिसिपल बोर्ड, जालौन, को किस तिथि को नोटिस दिया गया था और वहां से क्या जवाब आया ?

श्री कैलाश प्रकाश ---तिथि तो इस समय याद नहीं है। किन्तु जालौन म्युनिसिपल बोर्ड ने यह देखा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिये अभी तक फीस जमा नहीं की।

श्री राम चन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सरकार जालौन म्युनिसिपल बोर्ड के इस वाटर वर्क्स के लिये कुछ आर्थिक सहायता के देने के लिये भी विचार रखती है ?

श्री कैलाश प्रकाश---वाटर वर्क्स के लिये सरकार सहायता देती है और जालौन को भी दे सकती है, किन्तु उसे सहायता देने के पहले यह आवश्यक है कि डिटेल्ड एस्टिमेट बन जाय। डिटेल्ड एस्टिमेट बनने के बाद जब यह पब्लिक हेल्थ बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो जाय तब सरकार सहायता या लोन देती है।

---

## बाराबंकी जिले में गोमती नदी के नैपुरा घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति

*३२---श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)---क्या यह सही है कि सरकार इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाराबंकी जिले में तहसील हैदरगढ़ के गोमती नदी के नैपुराघाट व औसानेश्वर घाट पर पक्का पुल बनवाने जा रही है ? यदि हां, तो वह कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---नैपुराघाट के निकट पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। औसानेश्वर घाट पर पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस पुल के आगणन भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजे गए हैं। वह स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ किया जायगा।

श्री उमाशंकर मिश्र---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि औसानेश्वर घाट रोड से, नैपुराघाट का जो पक्का पुल बन रहा है, दोनों रोडों को मिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां। इस पर तो विचार किया जा रहा है।

*३३---श्री उमा शंकर मिश्र---[ २७ दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किया गया। ]

---

## लखनऊ-सुल्तानपुर रेलवे लाइन के कारण हैदरगढ़ झील के पानी से हानि

*३४---श्री उमाशंकर मिश्र---क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष नई रेलवे लाइन लखनऊ-सुल्तानपुर के स्टेशन हैदरगढ़ के निकट हैदरगढ़ झील के पास पुल न होने क कारण अति वृष्टि ने कई गांवों को बहा दिया है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--रेलवे लाइन से पानी का ठीक निकास न होने के कारण झील के पानी से आस-पास के कुछ गांवों को नुकसान पहुंचा है।

**श्री उमा शंकर मिश्र**--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त झील की बाढ़ से सरकारी पोस्ट आफिस, स्कूल और अस्पताल महीनों तक पानी से भरे रहे?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--सम्भव है जैसा माननीय सदस्य कहते हैं, किन्तु इसके लिये मुझे उत्तर देने के लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

**श्री उमा शंकर मिश्र**--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त झील का पानी निकालने के हेतु सरकार कोई उचित प्रबन्ध करेगी?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--मैंने तो उत्तर दिया, श्रीमन्, यह सड़क और रेलवे लाइन के बीच में यह झील है और इसका बहाव रेलवे लाइन की तरफ है। इसलिये इसका प्रबन्ध सेंट्रल रेलवे के अधिकारी कर सकेंगे। रेलवे अधिकारियों को इस संबंध में लिखा गया है।

*३५--३६--**श्री राम भजन** (जिला खीरी)--[१० जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किए गए।]

*३७--**श्री व्रज बिहारी मिश्र**--[३ जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किया गया।]

---

## अयोध्या में सरयू पर पुल निर्माण का आयोजन

*३८--**श्री राम नारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)--क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या में सरयू नदी पर पुल बनाने की योजना के बारे में अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--पुल बनाने के लिये नाप-जोख (सर्वे) हो चुका है तथा उसक लिये उचित स्थान तथा सड़कों के विषय में निश्चय किया जा चुका है। पुल से संबंधित सड़कों तथा नदी का बहाव ठीक करने के लिये एस्टीमेट तैयार किये जा चुके हैं तथा केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजे गए हैं। पुल का डिजाइन तथा एस्टीमेट विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो तैयार होने के बाद केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जायगा।

*३९--**श्री राम नारायण त्रिपाठी** (अनुपस्थित)--इस योजना के खर्च का तखमीना क्या है?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--इस योजना में १७८.५० लाख रुपया खर्च होने का अनुमान किया जाता है।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह पुल बनना कब से शुरू हो जायगा?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--इस समय डिजाइन इत्यादि तैयार किया जा रहा है। इसके पश्चात् सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जायगा। जब वहां से स्वीकृत हो जायगा तब कार्य प्रारम्भ होगा।

---

नोट--तारांकित प्रश्न ३८--३९ श्री जगन्नाथ मल्ल ने पूछे।

**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**--क्या माननीय निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अयोध्या के पुल निर्माण में केंद्रीय सरकार भी कुछ सहायता दे रही है ? यदि हां, तो कितनी ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--इस सम्पूर्ण व्यय रखरखाव के लिये और बनाने के लिये कन्द्रीय सरकार ही देगी क्योंकि यह नेशनल हाई वे पर पड़ता है।

**श्री राम सुभग वर्मा**--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका एस्टीमेट कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--श्रीमन्, उत्तर में ही आया है कि पुल से संबंधित सड़कें और नदी को ठीक आदि करने के एस्टीमेट बन चुके हैं।

## सूचना विभाग की नई नियुक्तियों में अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के व्यक्ति

*४०--**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जनवरी, सन् १९५५ ई०, से अब तक सूचना विभाग में किन-किन पदों पर कितनी-कितनी नई नियुक्तियां हुई हैं और उनमें कितने अनुसूचित तथा कितने पिछड़ी जाति के हैं ?

सूचना-मंत्री के सभा सचिव (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)--वांछित सूचना संलग्न ब्यौरे में दी हुई है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ १६४ पर )

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--संलग्न सूची में नियुक्तियों की संख्या ७१ है। उनमें अनुसूचित जाति में एक पत्रकार हैं और निम्न श्रेणी में १ अनुसूचित जाति का है और २ पिछड़ी जाति के। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह केवल दो अनुसूचित और दो पिछड़ी जाति के ही लोग क्यों रखे गए ७१ में और यह चुनाव किसके द्वारा किया गया ?

**श्री लक्ष्मीशंकर यादव**--इसमें कुछ तो ऐसी जगहें थीं, जहां विशिष्ट योग्यता की जरूरत थी। उसके लिये विज्ञापन हुआ और विज्ञापन के बाद उसकी कमेटी बनी। उससे चुनाव हुआ। कुछ जगहें ऐसी थीं। जहां पर कि पहले से दरख्वास्तें रहती हैं विभाग में, उन्हीं में से लोग चुन लिये गए। पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के लोग जो कम आये उसकी वजह यह है कि कुछ तो निर्धारित योग्यता जो थी, वहां तक लोग थे नहीं और कुछ लोग इम्तहान में शामिल नहीं हुए या कमेटी के सामने नहीं आ सके। इस वजह से नहीं हो सके।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--किसके द्वारा चुनाव हुआ, यह बता दिया जाय।

**श्री लक्ष्मीशंकर यादव**--पहले ही बता दिया कि जिन जगहों के लिये विज्ञापन हुआ था, उसके लिये एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के ही द्वारा हुआ, विभागीय कमेटी थी।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--क्या उस कमेटी को यह आदेश या यह सूचना दे दी गयी थी कि चुनाव के समय १८ फीसदी अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों को विशेष रूप से चुन जाने पर ध्यान दिया जाय, इस बात की सूचना क्या सरकार द्वारा दी गयी थी ?

**श्री राम मूर्ति**--अध्यक्ष महोदय, सूचना विभाग में यह आदेश दे दिए गए हैं कि यदि बैकवर्ड क्लासेज और शेड्यूल्ड क्लासेज के लोग ज्यादा तादाद में आयें और क्वालीफाइड हों तो जो निर्धारित जगहें हैं, उनसे भी अधिक ले सकते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि उतने लोग आ नहीं पाते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आयें और हम उनको लें।

**श्री रामचन्द्र विकल**--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सूची प्रस्तुत है माननीय सदस्य के सम्मुख और जिसका विज्ञापन किया गया, वे कौन-कौन से पद हैं सूचना विभाग के जिनके लिये विज्ञापन किया गया ?

**श्री लक्ष्मीशंकर यादव**--निरीक्षक के लिये विज्ञापन किया गया, पत्रकार, न्यूज आफिसर, असिस्टेंट फोटोग्राफर, अतिरिक्त रेडियो इंजीनियर, सहायक टेक्नीशियन, रेडियो इंसपेक्टर।

**श्री व्रज भूषण मिश्र**--क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि इन पदों के लिये कितने अनुसूचित तथा पिछड़ी जातियों के लोगों के आवेदन-पत्र आये थे ?

**श्री लक्ष्मीशंकर यादव**--निरीक्षक के लिये अनुसूचित आये ६ और पिछड़ी जाति के २। पत्रकार के लिये अनुसूचित २ और पिछड़ी जाति का कोई नहीं। बंडल लिफ्टर के लिये १ आया था पिछड़ी जाति का। सहायक के लिये १ अनुसूचित। टेक्नीशियन के लिए १ पिछड़ी जाति। रेडियो इंसपेक्टर के लिये २ अनुसूचित और १ पिछड़ी जाति का। निम्न श्रेणी के लिये ६ अनुसूचित और ४ पिछड़ी जाति के।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--जिन १८ पदों की क्रम-संख्या है तो जिन पर विज्ञापन नहीं जारी किया गया था, उसके चुनाव कैसे किए गए ?

**श्री लक्ष्मीशंकर यादव**--पहले ही बता दिया गया कि कुछ दरख्वास्तें विभाग पहले ही से रख लिया करता है और उसमें से चुन करके कर दिया जाता है, जिनका विज्ञापन नहीं हुआ है, उन जगहों का।

*४१--**श्री शिव पूजन राय**--[ २७ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया। ]

*४२--४४--**श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा** ( जिला कानपुर )--[ १० जनवरी, १९५६, के लिए स्थगित किए गए। ]

*४५--**श्री रघुवीर सिंह** (जिला मेरठ)--[३ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया। ]

---

## नजीबाबाद और सहारनपुर के बीच मालन नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति

*४६--**श्री रतन लाल जैन** (जिला बिजनौर)--क्या सरकार जिला बिजनौर में नजीबाबाद और सहारनपुर के बीच मालन नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--नजीबाबाद-नागल मार्ग में मालन नदी पर पुल का निर्माण स्वीकृत हो चुका है।

**श्री रतन लाल जैन**--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह पुल बनना कब से शुरू हो जायगा और कितने अर्से में समाप्त हो जायगा ?

**श्री लक्ष्मी रमण आचार्य**--बहुत शीघ्र होने वाला है और प्रारम्भ होने के बाद जब तक समाप्त हो सकेगा तब तक समाप्त हो जायगा, यानी जल्दी हो जायगा।

**श्री व्रज भूषण मिश्र**--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुल कितनी लागत का है ?

**श्री लक्ष्मीरमण आचार्य**--केवल पुल नहीं बल्कि यह नजीबाबाद और सहारनपुर का मार्ग पक्का करने में ४ लाख ९५ हजार रुपया खर्च होगा। इसमें पुल १ लाख ५० हजार की लागत का होगा।

## हरद्वार के निकट गंगा नहर के चंडीरेंज में वृक्षों के काटने की शिकायत

*४७--**श्री दीन दयालु शास्त्री** (जिला सहारनपुर)--क्या यह सच है कि गंगा नहर के हरद्वार के निकट चडी रेंज म अवस्थित नहर विभाग के बहुत से पेड़ बिना इजाजत काटे गए थे ?

**श्री राम मूर्ति**--जी नहीं। चंडी बन से कोई पेड़ उचित स्वीकृति के बिना नहीं काटा गया।

*४८--**श्री दीन दयालु शास्त्री**--यदि हां, तो क्या सरकार बतलायेगी कि उन पेड़ों की संख्या कितनी थी और उनकी क्या कीमत थी ?

**श्री राममूर्ति**--प्रश्न नहीं उठता।

*४९--**श्री दीन दयालु शास्त्री**--क्या सरकार बतलायेगी कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

**श्री राममूर्ति**--प्रश्न नहीं उठता।

**श्री दीनदयालु शास्त्री**--क्या माननीय मंत्री महोदय को ऐसी कोई रिपोर्ट मिली थी कि एक ओवरसियर ने कई सौ पेड़ गंगा पार के जंगल में से बिना नहर विभाग की स्वीकृति के काटे हैं ?

**श्री राममूर्ति**--माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी हो गई है। नहर विभाग का यह कायदा है कि चंडी के पास जो बन है, वह वर्षा ऋतु के पश्चात् उसमें कटान किया जाता है पेड़ों का क्योंकि जब बहुत घना जंगल हो जाता है तो पेड़ों का बढ़ाव रुक जाता है। इसलिये बीच बीच के पेड़ काट दिए जाते हैं और जो पेड़ काटे जाते हैं वे नहर विभाग के कर्मचारियों के लिए एक निर्धारित कीमत पर बेच दिए जाते हैं।

**श्री दीनदयालु शास्त्री**--क्या यह सच है कि मंत्री महोदय पिछली बार जब हरिद्वार गए थे तो उन्होंने चीफ इंजीनियर से इस मामले में पूछा था और इंजीनियर साहब ने कहा था कि उसे विभागीय दंड दे दिया गया है ?

**श्री राम मूर्ति**--इसकी तो इस वक्त मेरे पास कोई इत्तिला नहीं है। मैं इसके लिये सूचना चाहता हूं। फिर बता दूंगा।

**श्री दीन दयालु शास्त्री**--क्या माननीय मंत्री महोदय मेरे इस प्रश्न को नोटिस समझकर उचित जांच दुबारा करेंगे ?

**श्री राम मूर्ति**--इसमें जांच का तो कोई प्रश्न नहीं है। मैंने कहा कि यह तो हरसाल काटा जाता है।

## बरेली जिले में सिंचाई के कार्य में प्रगति

*५०—श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बरेली में कितने एकड़ जमीन पर काश्त होती है और प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले कितने एकड़ जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध था ?

श्री राममूर्ति—बरेली जिले में लगभग ७.७८ लाख एकड़ खेती योग्य भूमि है। प्रथम पंचवर्षीय योजना से पहले सरकारी साधनों से २,९३,४७४ एकड़ भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध था।

*५१—श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बरेली जिले की कितने एकड़ नए रकबे की सिंचाई का प्रबन्ध किया गया था ? उसमें कितना रुपया खर्च करने का अनुमान है और कितना रकबा प्रबन्ध के लिये बाकी रह जायगा ?

श्री राममूर्ति—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बरेली जिले में ४०,८५८ एकड़ नए क्षेत्र का सरकारी साधनों द्वारा सिंचाई का प्रबन्ध हो जायगा। इसके पश्चात ४,४३,६६७ एकड़ क्षेत्र का सिंचाई का प्रबन्ध करने के लिये रह जायगा। बरेली जिले में सिंचाई साधनों पर खर्च का ब्योरा देना सम्भव नहीं है क्योंकि हिसाब प्रोजेक्टवार रखा जाता है, जिलेवार नहीं।

*५२—५३—श्री राज कुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—[२७ दिसम्बर, १९५५, के लिए स्थगित किए गए।]

*५४—५६—श्री मुहम्मद तकी हादी (जिला मुरादाबाद)—[१० जनवरी, १९५६, के लिये स्थगित किए गए।]

## सुभाषनगर नामक क्षेत्र को बरेली नगरपालिका में मिलाने के लिए प्रार्थना

*५७—श्री जगदीश सरन (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को विदित है कि बरेली नगर में लाइन पार एरिया जिसको सुभाषनगर भी कहते हैं वहां के रहने वालों ने उस एरिया की अव्यवस्था को दूर करने के निमित्त उसको नगरपालिका के क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के लिये सरकार से प्रार्थना की है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

*५८—श्री जगदीश सरन (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन सुभाषनगर, नेकपुर और मढ़ीनाथ क्षेत्रों को बरेली म्युनिसिपैलिटी में सम्मिलित करने का प्रस्ताव विज्ञापित किया जा चुका है और धारा ३ के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री कैलाश प्रकाश—शीघ्र ही पूरा होने की आशा है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार बतायेगी कि कितने दिनों से यह फाइल चल रही है ?

---

नोट—तारांकित प्रश्न ५७–५८ श्री धर्म दत्त वैद्य ने पूछे।

श्री कैलाश प्रकाश--फायल कितने दिनों से चल रही है यह तो माननीय सदस्य को मालूम होगा। एक तो वहां से मांग आई और फिर ऐतराजात लिये गए, रिपोर्ट मांगी गई, वह आई और उसका निरीक्षण किया जा रहा है, इस कारण देर लगी।

श्री धर्मदत्त वैद्य--क्या इस वर्ष तक यह कार्य पूरा हो सकेगा?

श्री सैयद अली जहीर--इसमें दिक्कतें यह है कि थोड़ा सा यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताल्लिक है और उन्हें भी राय देना है, इसलिये देर हो रही है। जैसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जवाब आ जायगा, कार्यवाही की जायगी।

## कोंच नगरपालिका को प्रदत्त के अनुदान दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायत

*५९--श्री चित्तर सिंह निरंजन (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि नगरपालिका कोंच (जालौन) को सन् १९५२, ५३, ५४ और ५५ में किस मद में कितना अनुदान मिला है और क्या उक्त नगरपालिका ने उक्त अनुदानों की रकम का पूरा-पूरा उपयोग किया है?

श्री कैलाश प्रकाश--नगरपालिका, कोंच को सन् १९५२, ५३, ५४ और ५५ में दिए गए अनुदानों और उनके मदों का विवरण निम्नांकित है:--

| | | रु० |
|---|---|---|
| सन् १९५२-५३ -- | | |
| (१) गरानी भत्ता के लिए ... | ... | ९,७०३ |
| (२) सड़कों की मरम्मत के लिए ... | ... | ३०,००० |
| (३) शिक्षा कार्य ... | .. | १४,८१२ |
| सन् १९५३-५४ -- | | |
| (१) गरानी भत्ता के लिए .. | .. | ८,९३४ |
| (२) शिक्षा कार्य .. | .. | १६,६२४ |
| सन् १९५४-५५ -- | | |
| (१) गरानी भत्ता के लिए .. | .. | ८,८१६ |
| (२) शिक्षा कार्य .. | .. | १६,२३८ |
| (३) सड़कों की मरम्मत के लिए | .. | ११,१०० |

उक्त अनुदानों में से गरानी भत्ता तथा शिक्षा कार्य के लिये दिए गए अनुदानों की रकम का पूरा-पूरा उपयोग किया जा चुका है।

सन् १९५२-५३ में सड़कों की मरम्मत के लिये ३०,००० रु० के दिए हुए अनुदान में से २३,९४० रु० व्यय किया जा चुका है और ६,०६० रु० बाकी है तथा १९५४-५५ में सड़कों की मरम्मत के लिये दिए गये अनुदान में से अभी कुछ भी उपयोग नहीं हुआ है।

*६०--श्री चित्तर सिंह निरंजन (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास उक्त बोर्ड के खिलाफ उक्त रकम के दुरुपयोग करने की शिकायतें आई हैं? यदि हां, तो सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है?

---

नोट--तारांकित प्रश्न ५९--६० श्री बसन्त लाल ने पूछे।

श्री कैलाश प्रकाश--सन् १९५२-५३ में सड़कों की मरम्मत के लिये दिये गए ३०,००० रु० के अनुदान के दुरुपयोग करने के सिलसिले में मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, जालौन, ने जून, १९५५ में सरकार से श्री जी० बी० चतुर्वेदी, अध्यक्ष, नगरपालिका, कोंच के खिलाफ शिकायत की थी।

मगर चूंकि श्री चतुर्वेदी ने अपने खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास होने के कारण इस्तीफा दे दिया था, इसलिये सरकार ने उक्त शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री बसन्तलाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ में सड़कों की मरम्मत के लिये जो अनुदान दिया गया था उसका अभी तक कुछ भी उपयोग नहीं हुआ, इसका क्या कारण है?

श्री कैलाश प्रकाश--क्योंकि वहां की नगरपालिका में आपस में कुछ मनमुटाव था, अविश्वास का प्रस्ताव इत्यादि की कार्यवाही चल रही थी, इसलिये वहां काम आगे चल नहीं पाया।

श्री बसन्त लाल--सन् १९५२-५३ में सड़कों की मरम्मत के लिये जो धनराशि दी गयी थी उसके दुरुपयोग की जो शिकायत आयी थी क्या माननीय मंत्री महोदय उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश--जो शिकायत आयी थी उसकी जांच तो हो रही है।

श्री बसन्तलाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जांच हो रही है वह किसके द्वारा हो रही है?

श्री कैलाश प्रकाश--जांच के लिये कलेक्टर इंचार्ज और कलेक्टर को चीजें भेजी जाती हैं उन्हीं के द्वारा जांच कराई जाती है।

## सरकारी इश्तहार छापने वाले अखबार तथा रिसाले

*६१--श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार राज्य के अखबारों और रिसालों के नाम बतलायेगी, जिनको सरकारी इश्तिहार मिलते हैं?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--इस प्रकार की कोई निश्चित सूची नहीं रक्खी जाती है।

*६२--श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)--इस संबंध में क्या सरकार बतायेगी कि सरकारी इश्तिहार किनको दिये जायं इस पर सरकार की नीति क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सरकारी विज्ञापन दैनिक समाचारपत्रों को ही दिये जाते हैं। पर अर्द्ध साप्ताहिक अथवा साप्ताहिक पत्रों को भी कभी-कभी दिये जाते हैं। इन समाचारपत्रों की वितरण संख्या कम से कम १,००० हो और इनका प्रकाशन नियमित रूप से होता हो तथा इनका प्रकाशन प्रारम्भ हुए ६ मास बीत गए हों। ऐसे समाचार-पत्रों को जो साम्प्रदायिकता, हिंसा अथवा सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली भावनाओं को उत्तेजित करते हों, जो प्रायः भद्दे अथवा अश्लील लेख प्रकाशित करते हों, उनको सरकारी विज्ञापन पाने योग्य नहीं समझा जाता।

*६३--६५--श्री व्रज भूषण मिश्र--[२२ दिसम्बर, १९५५, के लिये प्रश्न ९--११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गए।]

*६६--श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)--[२७ दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किया गया।]

## राजनारायण स्मारक भवन, लखीमपुर, पर व्यय

*६७—श्री प्रेम किशन खन्ना (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि राजनारायण स्मारक भवन, लखीमपुर-खीरी के निर्माण के लिये कितना धन कलेक्टिव सब्सक्रिप्शन (Collective Subscription) से दिया गया ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—राज नारायण स्मारक भवन के लिये कलेक्टिव-सब्सक्रिप्शनों (Collective Subscriptions) से २५,००० रु० दिया गया ।

*६८—श्री प्रेम किशन खन्ना (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इसके निर्माण में कितना धन खर्च हो चुका है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—इस भवन के निर्माण में लगभग २८,००० रु० खर्च हो चुका है।

*६९—श्री प्रेम किशन खन्ना (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो मोटर गैरेज तथा दूकानें राजनारायण स्मारक भवन के अहाते के अन्दर बनी हैं वह इसी स्वीकृत धन से बनी हैं ?

श्री लक्ष्मी शङ्कर यादव—मोटर गैरेज और दूकानें जो स्मारक भवन के अहाते म बनी हैं वह इसी स्वीकृत धन से राजनारायण स्मारक कमेटी की स्वीकृति से बनी हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—यह जो स्मारक बन रहा है तो इन्हीं राजनारायण जी का है या किसी दूसरे का ?

श्री लक्ष्मी शङ्कर यादव—जी नहीं। स्वर्गीय राजनारायण जी, जो लखीमपुर-खीरी के हैं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्मारक भवन में जो रुपया खर्च हुआ है इंजीनियर्स ने उसको सर्टीफाई कर दिया है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—जी हां, इंजीनियर्स ने सर्टीफाई तो कर दिया है, लेकिन अभी व्यौरा नहीं आया है। हिदायत कर दी है कि जल्दी व्यौरा भेजें, गालिबन जल्दी आ जायगा।

श्री भगवान सहाय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस बिल्डिंग से क्या काम लिया जा रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह बिल्डिंग अभी बन रही है, यही काम लिया जा रहा है

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—कब तक पूरे रुपये के खर्च करने की अनुमति दी गई थी और चंदे का रुपया ही लगा है या और भी रुपया दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—कलेक्टिव सब्सक्रिप्शन का २५,००० रुपया था और इसमें २८ हजार रुपया लगा है और निकट-भविष्य में यह बन जायगा ।

श्री भगवान सहाय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुपया मिला है वह कहां से दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अभी अर्ज किया कि कलेक्टिव सब्सक्रिप्शन का २५ हजार रुपया था और इसमें तीन हजार रुपया इसके अलावा और लगा जो चंदे के जरिये जमा किया गया था।

## अतारांकित प्रश्न

### गाजीपुर स्टीमर घाट पर पक्का पुल बनवाने की मांग

१—श्री भोला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर स्टीमर घाट (गंगा) पर वे पक्का पुल बनवाने का विचार कर रहे हैं ?

---

नोट—तारांकित प्रश्न ६७—६९ श्री भगवान सहाय ने पूछ ।

निर्माण मन्त्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी नहीं।

२---श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---[१४ दिसम्बर, १९५५, के लिये प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## मुरादाबाद जिला बोर्ड को सड़कों के लिए अनुदान

३---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिला बोर्ड की सड़कों के लिये गत तीन वर्षों में कुल कितनी धनराशि मरम्मत तथा कच्ची से पक्की करने के लिये दी गई है ?

श्री सैयद अली जहीर---जिला बोर्ड, मुरादाबाद, को विगत तीन वर्षों में केवल कच्ची सड़कों के रखरखाव के लिय सरकारी अनुदान स्वीकृत किये गये हैं, जो इस प्रकार हैं:---

| | | | रुपया |
|---|---|---|---|
| १९५२-५३ | ... | ... | २०,२०० |
| १९५३-५४ | ... | ... | १६,६०० |
| १९५४-५५ | ... | ... | १६,६०० |
| | योग | ... | ५३,४०० |

कच्ची सड़कों को पक्का बनाने के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया।

## अमेठी तहसील जिला सुल्तानपुर, में बड़गांव और विश्वेश्वरगंज के बीच पक्के पुल की आवश्यकता

४---श्री रणञ्जय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह तहसील अमेठी (जिला सुल्तानपुर) के बड़गांव और विश्वेश्वरगंज के बीच में कोई पक्का पुल बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा---जी नहीं।

५-६---श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---[२७ दिसम्बर, १९५५, के लिये स्थगित किये गये।]

---

## बांदा जिले के बबेरू थाने में हुई ज्यादती के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री राजनारायण जी ने एक कामरोको प्रस्ताव बांदा जिले के बबेरू थाने में कुछ ज्यादती के सम्बन्ध में दिया था और चूंकि इसका स्थानीय प्रशासन से ही साधारण सम्बन्ध है और इससे सरकार से कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता, बल्कि स्थानीय कार्यवाही उचित न्यायालय में करने का ही उससे सम्बन्ध है, इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं कि यह कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया जाय। मैं इसको अवैध करार देता हूं।

## १४ दिसम्बर, १९५५, को सूर्य-ग्रहण की छुट्टी के लिये प्रार्थना

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---श्रीमान्, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो कल होने वाले सूर्य-ग्रहण के सम्बन्ध में कहा गया था उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चित किया। कल छुट्टी होगी या नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मैंने, जनाबवाला, कल अर्ज कर दिया था लेकिन अब आप फिर से इस सवाल को उठाना चाहते हैं और इसलिये मैं समझता हूं कि इस मामले में जरूर कुछ किया जाय। अगर मेम्बरान की ख्वाहिश है तो मुनासिब यह होगा कि कल २ बजे से हाउस हो और उससे पहले न हो। मुझे जो मालूमात हैं वह यह कि सूर्य-ग्रहण फर्स्ट हाफ डे के अन्दर हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--सूर्य-ग्रहण ११ से ढाई बजे तक है। मैं समझता हूं कि नेता सदन इसका पूरा हिसाब लगा लें।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इसका हिसाब मुझे खुद मालूम नहीं है। अगर ऐसा है कि जो मैं कह रहा हूं वह सही नहीं है तो मैं यह भी फैसला करूंगा कि सारे दिन की छुट्टी रहे। लेकिन मुझे यह मालूम हुआ कि १ बजे तक सारा मामला खत्म हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--सही बात क्या है वह जानने के बाद अगर आप १ घंटे के बाद एनाउन्स-मट कर दें तो ठीक होगा। एक बजे आप कह दीजिये तो अच्छा होगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--ठीक है, मैं कह दूंगा। अगर जरूरत हुई तो दिन भर की छुट्टी करूंगा और नहीं तो इतनी ही करूंगा।

## कार्य-स्थगन प्रस्तावों के लिये सप्ताह में एक दिन नियत करने का सुझाव

श्री राज नारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं इस संबंध में कि जो मेरे कामरोको प्रस्ताव पर आपकी रूलिंग हो गई उस पर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं आपके द्वारा इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की हालत इतनी खराब हो गई है कि.....

श्री अध्यक्ष--ऐसे जो प्रस्ताव मैं आपके नामंजूर करता हूं कम से कम उसकी सूचना मैं माननीय मंत्री को भिजवा दूंगा और उसके बाद आप उनसे बात कर लें।

श्री राज नारायण--उनको तार वगैरह भी मैंने दिया.....

श्री अध्यक्ष--तो वह मौका हो सकता है लेकिन इसके ऊपर अब यहां चर्चा नहीं हो सकती।

श्री व्रज विहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--ऐसे कामरोको प्रस्ताव रोज आते हैं तो उचित यह होगा कि हफ्ते में एक दिन नियत कर दिया जाय कि उस दिन सारे कामरोको प्रस्ताव आ जायं, यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष--आप इसके लिये नियमों में परिवर्तन कर दें। जो नियमों की कमेटी बनी है वह शीघ्र अपना काम समाप्त करेगी और जब नियम सदन के सामने आ जायं तो उसमें जो आप तजवीज करना चाहें वह कर सकते हैं। सदन नियमों द्वारा यह कर सकता है कि कोई एक दिन कामरोको प्रस्ताव के लिये नियत हो जाय।

## *उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५

### †खंड ३ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--श्री मदनगोपाल जी, मैंने कल तीसरे खंड के संशोधन को उचित स्थान पर रख देने के विषय में आपसे कहा था।

---

*२१ नवम्बर, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।

†१२ दिसम्बर, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--मैं आपका आभारी हूं । इसके साथ ही मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो क्रम-संख्या ३ पर मेरा संशोधन है उसको पहिले ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--यह खंड ३ के बाद में ही आयगा।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नया खंड ३-अ

*श्री मदन गोपाल वैद्य--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के बाद एक नया खंड ३-अ निम्न रूप में रख दिया जाय---

"३-अ--मूल अधिनियम की धारा (१) के भाग (ii) में से शब्द "Except the Jaunsar-Bawar pargana of Dehradun District and the portion of the Mirzapur district south of Kaimur Range." निकाल दिये जायं। इस प्रस्ताव को पास करने से मूल अधिनियम का प्रवेश सारे प्रदेश में हो जायगा।

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो माननीय सदस्य ने पेश किया है इसकी आवश्यकता नहीं है। मूल अधिनियम के पार्ट ३ के खंड ४९ में जो दिया हुआ है, उसमें प्रदेशीय सरकार को अधिकार है कि वह इस विधेयक के हिस्से को प्रदेश के किसी भाग में किसी खंड को लागू कर सकती है। इंडियन अडप्टेशन ऐक्ट के मातहत प्रान्तीय सरकार को वह हक हासिल है। जहां तक इस पार्ट ३ का सवाल है वह हमारे प्रदेश के सारे हिस्सों में लागू नहीं है। जहां तक जौनसार-बावर का सवाल है वह पूरे अधिनियम को नहीं इसके किसी हिस्से को जौनसार-बावर में इंडियन एडेप्टेशन ऐक्ट के मातहत लागू कर दिया गया है। इसलिये यहां इस संशोधन का लाना अनावश्यक है। मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री मदन गोपाल वैद्य--मैं इस संशोधन् को वापस लेता हूं।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, मैं माननीय वैद्य जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री बनारसीदास--इसको वापस ले लिया गया है फिर बोलने की क्या आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--मैंने उनको बुलाया नहीं था इसके पहिले ही उन्होंने इसको वापस ले लिया वैसे दूसरे सदस्यों को इस पर बोलने का अधिकार तो है ही।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इस संशोधन के मातहत इतना आवश्यक है कि जो मूल अधिनियम की धारा १ है उसको यह स्पष्ट कर देता है। तो यह सारे उत्तर प्रदेश में लागू रहेगा। माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है वह बड़ा घुमाव-फिराव वाला स्पष्टीकरण है। एक सीधे प्रकार का स्पष्टीकरण यहां दे दें और इसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जौनसार-बावर और मिर्जापुर जिलों के हिस्सों में भी लागू कर दें। मैं समझता हूं कि यह इतना सीधा सवाल है कि न तो इसको माननीय वैद्य जी को ही वापस लेना चाहिये और न माननीय मंत्री जी को भी इसके मंजूर करने से इनकार करना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने जिन धाराओं का हवाला दिया वह लागू नहीं होंगी जब तक धारा १ की उपधारा (१) में इस संशोधन को नहीं करते हैं।

श्री मदन गोपाल वैद्य—मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापिस लिया गया।

खंड ४

यू० पी ऐक्ट १०, १९३९ की धारा २ का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा २ में खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (iii-a) तथा (iii-b) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(iii-*a*) "State Government" means the Government of Uttar Pradesh;

"(iii-*b*) "Faculty' means "Faculty of Ayurvedic and Unani Tibbi systems of medicine" constituted under section 36-A:

श्री मदन गोपाल वैद्य—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के अन्त में नये उपखंड (क), (ख) तथा (ग) निम्न रूप में बढ़ा दिये जायं:—

"(क) मूल अधिनियम की धारा 2 (x) के अन्त में शब्द "and surgery" बढ़ा दिए जायं।

(ख) मूल अधिनियम की धारा 2 (xi) के अन्त में शब्द "and surgery" बढ़ा दिए जायं।

(ग) मूल अधिनियम की धारा 2 की (उपधारा (xii) तथा (xiii) निकाल दी जाय।"

इन संशोधनों के द्वारा वैद्यों और हकीमों की परिभाषा को संशोधित किया गया है। जो सर्जन शब्द सरकार ने निकाल दिया था और उससे जो हानि होती थी उसकी यह संशोधन पूर्ति करता है। खंड (क) और (ख) पास हो जाने के बाद धारा (२) की उपधारा (१२) और (१३) की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिये उनको निकालने का प्रस्ताव किया गया है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी।

श्री बनारसी दास—अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—मैं यह कहना चाहता हूं कि खंड ४ के अन्त में उपखंड का (क) (ख) और (ग) इस शक्ल में नहीं आयेंगे, संशोधन यह दिया हुआ है कि खंड ३ के अन्त में नए उपखंड (क), (ख) तथा (ग) के रूप में बढ़ा दिए जायं। लेकिन वह (iii-c) (iii-d) तथा (iii-e) की शक्ल में आयेंगे। इतना परिवर्तन मैं स्वयं कर दूंगा।

(एक क्षण के अनन्तर) अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ४ के अन्त में नये उपखंड (iii-c), (iii-d) तथा (iii-e) निम्न रूप में बढ़ा दिए जायं—

"(iii-*c*) मूल अधिनियम की धारा 2 (x) के अन्त में शब्द and surgery' बढ़ा दिए जायं।

((iii-*d*) मूल अधिनियम की धारा 2(xi) के अन्त में शब्द and surgery बढ़ा दिए जायं।

(iii-*e*) मूल अधिनियम की धारा २ की उपधारा (xii) तथा (xiii) निकाल दी जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

**श्री अध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

५--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

यू० पी० एक्ट १०, १९३९ की धारा ५ का संशोधन।

stitution
e Board.

"5. (1) The Board shall consist of the following members (including the President)—

(i) a President to be nominated by the State Government ;

(ii) five members to be nominated by the State Government ;

(iii) one member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine ;

(iv) two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board ;

(v) one member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such institutions as are affiliated to the Board ; and

(vi) nine members (6 Vaids and 3 Hakims) to be elected, in the prescribed manner, by the registered Vaids and Hakims, respectively, of Uttar Pradesh.

(2) the Board shall elect one of its members to be the Vice-President."

(श्री तेजप्रताप सिंह के खड़े होने पर।)

**श्री अध्यक्ष**--यह संशोधन तो जोरावर वर्मा के नाम में है आपके नाम में नहीं है। वह नहीं हैं क्या उन्होंने आपको अधिकार द दिया है ?

**श्री तेज प्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर)--जी हां।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

(एक क्षण के अनन्तर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड ५ निम्न रूप में रख दिया जाय :—

"5. (1) The Board shall consist of the following members :

(i) A President to be elected by the members of the Board from amongst its members.

(ii) Four members nominated by the State Government of whom one shall belong to a Scheduled Caste, one shall belong to a Backward Class, one shall be a Vaidya and one a Hakim, who have attained high distinction in the practice of their profession.

(iii) Two members elected by the State Legislative Assembly from amongst its members.

(iv) One member elected by the State Legislative Council from amongst its members.

(v) Two members elected by all the members of the District Boards of the State in the prescribed manner.

(vi) One member elected by all the members of the Municipal Boards of the State in the prescribed manner.

(vii) One member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in the State and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine.

(viii) Two members representing Ayurvedic Education and Institutions of the State to be elected in the prescribed manner by the teachers of such institutions as are affiliated to the Board.

(ix) One member representing Unani Education Institution of the State Government to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such institutions are affiliated to the Board.

(x) Seven members (4 Vaids and 3 Hakims not in the service of the State Government or local bodies.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice-President."

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के द्वारा हमारे इस बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन को रिकांस्टीट्यूट किया गया है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक को लाने का खास मकसद एक तो बोर्ड को रिकांस्टीट्यूट करना था और दूसरे आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा के लिये फैकल्टी क्रियेट करना था। बोर्ड को यहां रिकांस्टीट्यूट किया गया है। आप देखेंगे कि खेर कमेटी जिसने सन् ४८ में रिपोर्ट दी थी उसने अपनी सिफारिशों में यह बतलाया है कि इस बोर्ड की पावर्स को कटेल कर दिया जाय और जो बोर्ड कांस्टीट्यूट किया जाय उसमें कौन-कौन से मेम्बर हों और किस प्रकार उसका संगठन हो। मैं एक-एक करके लेना चाहता हूं। जो मैंने संशोधन रक्खा है वह किसलिये, किस आधार पर और क्यों रक्खा है? पहले आप देखेंगे कि प्रेसीडेंट जो बोर्ड का एक विशेष पदाधिकारी होगा उसके लिये खेर कमेटी ने सिफारिश की थी कि प्रेसीडेंट इलेक्टेड होगा, मेम्बर्स के द्वारा, लेकिन इस प्रस्तुत संशोधन विधेयक में बोर्ड के प्रेसी-

डेंट को स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नामिनेटेड रक्खा गया है। समझ में नहीं आता कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनके द्वारा गवर्नमेंट यह शक्ति चाहती है कि वह बोर्ड के प्रेसीडेंट को नामिनेट करे। जो हमारा बोर्ड अभी तक था वह किस तरह काम कर रहा था? क्या-क्या खामियां थीं? और यह जो कांस्टीट्यूशन बदल रहे हैं वह किस तरह से बदल रहे हैं? इसका क्या आधार है? ये सब बातें नहीं बतलाई गईं। आधार के लिये सबसे अच्छी बात यह एक हो सकती थी कि जो कमेटी बैठाई गई थी उसमें जो कांस्टीट्यूशन दिया गया था उसके आधार पर इस संशोधन विधेयक में व्यवस्था रख देते लेकिन उसे नहीं रक्खा गया है। तो फिर समझ में नहीं आता कि क्या आधार है। फिर समझ में तो यही आता है कि विशेष प्रयोजन जो इस विधेयक को लाने का था वह यही था कि प्रेसीडेंट को गवर्नमेंट द्वारा नामिनेटड रक्खें और मेम्बर्स को जो शक्ति दी थी कि उनके द्वारा इलेक्टेड हो वह छीन ली जाय। आपने जो तरमीम रक्खी है उसका भी कोई आधार होना चाहिये था। आखिर उसकी वर्किंग में क्या डिफेक्ट था? क्या काम ठीक नहीं कर रहा था? अगर यह बताया जाता तो आधार समझ में भी आता। लेकिन यह बतलाया नहीं गया। मैं समझता हूं कि जो रवैया चल पड़ा है जितनी भी पावर्स हों विभिन्न कामों के लिये या जो भी बोर्ड या कमेटी सेटअप करें उनमें हम सरकार का यह रवैया देखते हैं कि उन सब लोगों के हाथ से शक्ति को हटा लिया जाय और उस शक्ति को सरकार में केन्द्रीभूत किया जाय। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसी तरह आप देखेंगे कि यहां एक बिल पुनःस्थापित होने वाला है, "उत्तर प्रदेश महिला तथा बाल संस्था (नियंत्रण) विधेयक"। इसमें भी बोर्ड की स्थापना होने वाली है। इसमें भी आप देखेंगे कि उसका प्रेसीडेंट नामिनेटेड होगा। इसी प्रकार से जो शिक्षण संस्थायें हैं उनमें जो बोर्ड बनाने की बात रक्खी है, वहां भी यही बात सामने आती है कि वह गवर्नमेंट से नामिनेट हों। तो आखिर हम इस संस्था को स्वतंत्र रखना चाहते हैं या नहीं यह एक आधारभूत प्रश्न है। मैं नहीं समझता हूं कि आखिर छोटे-मोटे कारणों से इन अधिकारों को बोर्ड्स के हाथों से खींचते जायें और किन्हीं और कारणों से सरकार यह शक्ति लेती जाय ताकि सरकार उनको नामिनेट कर सके—एक बोर्ड बना हुआ है, काम कर रहा है और ठीक से कार्य कर रहा है, तो आखिर जरूरत क्या पड़ी कि हम उसके प्रेसीडेंट को गवर्नमेंट के द्वारा नामजद करें। इससे बहुत सी शंकायें पैदा होती हैं। जब वह काम वैद्यों पर छोड़ दिया गया था कि वैद्य और हकीम अपना काम चलाएं, अपने कार्य को समुन्नत बनायें, तो वह एक अच्छे तरीके से इस काम को कर सकते थे और कर रहे थे। लेकिन आपने वह पावर उनकी करटेल कर के यह काम ऐसा किया है जिसकी वजह से वह बोर्ड एक निर्जीव सा हो जायगा और आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा-पद्धति जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको एक बड़ा धक्का लगेगा। अभी मुझे ऐसा मालूम हुआ कि पिछला बोर्ड जो कायम था उसके प्रेसीडेंट का चुनाव हुआ। उस चुनाव में जैसा कि चुनाव में हुआ करता है झंझट हुआ। वैद्य चाहते थे कि किसी एक प्रतिष्ठित वैद्य को चुना जाय। लेकिन कुछ और इंटरेस्टेड लोग जिसमें सरकार के लोग थे चाहते थे कि नहीं दूसरा आदमी चुना जाय। खैर यह चुनाव होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। उससे कोई बात पैदा नहीं होती है। लेकिन उसमें गवर्नमेंट को अपनी पावर युटिलाइज नहीं करनी चाहिए। हम बोर्ड के संगठन को इस प्रकार छिन्न-भिन्न कर दें या उसकी सारी पावर्स को सरकार के हाथों में सौंप दें उस तरीके से आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा-पद्धति को कोई बल नहीं मिलने वाला है बल्कि वैद्यों और हकीमों को एक ठेस लगने वाली है। इस पर विचार करने की बात है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य केवल बोर्ड के प्रेसीडेंट को नामिनेट करने का था। दूसरी जो भी सिफारिशें हमारी इस कमेटी ने की हैं कि किस तरह से भारतीय चिकित्सा पद्धति को समुन्नत किया जाय आदि-आदि, उनकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर कमेटी ने जो अन्य सिफारिशें की हैं इन पर क्या किया गया है। उन्होंने जहां तक आयुर्वेदिक चिकित्सा की एजुकेशन के बारे में सिफारिशें की हैं

[ श्री तेज प्रताप सिंह ]

जैसे उसमें उन्होंने कहा कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां रिसर्च हो सके। रिसर्च इंस्टीट्यूट में समझता हूं कि न आपने कोई खोला है न आपका ऐसा कोई विचार है कि उसके द्वारा वैज्ञानिक खोज व अन्वेषण किया जाय। तो आखिर इसमें जो एक संस्था आपने बनायी है उसको भी हथियाना चाहते हैं, इस लेजिस्लेशन के द्वारा तो किस आधार पर? कोई आधार नहीं है। जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसने भी इस बात की सिफारिश की है कि उसके प्रेसीडेंट को चुनाव द्वारा चुना जाय। लेकिन आपने उसको नामिनेटेड कर दिया। मैं चाहता हूं कि इसको गवर्नमेंट को स्वीकार करना चाहिये कि यह चुनाव मेम्बरों पर ही छोड़ दिया जाय और मेम्बर ही प्रेसीडेंट का चुनाव करें। दूसरी बात मैंने अपने संशोधन में यह रखी है कि चार मम्बर जो गवर्नमेंट के द्वारा नामिनेटेड हों उनमें एक तो शेड्यूल्ड कास्ट का हो, और दूसरा बैकवर्ड क्लासेज का हो और बाकी में एक वैद्य और एक हकीम। इसलिये मैं हम चाहते हैं कि आप जो बोर्ड में नामिनेशन करें उसमें भी आपके हाथ बंधे हों कि आप वैद्यों और हकीमों को ही उसका मेम्बर बनायें। आखिर वह बोर्ड आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों के लिये है। उसमें सबसे अच्छी सलाह और उसका संचालन वैद्य और हकीम ही कर सकते हैं। फिर आप ऐसी पावर क्यों लेना चाहते हैं कि पांच मेम्बर जिसको आप चाहें नामिनेट कर दें। मेरी समझ में यह चीज नहीं आती है। और इसीलिये यह संशोधन रखा है कि चार व्यक्ति ऐसे चुने जायं जिसमें एक वैद्य, एक हकीम, एक बैकवर्ड क्लासेज का और एक शेड्यूल्ड कास्ट्स का हो। इन दो क्लासेज के लिए खास तौर से प्राविजन रखा है। उसके विशेष कारण हैं।

आप देखेंगे कि जो यह आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा पद्धति है वह सस्ती है और सरल है। इससे ज्यादातर सम्बन्ध शेड्यूल कास्ट का और बैकवर्ड क्लासेज का है जो देहात में रहते हैं। उनकी चिकित्सा आयुर्वेद और यूनानी पद्धति के मानने वाले लोग ही करते हैं। तो उनका भी रिप्रजन्टेशन हो सके, वे भी अपने इंटरेस्ट्स को देख सकें इस बोर्ड में रह कर। इसलिये अनिवार्य है कि ये दो तबके उसमें रिप्रेजेंटेड रहें। इसके अलावा पहले भी जो आपके बोर्ड का संगठन था जो मूल अधिनियम में व्यवस्था थी उसमें भी लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर्स थे। तो मैंने भी इसमें रखा है दो मेम्बर्स इस विधान सभा द्वारा चुने जायं। एक मेम्बर लेजिस्लेटिव काउन्सिल का हो। पिछले अधिनियम में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मेम्बर्स द्वारा चुने हुए कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे। इसलिये मैंने यह भी रखा है कि दो मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों द्वारा चुने हुए हों। एक मेम्बर म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। यह भी इसी आधार पर है। क्योंकि पहले म्युनिसिपल बोर्डों के मेम्बर्स द्वारा चुन हुए मेम्बर हुआ करते थे और फिर जो फैकल्टीज खुली हुई हैं इंडियन मेडिसिन्स की यूनिवर्सिटीज में उनका भी एक-एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। यह भी अनिवार्य है। यह तो आपने इस विधेयक में भी माना हुआ है।

दूसरे जो दो मेम्बर हम चाहते हैं स्टेट के तमाम आयुर्वेदिक एजूकेशन के देने वाले इंस्टीट्यूशन्स के टीचर्स द्वारा वे भी आवश्यक हैं, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए। वह भी मैंने रखा है। यूनानी सिस्टम में जो शिक्षा देते हैं उनका भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए बोर्ड में, इसका भी ख्याल रखा गया है और ७ मेम्बर जो रखे हैं जिसमें ४ वैद्य होंगे और ३ हकीम होंगे वे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बाडीज की सर्विस में से न हों। उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए क्योंकि आखिर इतनी प्राइवेट डिसपेंसरीज हैं उनका भी रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में होना चाहिये जबकि उनकी देख-रेख व सहायता इस बोर्ड के अधीन है। तो इस प्रकार से करीब २३ मेम्बर्स इस बोर्ड के हो जाते हैं। आपने भी करीब २० या २१ मेम्बर्स रखे हैं इस बोर्ड के २३ मेम्बर्स हो जाते हैं और २३ में ये तमाम विभिन्न इंस्टीट्यूशन्स आ जाते हैं, इसको कवर अप करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसको फिर मैं दोहराना चाहता हूं, वह यह है कि जो इसका प्रेसीडेंट होगा उसको चुना हुआ होना

चाहिये। मुझे इतनी स्पीचेज हुईं यह नहीं बताया गया कि आखिर यह नामजद क्यों हों। और यह जो सरकार की नीति बराबर इधर चल रही है कि जितनी भी संस्थायें हों, जितनी भी कमेटीज हों, उनके प्रेसीडेंट नामजद हों, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस तरीके की केन्द्रीकरण करने वाली व्यवस्था कहां तक ठीक है और कहां तक आप इन तमाम चीजों की इस प्रकार की नीति से उन्नति कर सकेंगे। इसलिये इन तमाम उपरोक्त कारणों से मैं चाहता हूं कि यह जो कांस्टीट्यूशन है जिसका विधान मैंने संशोधन द्वारा पेश किया है इसको माननीय मंत्री जी जरूर स्वीकार करेंगे।

**श्री जगन्नाथ मल्ल** (जिला देवरिया)--मान्यवर, माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है उसमें मैं कुछ संशोधन करना चाहता हूं। वह यह है कि उनके संशोधन में से (v) व (vi), जोकि इस प्रकार हैं, निकाल दिये जायं:--

"(v) Two members elected by all the members of the District Boards of the State in the prescribed manner.

(vi) One member elected by all the members of the Municipal Boards of the State in the prescribed manner".

और जितना है उसका मैं समर्थन करता हूं इस संशोधन के साथ। श्रीमन् जहां तक कि सरकार न जो यह संशोधन पश किया है उसके देखने से ऐसा मालम होता है कि सरकार की जो नीति है कि जिस तरह स हो पावर अपने हाथ में लो, जो भी बोर्ड बने उसको एक पपेट बोर्ड बनाकर कर रखो। ऐसी सरकार की मंशा है क्योंकि जो ओरिजिनल ऐक्ट है उसमें ऐसा दिया हुआ है कि यह बोर्ड जो है खुद अपना चेयरमैन चुनेगा, लेकिन जो सरकार के पेश किये हुए संशोधन द्वारा सरकार यह अख्तियार बोर्ड से लेकर खुद चाहती है कि हम नामिनट करें।

**श्री अध्यक्ष**--यह जो आपका संशोधन है इसका नोटिस नहीं है। यह आपको पहले भज देना चाहिये था। तो अब इसके लिये मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि किसी को आपत्ति तो नहीं है इनके संशोधन के पेश करने में?

(एक क्षण बाद)

कोई आपत्ति नहीं है। तो आप पेश कर सकते हैं और आप मुझे उसके शब्द लिखित भेज देंगे।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**--श्रीमन् तो मैं कह रहा था .....

**(नियोजन मंत्री) श्री चन्द्रभानु गुप्त**--अध्यक्ष महोदय, क्या कोई आप नया संशोधन अब दे रहे हैं जो छपा नहीं है?

**श्री अध्यक्ष**--वह तो अब मैं पूछ चुका। उस वक्त आप खड़े नहीं हुए अब आपत्ति आप नहीं कर सकते।

**श्री जगन्नाथ मल्ल**--श्रीमन्, मैं कह रहा था कि सरकार इस तरह से जबानी तो कहती है कि हम पावर को डिसेंट्रलाइज करने जा रहे हैं लेकिन जो मनोवृत्ति है जो सरकार कार्य कर रही है उस कार्य के अनुसार ऐसा मालूम होता है कि सरकार सारे पावर को अपन हाथ म लेना चाहती है। यहां तक कि जो एक छोटा सा बोर्ड है जो कि यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं के हकीम वगैरह को रजिस्टर करेगा, और उसकी देखभाल करेगा, उसका जो बोर्ड है उसकी भी सारी पावर सरकार ले लेना चाहती है। तो यह मेरी समझ में नहीं आया कि किस कारण सरकार यह अख्तियार अपन हाथ में लेना चाहती है कि प्रेसीडेंट का चुनाव बोर्ड न कर, वह सरकार नामिनेट करे। यह सरकार कहे कि यह करने से पार्टीबाजी कम होगी तो यह तो कोई समझन की चीज नहीं ह कि अगर सरकार नामिनेट

[ श्री जगन्नाथ मल्ल ]

करेगी तो पार्टीबाजी नहीं होगी और बोर्ड के लोग करेंगे तो पार्टीबाजी होगी यह तो कोई दलील नहीं है। माननीय मंत्री जी उठेंगे तो वह बतलायेंगे कि वह क्यों इसका अमेंडमेंट कर रहे हैं? फिर उसके बाद मुझे यह देखने को मिला। उसमें जो पिछला ऐक्ट है उसमें विधान सभा के सदस्य और कौंसिल के सदस्य भी थे। मैं यह नहीं कहता कि हम लोगों को उस बोर्ड में जाने का अख्तियार मिल जाय, लेकिन कारण क्या है कि इन सदस्यों को हटाया जा रहा है। विधान सभा और कौंसिल के मेम्बर न जायं इसका कारण क्या है? वैसे तो श्रीमन्, दो ही आदमी जायेंगे। उसमें अपोजीशन को तो कोई मौका है नहीं बोर्ड में जाने का क्योंकि दो आदमियों में हमारे आदमी जा नहीं सकेंगे। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि हमारे इस सदन के जो लोग.....

श्री अध्यक्ष---यह तो आपका कहना गलत है। समझौते से सब हो सकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--तो हमारे सदन के जो लोग इसके जानकार हों उनको मौका रहना चाहिए कि वह भी जा सकें, उनको हम वहां भेज सकें ताकि वह अपनी ठीक-ठीक सलाह वहां दे सकें और वहां क्या गड़बड़ियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, वह वहां की दिक्कतों को आकर हम लोगों को बतला सकें ताकि उसके मुताबिक हम अपना कार्य इस विषय में अच्छी तरह से इस सदन में कर सकें। तो मैं समझता हूं कि यह अख्तियार नहीं लेना चाहिये सरकार को इस सदन का और इसी सदन के द्वारा अपने लोहे के डंडे के बल पर, अपने बहुमत के बल पर। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस सदन को यह अख्तियार होना चाहिये कि वह अपने नुमाइंदे को इस बोर्ड में भेज सके। जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड का सवाल है, ठीक है। उसके भी नुमाइंदे होने तो चाहिए।

लेकिन श्रीमन्, उसके चुनाव में और चुनाव कराने में बड़ी ही दिक्कत होगी और बहुत ही व्यय होगा। इस कारण मैंने यह कहा कि यह चीज इसमें से निकाल देनी चाहिये, क्योंकि ५२ जिले हैं। नहीं, शायद ५० जिले हैं।

श्री अध्यक्ष--दोनों गलत हैं। ५१ हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--ठीक है, ५१ हैं। तो जितने म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं उनके जो मेम्बर हैं, उनसे चुनाव कराया जाय तो इसमें काफी खर्चा होगा। अगर उसमें कोई ऐसा आदमी है, तो सरकार उसे नामिनेट करे, लेकिन इस तरह से बोर्ड बनाने के लिये तमाम जगह एलेक्शन कराया जाय, यह तो अच्छा नहीं मालूम होता और इसमें काफी खर्चा होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं वह चुनाव करें, इस चीज को निकाल देना चाहिये। आपने जो संशोधन पेश किया था वह बहुत ठीक है और प्रेसीडेंट के चुनाव की बात वह भी ठीक है। लिहाजा यह दो धाराएं निकाल देने से यह ठीक हो जाता है

मैं नहीं समझता कि सरकार इस तरह का संशोधन क्यों लाई है। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इस चीज को मान लेगी और माननीय तेज प्रताप मेरे इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लेंगे इस वास्ते कि सभी लोग ऐसा न समझें कि यह सरकार बोर्ड को एक पपेट बोर्ड बनाना चाहती है और जितनी पावर है वह अपने हाथ में ले लेना चाहती है।

श्री अध्यक्ष--माननीय धर्म दत्त वैद्य, आप एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं। यह नया संशोधन है, अगर इसमें किसी को एतराज न हो तो मैं आपको इजाजत दूंगा। मैं उसे पढ़ कर सुनाये देता हूं, वह इस प्रकार है--

खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) के सब-क्लाज (iii) को हटाकर, निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय--

"(iii) One member each from a University established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine to be elected in the manner prescribed by the Faculty."

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे मंजूर है, इसकी भाषा अच्छी है।

श्री नवल किशोर--श्रीमन्, मैं इसे उपस्थित कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ की धारा ५ की उपधारा (१) के सब-क्लाज (iii) को हटाकर निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय--

"(iii) One member each from a University established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty concerned with the Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine to be elected in the manner prescribed by the Faculty."

श्री नारायण दत्त तिवारी--यह क्या तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन पर संशोधन है? किस पर है?

श्री अध्यक्ष--वह तो नया संशोधन उपस्थित कर रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--पहले उस पर बहस हो जायगी तब दूसरा पेश हो सकता है?

श्री अध्यक्ष--ठीक है। (श्री नवल किशोर से) आप जरा रुक जायं।

(संशोधन पर विचार स्थगित किया गया।)

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)--अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र तेजप्रताप सिंह जी ने जो अमेंडमेंट पेश किया है मैं उसका विरोध करता हूं। अभी उस तरफ से मल्ल जी ने फरमाया कि सरकार उसको एक पपेट बोर्ड बनाना चाहती है, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट किसी भी बोर्ड को पपेट नहीं बनाना चाहती है।

गवर्नमेंट अब यह चाहती है कि वहां न लेजिस्लेचर के मेम्बर रहें न म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर रहें। जब गवर्नमेंट हटती है तो ये उसमें इन होना चाहते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि वहां बेस्ट मेडिकल मेन को न रखें, नान-मेडिकल मेन को नहीं जैसे कि एक प्रस्ताव आ रहा है कि वहां मेडिकल मेन रखे जायं और लेमेन को न रखा जाय। जोरावर वर्मा जी का जो छोटा-सा संशोधन है वह इस प्रकार है:--

"The Board shall consist of....

श्री अध्यक्ष--अब आप उसको दोहरायें नहीं।

श्री शिवनारायण--तो अध्यक्ष महोदय बोर्ड कोई म्युनिसिपल बोर्ड नहीं है न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड य असेम्बली है कि प्रेसीडेंट मेम्बर चुने। वह तो एक छोटा सा बोर्ड है कि दवा-दारू का काम ठीक चले और सरकार एक मुनासिब आदमी को जो उस साइन्स का जानता हो नामिनेट करेगी। इसमें कौन सी पावर गवर्नमेंट अपने हाथ में छीने ले रही है जिससे मल्ल जी को बहुत परेशानी है। मल्ल जी कहते हैं कि विधान सभा के सदस्य उस बोर्ड में रहें। मैं तो विरोध करता हूं कि न तो कोई विधान सभा का मेम्बर उसमें रहे और न म्युनिसिपल बोर्ड का और न डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। वहां वही आदमी रहे जो वाकई उस चीज को जानता हो, जो एलोपैथी और आयुर्वेदिक में प्रवीण हो, जो मेडिकल कालेज का पढ़ा हो। वहां पर कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं बना है। बोर्ड तो इसलिये बनाया गया है कि सही माने

[श्री शिव नारायण ]

में देश और समाज का कल्याण हो और देश में जितनी बीमारियां हैं उनको देखते हुए हम को एक सुयोग्य आदमी वहां रखना है, जिससे कम पैसे में लोगों का काम चल जाय। यह सीधी सी बात है, न कोई पावर लेने की बात है न देने की बात है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो दो संशोधन उपस्थित किए गए हैं मैं इन दोनों का विरोध करता हूं। इन संशोधनों में प्रैक्टिकली वही रखा गया है कि जो सन् १९३९ के अधिनियम में था। जिस तरह से उसमें मेम्बर रखे गए थे उसी तरह से इनमें मेम्बर रखे गए हैं सिर्फ तादाद में अन्तर कर दिया गया है। जो अब विधेयक आया है वह उससे कहीं अच्छा है क्योंकि उसमें २१ सदस्यों में ५ को छोड़ कर बाकी सब वैद्य और हकीम होंगे। ३ यूनिवर्सिटी से होंगे और ३ जो और संस्थायें हैं उनसे होंगे और ९ वैद्य और हकीमों में से चुने जायेंगे। यह कहीं अच्छा है बनिस्बत इसके कि लेजिस्लेचर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड से सदस्य जायं। यह एक टेक्निकल विषय है जिसको वैद्य और हकीम ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसमें लेजिस्लेचर्स पार्टी के, जो एक राजनीतिक संस्था है, सदस्य होने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यह भी सही है कि अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर रखे जायेंगे तो उनके चुनाव में बड़ी कठिनता होगी। इसलिये यह हिस्सा किसी तरह भी ठीक नहीं बैठता।

सबसे बड़ा आक्षेप यह है कि प्रेसीडेंट पहले चुनाव से रखा गया था अब नामिनेशन से रखा गया है। यह आक्षेप किया गया कि सरकार सारी सत्ता को अपने हाथ में लेना चाहती है इसलिये यह किया गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो आज सरकार है वह भी एलेक्टेड है या नहीं। जिस तरह प्रजातंत्र राज्य चलता है उसमें जो दल बहुसंख्या में होता है उसी की सरकार होती है। इसीलिये यह चुनी हुई सरकार है। तो यह कहना कि यह डेमोक्रेसी के विरुद्ध है या सारी सत्ता गवर्नमेंट ले रही है यह गलत है। आज कांग्रेस दल हुकूमत में है मुमकिन है कि कल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का बहुमत हो और उनके हाथ में हुकूमत चली जाय। यह तो राजनीतिक दल है किसी के हाथ में हुकूमत जा सकती है और यह एक पद्धति है इसलिये इसको डेमोक्रेटिक मानना पड़ेगा।

एक चीज और कही गयी कि इस बोर्ड में एक शिड्यूल कास्ट का हो और एक पिछड़ी जाति का हो। तो यह ठीक नहीं है क्योंकि यह कोई राजनीतिक संस्था नहीं है, बल्कि यह तो वैद्यों और हकीमों की संस्था है। आयुर्वेदिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा प्रणाली को उन्नत किया जाय यह इसका उद्देश्य है, इसलिये इसमें यह भेद करना कि एक हरिजन हो या एक पिछड़ी जाति का हो, इसको कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिये इन दोनों संशोधनों का, जो हमारे मित्रों ने उपस्थित किए हैं, मैं विरोध करता हूं।

श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोराव वर्मा और तेजप्रताप सिंह जी के संशोधनों का विरोध करता हूं। वैद्य समाज की हमेशा से मांग रही है कि इंडियन मेडिसिन बोर्ड में वैद्यों और हकीमों के अतिरिक्त किसी और के स्थान नहीं होना चाहिये। हम लोग जानते हैं कि एलोपैथी बोर्ड में एलोपैथों के अलावा दूसरे सदस्यों को नहीं रखा जा सकता है, इसी प्रकार होम्योपैथिक बोर्ड में होम्योपैथों के अलावा किसी और को नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार इंडियन मेडिसिन बोर्ड में वैद्यों और हकीमों के अलावा और किसी को न रखा जाय। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार इस बात को मानने के लिये उत्सुक है। इस सिद्धांत के आधार पर मैं तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें दूसरे लोगों की गुंजाइश है। यह तर्क इतना प्रबल है कि और किसी बात के कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी उद्देश्य को लेकर हमने अगला संशोधन नंबर ५ पर रखा है, इसके द्वारा आशा की गई है कि बोर्ड के सभी सदस्य वैद्य और हकीम होंगे। सरकार की तरफ से भी २१ सदस्यों का प्रस्ताव है जिसमें १६ वैद्य या हकीम होंगे। केवल ६ अन्य सदस्य हैं जिनके लिये संशोधन है। अवश्य ही इसका प्रेसीडेंट वैद्य ! और ५

नामिनेटेड सदस्य होंगे वह भी वैद्य या हकीम ही रखे जायं। इसलिये हमें इस बात पर जोर देना है कि बोर्ड का संगठन ऐसा हो जिसमें सब वैद्य या हकीम हों। इन शब्दों के साथ मैं विरोध करता हूं।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि संशोधन के द्वारा इस बात के साबित करने की चेष्टा की गई है कि सरकार ऐसा बोर्ड बनाना चाहती है जिसमें उसका ही अधिकार रहे और जिस प्रकार से वह कार्य करना चाहती है उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा कराये जो बोर्ड के सदस्य होंगे। मैं नहीं जानता कि जो बोर्ड का प्रस्तावित विधान है, उससे कहां कोई ऐसी बात निकलती है। खेर कमेटी की दुहाई दी गई, मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि खेर कमेटी के द्वारा प्रस्तावित विधान की ओर ध्यान दें और जो इस विधेयक में विचार रखा गया है उसको गंभीरता से अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार ने इस बोर्ड में वैद्य और हकीमों की अधिक संख्या सम्मिलित कर ली है और जहां तक खेर कमेटी ने वैद्यों और हकीमों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया था उससे कहीं अधिक संख्या में यह प्रस्तावित विधान वैद्यों और हकीमों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रदान कर रहा है। ऐसी अवस्था में इस बात का चर्चा करना कि सरकार अपना अधिकार स्वयं बोर्ड के ऊपर जमाना चाहती है, ऐसी बात है जिसमें न तो कोई मूल है और न जिसके पीछे कोई भावना छिपी हुई है। मैं इसलिये सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा कि इस प्रकार की निर्मूल भ्रांति को यदि वह अपने बीच में जगह देते हैं तो यह सही बात नहीं है। सरकार तो वही बात करना चाहती है जिसका जिक्र अभी माननीय मदन गोपाल जी वैद्य ने किया। वह स्वयं वैद्य सम्मेलन के सदस्य हैं और सदा इस सदन में वैद्यों की मांगों को उपस्थित करते रहते हैं। तो यदि आज वैद्य समाज की यह मांग है कि उनके बोर्ड में बाहर के आदमी न रहें तो यह एक उचित मांग है और सरकार ने उस उचित मांग को स्वीकार किया है क्योंकि जैसा अभी वैद्य जी ने स्वयं बताया कि ऐलोपैथ्स का जो बोर्ड है उसमें किन्हीं में कोई असेम्बली का सदस्य नहीं रखा गया है, न जिला बोर्डों से चुने हुए ही कोई व्यक्ति रखे गए हैं। उनमें डाक्टर ही हैं और अभी थोड़े दिन हुए जब इस सदन ने स्वयं होम्योपैथिक बोर्ड के सिलसिले में भी यह निर्धारित कर दिया है कि होम्योपैथिक बोर्ड का कोई आदमी बाहर का नहीं होगा, उसके सदस्य सिर्फ होम्योपैथ्स ही रह सकेंगे, तो मुझे नहीं मालूम देता कि क्यों माननीय सदस्य उस नीति में परिवर्तन करना चाहते हैं जिसे स्वयं इस सदन ने एलोपैथ्स के सिलसिले में और होम्योपैथ्स के सिलसिले में निर्धारित कर दिया है। मैं समझता हूं कि इस बोर्ड को जैसे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को रखने का अधिकार है, जैसे प्रोफेशनल एटीकेट को निर्धारित करने का अधिकार है, उसमें बाहर के किन्हीं व्यक्तियों को अधिकार नहीं रहना चाहिये। जब खेर कमेटी की रिपोर्ट लिखी गई थी उसमें बोर्ड का निर्माण कई ढंगों से किया गया था और उसके सामने कदाचित उस समय के वैद्यों की मांग नहीं थी जोकि अब वैद्यों की मांग इस विधान में मंजूर की गई है और जिस मांग की तहत में प्रस्तावित धारा सरकार ने सदन के विचारार्थ उपस्थित की है। मैं समझता हूं कि जो नीति हमने और सदन ने पिछले वर्षों में एलोपैथ्स के लिये और होम्योपैथिक के लिये मंजूर की है उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये और हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये कि वैद्य-हकीमों के बोर्ड में हमें अधिकांशतः वही सदस्य रखने चाहिये जोकि उस प्रोफेशन से संबंध रखते हों, उस रोजगार से संबंध रखते हों और जिन्हें उन विषयों की जानकारी हो जिन विषयों को सम्पन्न करने के लिये, पूरा करने के लिये, या निर्णय करने के लिये यह बोर्ड बनाया जाता है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं जिस संशोधन को अभी हमारे समक्ष विचार करने के लिये हमारे एक साथी ने उधर से उपस्थित किया है। सरकार ने खेर कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ जो सभापति को स्वयं मनोनीत करने की बात अपनायी है या मंजूर की है उसके पीछे भी कोई और भावना छिपी हुई नहीं है। वह भी उसी नीति की तहत में बात रखी गई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

है जिस नीति को सरकार ने और इस सदन ने स्वतः एलोपैथ्स और होम्योपैथ्स के सिलसिले में मंजूर कर लिया है।

होम्योपैथिक बोर्ड का जब निर्माण इस सदन के द्वारा स्वीकृत हुआ तो उस समय भी जो उसके सभापति होने वाले हैं उसमें भी इस सदन ने उसी की सरकार द्वारा मनोनीति करने की आज्ञा प्रदान की है और विधान में उसी प्रकार का उसने परिवर्तन कराया है। एलोपैथिक बोर्ड के बारे में इन वर्षों में यही नीति इस सदन की चली आ रही है और आज भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो क्या कारण है कि जो वैद्य और हकीमों का बोर्ड बनेगा उसमें हम कोई दूसरी नीति निर्धारित करें? आखिर इन बोर्ड वगैरह में यही आवाज उठायी जाती है कि वैद्य और हकीमों के वही अधिकार होने चाहिये जोकि एलोपैथिक बोर्ड के हैं। तो जब वह अधिकार मांगने की बात उठती है तो जो प्रबन्ध एलोपैथिक के सिलसिले में है और होम्योपैथिक के सिलसिले में हम मंजूर कर चुके हैं तो उसी प्रकार का प्रबन्ध यदि हम यूनानी में हिकमत करने वाले तथा आयुर्वेद में वैद्यक करने वालों के ऊपर हम लगाने वाले हैं तो उसमें हम आपत्ति क्यों करें? इसमें कोई रैशनल क्राइटेरियन दिखाई नहीं पड़ता है। इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं है। उसमें राजनीतिक दृष्टिकोण से हम कोई बात खड़ी कर दें तो यह बात ठीक नहीं है और न यह सत्यता के नजदीक हमें ले जाने वाली है। आखिर यह तमाम विधेयक जो सदन के सामने समय-समय पर आयुर्वेद के संबंध में प्रस्तुत किए गए उनका क्या मन्शा रहा? उनका मंशा तो यही रहा है कि हम आयुर्वेद के प्रसार के लिये ऐसी व्यवस्था बनायें जिससे आयुर्वेद विकसित हो, जिससे आयुर्वेद के लिये जो साधन मुहैया नहीं थे वह अधिक मात्रा में मुहैया किये जायं और आज क्या इस सदन का कोई ऐसा सदस्य है जो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जहां तक आयुर्वेद का संबंध है उसके प्रसार के लिये इस प्रकार के कार्य किये हैं जो अन्य प्रदेशों में इस देश में अभी तक नहीं बरते गए हैं और न विकसित करने के लिये उस प्रकार के साधन मुहैया किए गए हैं। आखिर क्यों? क्या यह प्रदेश उन प्रदेशों में नहीं हैं जिसने पहली बार यह निर्णय किया हो कि हम एक आयुर्वेद की फकल्टी बनायें और एक आयुर्वेद का कालेज बनाय और आयुर्वेद की शिक्षा इस प्रकार से संचालित करने का प्रयास करें जिससे आयुर्वेद विकसित हो? क्या यह प्रदेश ऐसा नहीं है जिसने स्वतः बिना किसी जोर के अपनी इच्छा से यह निर्णय किया कि हम उन आयुर्वेद के पंडितों को जोकि विभिन्न विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके निकलेंगे और नौकरी वह सरकार की करेंगे उनको गजटेड स्टेटस प्रदान किया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जिसने ऐसा प्रयास किया हो कि वैद्यों को गजटेड स्टेटस प्रदान किया जाय? इसी वर्ष के बजट में हमने जो आयुर्वेद के इंस्पेक्टर हैं उनको गजटेड स्टेटस प्रदान किया है। और हमारे जो ऐसे वैद्य थे जोकि हमारे बड़े-बड़े आयुर्वेदिक अस्पतालों में काम करते हैं और जो काफी सीनियर हैं उनको हमने गजटेड स्टेटस की मान्यता प्रदान की है। तो आज हमारी नीयत पर क्यों शक किया जाता है। बराबर प्रदेशीय सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिये वह नीति बरतती रही है जिससे आयुर्वेद का विकास हो और विकास होकर जो उसमें गुण हैं, जो अच्छाइयां हैं, वह इस प्रदेश के रहने वालों के बीच में पैदा की जायं, तब बार-बार सरकार की नीयत पर हमला करना कि सरकार यह इसलिये करना चाहती है कि वह अपने अधिकारों में वृद्धि करना चाहती है। मैं समझता हूं कि यह अदूरदर्शिता की बातें हैं और इनका संबंध सरकार जो कार्य रोजमर्रा आयुर्वेद के विकास के संबंध में कर रही है, उससे नहीं है। मैं सदन के समक्ष यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हमने प्रेसीडेंट को नामजद करने की नीति को अपनाया है तो हमने उसको उसी नीति के तहत अपनाया है जिस नीति के तहत और जो चिकित्सा पद्धतियां हमारे प्रदेश में चल रही हैं उनके प्रेसीडेंट्स को नियत करने के

लिये अपनायी गयी हैं। मैं इसके सिलसिले में एक बात और कह देना चाहता हूं कि आज आयुर्वेद का इम्तहान है क्योंकि आयुर्वेद को एलोपैथी वाले अर्थात् वे लोग जोकि अपने को वैज्ञानिक मानते हैं, स्वीकार भी नहीं करते तो अगर कोई ऐसा बोर्ड बनाया जाता है जिसमें उसके सदस्य चुनाव के झगड़ों में लगे रहें और वे लोग उनका मजाक करें तो वह कोई तारीफ की बात न होगी उनके लिये जोकि इस आयुर्वेद पद्धति को विकसित करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कभी आयुर्वेद का मजाक उड़ाया जाय। इसीलिये हमने बोर्ड के लिये ऐसी परम्परा बनायी है। हम चाहते हैं कि बोर्ड में ऐसी परम्परायें स्थापित हों जिससे बोर्ड उत्तरोत्तर विकसित होसके और उसकी ट्रेडीशन्स उसी प्रकार की कायम हों जिस प्रकार से और प्रोफेशन्स की हो रही हैं। इसलिये हमने जानबूझ कर एलोपैथी और होमियोपैथी के लिये जो नियम बनाये हैं उसी प्रकार के नियम इसके लिये भी बनाये जिससे इन दोनों पद्धतियों के बोर्डों में कोई अन्तर दिखायी न पड़े। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रकार के बोर्ड में हरिजनों के लिये अधिकार सुरक्षित नहीं रखे हैं। वह इसलिये नहीं रक्खा है कि हम समझते हैं कि इस प्रकार करने से कमजोरी आती है। ऐसा करने से उस बोर्ड की अहमियत कम होती है। आखिर हम चाहते हैं कि बोर्ड में उत्तम से उत्तम लोग चुन कर आयें जिससे वे लोग बोर्ड का संचालन उत्तम से उत्तम रीति से कर सकें। उसमें ऐसे ही लोग आयें जोकि अपने प्रोफेशन में एक ऊंचा स्थान रखते हों, अपने प्रोफेशन्स की ट्रेडीशन्स को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हों। जब हम किसी बोर्ड को इस प्रकार का रखने का प्रयास करते हैं तो अगर उसमें यह रख देते हैं कि अमुक वर्ग के इतने व्यक्ति और अमुक वर्ग के इतने व्यक्ति आयेंगे तो उसमें एक प्रकार से कमजोरी आ जाती है। वह बोर्ड के अन्दर एक कमजोरी पैदा कर देगी जिसको हम इस बोर्ड में देखना नहीं चाहते हैं। इसलिये इस बोर्ड के लिये हमने इस प्रकार की नीति अपनाने की बात कही है कि जिससे उसमें कोई कमजोर व्यक्ति न आने पाये। इससे आयुर्वेद और तिब्बी का भला होने वाला भी नहीं था। और अगर हम इस संशोधन को न करते तो कदाचित हम उस स्तर को अपने बीच में कायम न रख सकते जिसको हम इस बोर्ड की रचना करके कायम करना चाहते हैं। हम तो इसमें केवल ऐसे व्यक्तियों को चाहते हैं कि जो एकेडेमीशियन्स हों, अपने प्रोफेशन्स में उच्च स्थान रखते हों, अपने प्रोफेशन्स में और बाहर भी मान्यता रखते हों। इसलिये आज यह कहा कि इस बोर्ड के निर्माण में जो बात छिपी हुई है सरकार को प्रभुत्व प्रदान करने वाली है। लेकिन मैं तो बता देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात इसमें छिपी हुई नहीं है। सरकार जो इस पद्धति को विकसित करने के लिये और इसकी सेवा करने के लिये ५—७ वर्षों से प्रयास कर रही है वही आज भी करने को उद्यत है और आगे भी उद्यत रहेगी।

## १४ दिसम्बर, १९५५ को सूर्य-ग्रहण की छुट्टी के लिये प्रर्थना

**श्री राजनारायण (जिला बनारस)**—अध्यक्ष महोदय, कल की छुट्टी के बारे में अभी कुछ निर्णय नहीं हुआ। आपने १ बजे के लिये कहा था।

**श्री अध्यक्ष**—अब सवा २ बजे इस बारे में फैसला हो जायगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

## उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ (क्रमागत)

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि वे संशोधन जोकि बोर्ड के निर्माण के विषय में सदन के विचारार्थ माननीय सदस्यों ने उपस्थित किए हैं वे अनावश्यक हैं क्योंकि सरकार की नीयत के ऊपर हमला करने की कोई आवश्यता नहीं है तथा यह एक निरर्थक सी बात है। न यही ठीक बात है कि जहां कोई माने न

[ श्री चन्द्रभानु गुप्त ]
निकलते हों वहां गलत मान निकाले जायं। जैसा मैंने कहा कि इस सरकार का तो बराबर यह प्रयास रहा है कि हिकमत और आयुर्वेद को पुनर्जीवित किया जाय और उसे प्रत्येक प्रकार से प्रोत्साहन देने की उसकी चेष्टा रही है और भविष्य में भी उसकी यह चेष्टा रहेगी। क्योंकि यह सरकार ऐसा महसूस करती है कि ऐसा विज्ञान जो अपने देश में सदियों से फैला रहा है उसको विकसित होने का अवसर मिलना चाहिये और यदि उस विज्ञान में कुछ तत्व की बातें हैं तो कोई कारण नहीं है कि जब उसे विकसित व होने का साधन मिलता हो, तो वह विकसित न हो सके। इसलिये हमने जो बोर्ड का विधान रखा है वह इसी भावना से प्रेरित होकर रखा है कि उसमें योग्य वैद्य सम्मिलित हो सकें और जो उसका सभापति हो वह ऐसा व्यक्ति हो जो बिना किन्हीं झगड़े के नियुक्त किया गया हो, बिना दौड़-धूप के नियत किया गया हो और ऐसा कार्य मैं समझता हूं कि सरकार कर सकती है जैसा कि उसने ऐलोपैथी और होमियोपैथी के सिलसिले में किया है। इसलिये हमें इस बात पर जोर नहीं देना चाहिये कि सरकार को उसी व्यक्ति को सभापति बनाना चाहिये कि जो सदस्यों द्वारा चुना जावे हमने अनुभव किया है कि जहां चुनाव के पचड़े सबसे बड़े अधिकारी के लिये होते हैं वहां उस अधिकारी को कार्य संचालन में काफी कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है और ऐसे बोर्ड के लिये जोकि उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग को अपनाना चाहता है यदि उसे इन पचड़ों से बचाना है तो वह तभी हो सकता है जब सरकार द्वारा मनोनीत ऐसे वैज्ञानिक या आयुर्वेद के पंडित उसके अध्यक्ष बनाये जायं जोकि उन सारे कार्यभारों को संभाल सकें जो इस बोर्ड का उत्तरदायित्व है और जिसे इस बोर्ड को निभाना है। मैं इसलिये नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं उन सदस्यों से जिन्होंने अपने संशोधन इस विषय में सदन के विचारार्थ उपस्थित किए हैं कि वे अपने इन संशोधनों को उपस्थित न करें और उस संशोधन को मान लें जोकि शाब्दिक है और जिसके द्वारा हमने जो शब्द अब तक प्रस्तावित धारा में रखे हैं वह कानूनी हो जाते हैं। मैं इसलिए अधिक और न कहता हुआ फिर से यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक का मंशा अपने प्रदेशों के वैद्यों और हकीमों को बोर्ड में खड़ा होने की नीति की तरफ ले जाने वाला है जिसे कदाचित् आयुर्वेद और तिब्ब का भला हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं जोकि प्रस्तावित धारा के विरुद्ध उपस्थित किए गए हैं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस नीति का विश्लेषण किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और वैद्यों, हकीमों के प्रति जो सद्भावना उन्होंने इस माननीय सदन के सम्मुख प्रकट की है उसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन जो बातें इस प्रस्तुत संशोधन के विरोध में कही गयी हैं, जो कारण दिए गए हैं उनसे मैं अपने को इस बात में असमर्थ पा रहा हूं कि पूरे तौर पर उन बातों का समर्थन कर सकूं। मैं समझता हूं कि बोर्ड का प्रेसीडेंट नामिनेटेड हो, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इलेक्टेड न हो यह बात मुझे अपनी छोटी सी सम्मति में उचित नहीं प्रतीत होती। उसका कारण यह दिया गया इससे पार्टीबन्दी होगी और इससे बोर्ड के काम में दिक्कत पैदा होगी। अगर यह बात मान ली जाय तो जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके ही मूल पर यह आघात पहुंचाती है। अगर इस दलील को हम मान लें तब तो फिर जहां-जहां भी चुन कर के प्रेसीडेंट या चेयरमैन होते हैं वहां-वहां सरकार अपने हाथ में यह अधिकार ले ले कि वे सब जगहें नामिनेटेड हों। गांव सभाओं में चुनाव हो रहे हैं, जो गांव सभाओं के सभापति होंगे वहां भी नामिनेशन की पालिसी अख्तियार की जाय, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमन और प्रेसीडेंट जो होते हैं उनको भी नामिनेटेड किया जाय और इस प्रकार से जहां-जहां भी चुनाव के जरिये से कोई प्रेसीडेंट या चेयरमैन हो झगड़ा बचाने के लिये गवर्नमेंट वहां नामिनेट करे, लेकिन यह सिद्धांत उचित नहीं प्रतीत होता। आज जनतंत्र में हम जनता के वोट से ही अपना शासन संचालित कर रहे हैं। हम अपने अधीनस्थ बहुत सी संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। यह दलील देना कि इंडियन बोर्ड आफ होमियोपैथी में जो बोर्ड है उसका चेयरमैन या प्रेसीडेंट

नामिनेटेड होता है यह तो कोई सिद्धांत की बात नहीं है क्योंकि जो मिसाल दी जाती है वह अगर अपनी जगह पर मुनासिबन हो तो उसका यह मतलब नहीं है कि जैसा हम किए हुए हैं वही करते रहें। हमको इस चीज को कंसीडर करना है और यदि हम समझते हैं कि यह चीज मुनासिब है कि बोर्ड अपने अन्दर से या बाहर से अपना चेयरमैन चुन ले तो फिर उसके अनुसार हम होम्योपैथी के बोर्ड में या और जगह जहां-जहां आवश्यक हो उस नीति का अनुसरण कर सकते हैं लेकिन यह कहना कि एक जगह जो हो चुका है, वही नीति हर जगह अपनाई जाय यह दलील कोई मानने वाली दलील नहीं है। मैं समझता हूं कि पहले जो इंडियन मेडिसिन ऐक्ट था उसमें जो बात रक्खी गई थी वह अपनी जगह पर मुनासिब थी। उसमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही था--

"The Chairman shall be elected by the members of the Board. Any member of the Board or outsider will be eligible for election or nomination as Chairman".

चेयरमैन की जगह प्रेसीडेंट कर दिया, उसमें कोई एतराज की बात नहीं है। अब यह कहना कि अगर सरकार नामिनेट करेगी, वही काबिल होगा, वही अच्छी तरह संचालन कर सकेगा, यह बात भी अपनी जगह पर ठीक नहीं लगती। जो बोर्ड के सदस्य होंगे उसमें वैद्य और हकीम होंगे, पांच सरकार के नामिनेटेड रहेंगे। वह लोग अपना चेयरमैन अपने अन्दर से ही चुन लें और बाहर से अगर उनमें आपस में समझौता हो जाता है तो बाहर से चुन लें। व अच्छे से अच्छे आदमी को बोर्ड का प्रेसीडेंट चुन सकते हैं। यह तो सिद्धांत की बात है। अगर यह मूल सिद्धांत की बात न होती, तो मैं इस माननीय सदन का समय इस संबंध में लेना उचित न समझता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री महोदय की यह दलील मान ली जाय तो धीरे-धीरे हम हर जगह से चुनाव की पद्धति को इलीमिनेट कर देंगे और जो चुनाव की मूलभूत व्यवस्था है उसको आघात पहुंचाने की तरफ हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे, अनजान में भी हमारी गवर्नमेंट उसी तरफ खिसकती जा रही है। जहां पर कि उस प्रजातन्त्र के अधिकारों के अनुसार चुनाव के जरिये से जो अधिकार सदस्यों को होना चाहिये उसको धीरे-धीरे आघात पहुंच रहा है। पहली बात तो यह है कि जो संशोधन का प्रस्ताव आया है उसमें जहां तक इस चुनाव की बात है मैं उसका समर्थक हूं।

दूसरी बात यह है कि कोई विशेष अन्तर जो संशोधन में आया है उसमें और जो मूल प्रस्ताव है, उसमें कोई विशेष अन्तर बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन में नहीं है। दो-एक बातें अन्तर की हैं और मैं माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो संशोधन रखा है उस मूल संशोधन में, उसको मानते हुए, मैं समझता हूं कि वह तो अपनी जगह पर ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड की तरफ से चुन करके आयें। उसकी कोई आवश्यकता इसमें प्रतीत नहीं होती। उसको मानते हुए बाकी जो बात रह जाती है उसमें और जो मूल संशोधन है उसमें केवल इतना ही अन्तर रहता है। उसमें दो विधान सभा के चुने हुए लोग चले जायं और एक कौंसिल से चला जाय। तादाद तो १९ की तब भी रह जाती है और १९ की तब भी। जो संशोधन है उसमें ९ मेम्बर की जगह जोकि रजिस्टर्ड वैद्य और हकीमों से चुने जायेंगे उनमें से सात संशोधन में कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार दो उसमें कम कर दिये गए। एक नामिनेटेड में कमी कर दी। यानी मूल विधेयक में पांच नामिनेटेड हैं, उसमें चार रखे, तो तीन की जो कमी है उसमें दो विधान सभा के और एक कौंसिल का, वह उधर की कमी इधर पूरी हो गयी। मैं समझता हूं कि इस विधान सभा और कौंसिल के सदस्य बोर्ड में लेना जरूरी है। यह भी एक पूरे प्रदेश की नुमायंदगी करते हैं। वैसे तो हमारे अन्दर वैद्य और हकीम भी हैं। लेकिन अगर न भी हों तो भी इस सदन के माननीय सदस्यों की और सदन की जानकारी के लिये कि बोर्ड में क्या हो रहा है, उसकी क्या ऐक्टिविटीज हैं, उनके जरिये से इस सदन के माननीय सदस्यों को भी समय-समय पर प्रकाश पड़ता रहेगा। यहां के जो

[ श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ]

सदस्य चुने हुए होंगे वे समय-समय पर , बोर्ड या फैकल्टी में जो कार्यसंचालन हो रहा है, उसके बारे में प्रकाश अच्छी तरह से डाल सकेंगे। वरना हम अन्धकार में रहेंगे। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहता हूं कि पांच जो नामिनेटेड होंगे सरकार की तरफ से उसमें सरकार ने यह नहीं रखा है कि वह वैद्य और हकीम होंगे।

उनकी इच्छा यह है कि यह बोर्ड ऊंचे दर्जे का बोर्ड हो, ऊंचे वैद्य और हकीम हों। तो जहां तक चुने हुये हैं उनके लिये व्यवस्था है लेकिन जो नामिनेट होंगे उनके लिये भी वैसी ही व्यवस्था होनी चाहिये और जो नामिनेटेड प्रेसीडेन्ट होगा उसके लिए भी इसमें यह बात नहीं आयी है कि वह कोई वैद्य या हकीम होगा। संभव है कि माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात हो कि किसी व्यक्ति को जोकि ऊंचे दर्जे का वैद्य या हकीम है उसी को प्रेसीडेन्ट नामिनेट करें। लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी बात नहीं आयी कि कोई नान-आफिशियल होगा। तो इससे सरकार को खुला रास्ता है कि किसी आफिशियल को बोर्ड का प्रेसीडेन्ट नामिनेट करने का। मैं चाहता हूं कि बोर्ड का प्रेसीडेन्ट आफिशियल न हो और अगर नामीनेट करेंगे भी, जिसका मैं विरोधी हूं, तो भी वह कोई आफिशियल नहीं होना चाहिये। नान-आफिशियल चेयरमैन होना चाहिये। क्योंकि ऐसी संस्थाओं पर या उनकी जो स्वतन्त्र कार्य संचालन करने की जिम्मेदारी है अगर उसमें सरकार का कोई आफिशियल कर्मचारी प्रेसीडेन्ट होता है तो फिर उसकी स्वतन्त्र नीति बोर्ड की स्थापना में नहीं हो सकती है। माननीय मन्त्री ने यह कहा कि चुना हुआ जो प्रेसीडेन्ट होगा वह दलबन्दी से होगा, वह तमाम गड़बड़ी करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रेसीडेन्ट आफिशियल होगा उसमें भी फिर एकतन्त्र होगा, वह बोर्ड के मेम्बरों की कोई परवाह नहीं करेगा और बोर्ड के सदस्यों का क्या मत है, वह क्या चाहते हैं उसकी उपेक्षा करेगा। आपके द्वारा मैं माननीय मन्त्री और सदस्यों की जानकारी के लिये एक उदाहरण के तौर पर यह बतला सकता हूं कि इन्टरमीडियेट एजूकेशन बोर्ड है उसका प्रेसीडेन्ट डायरेक्टर आफ एजूकेशन है। डायरेक्टर के होने से अभी जो बोर्ड के सदस्यों में उनके प्रति एक असन्तोष फैला वह इलाहाबाद में जो बोर्ड की पिछली बैठक हुई थी उससे प्रकट है और इसी माननीय सदन के सदस्य श्री परिपूर्णानन्द वर्मा ने उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाने की बात कही थी। लेकिन वह नहीं आ सकी। माननीय उपाध्यक्ष, वह प्रस्ताव नहीं आ सका। क्योंकि वह आफिशियल कैपेसिटी डायरेक्टर की थी वह बोर्ड का प्रेसीडेन्ट है। अगर कोई चुना हुआ सदस्य होता तो बोर्ड के सदस्य ऐसा कर सकते, अगर वे देखते कि प्रेसीडेन्ट ठीक नहीं कर रहा है तो उसे हटाते। लेकिन उनकी सामर्थ्य के बाहर की चीज हो गयी और वह चीज जिसके लिये उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा रहा था वह नहीं लाया जा सका। वह चीज ऐसी थी कि जो माननीय सदन के सदस्य समय-समय पर जान भी चुके हैं। जौनपुर जिले में एक स्कूल, हिन्दू हायर सेकन्डरी स्कूल है उसका रिकगनीशन विदड्रा करने के लिये समय दिया गया पहली अक्तूबर तक कि बोर्ड अपनी खामियों को पहली अक्तूबर तक दूर करे और इस बीच में डायरेक्टर महोदय ने अपने विशेषाधिकार से एक दूसरे स्कूल को जो वहां पार्टीबन्दी के आधार पर जुलाई में खोला गया तो अगस्त-सितम्बर दो महीने के बाद डायरेक्टर महोदय ने विशेषाधिकार से उसको मान्यता प्राप्त कर दी। यह बोर्ड के दूसरे सदस्यों के लिये बेचैनी की बात हो गई जब एक दूसरा स्कूल चल रहा था उसका रिकगनीशन खत्म नहीं हुआ था और अक्तूबर उसके लिये समय था। रिकगनीशन न विदड्रा होते हुए दूसरे स्कूल को डायरेक्टर महोदय ने मान्यता प्रदान की जबकि जिसको मान्यता प्रदान की गई विशेषाधिकार से, उसकी कोई शर्त पूरी नहीं थी। न तो ट्रेन्ड टीचर्स हैं और न जितनी क्रियायें होती हैं वे कुछ भी नहीं थीं। तो इस प्रकार जो गवर्नमेंट नामिनेटेड प्रेसीडन्ट डाइरेक्टर .....

श्री शिवनारायण--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंडियन मेडिसिन बिल पेश है और आप सारी एजूकेशन की बातें यहां कर रहे हैं, यह कहां तक ठीक है ?

**श्री चन्द्रभानु गुप्त**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा यहां माननीय सदस्य जो बातें कह रहे हैं उनका ध्यान जो यह ३६-बी है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उनकी सारी बहस खत्म हो जायगी यदि वे कृपा करके पावर्स ऐन्ड ड्यूटीज आफ दि फैकल्टी का अध्ययन कर लेते तो सारी बहस जितनी वह कर रहे हैं वह निरर्थक सिद्ध होती क्योंकि यह मान्यता देना तो फैकल्टी का कार्य है और फैकल्टी में सारे वह व्यक्ति होंगे जोकि विश्व-विद्यालयों से आयेंगे और जो प्रतिनिधि होंगे शिक्षा सस्थाओं के। इसलिये जितनी सारी बातें उन्होंने कहीं, वह सब निरर्थक हैं।

**श्री द्वारका प्रसाद मौर्य**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फैकल्टी का भी प्रेसीडेन्ट वही होगा। माननीय मन्त्री महोदय ने जो बात कही वह सही है कि फैकल्टी को रिकगनीशन देने का अधिकार होगा लेकिन जो प्रेसीडेन्ट बोर्ड का नामिनेटेड होगा वही प्रेसीडेन्ट फैकल्टी का भी होगा और फैकल्टी में और बोर्ड में आपस में मतैक्य जब नहीं होगा तो उस समय वह प्रश्न सरकार के पास भेजा जायगा। तो बोर्ड का भी प्रेसीडेन्ट और फैकल्टी का भी प्रेसीडेन्ट यह नामिनेटेड हों, मैं इन दोनों ही का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि जो चुना हुआ व्यक्ति बोर्ड का प्रेसीडेन्ट हो वही फैकल्टी का भी प्रेसीडेन्ट हो।

तो मैं उदाहरण के तौर पर एक बात उपस्थित कर रहा था। मालूम होता है कि माननीय शिव नारायण जी ने उसको सुनकर समझने की कोशिश नहीं की। अपनी जगह पर मैं समझता हूं कि वह मिसाल सही है। इस प्रकार से जो एजूकेशन इन्टरमीडिएट बोर्ड के प्रेसीडेन्ट हैं, डायरेक्टर महोदय उन्होंने जो कुछ किया उसमें बोर्ड के सदस्यों का कोई भी अधिकार नहीं चल सका और यहां तक कि उनके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सका। इसी तरह अगर कोई धांधली बोर्ड का नामिनेटेड प्रेसीडेन्ट करे तो फिर उसके लिये बोर्ड के सदस्यों के पास कोई चारा नहीं है। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि बोर्ड का जो प्रेसीडेन्ट हो वह नामिनेटेड न हो। जो मूल विधेयक था उस मूल विधेयक में प्रेसीडेन्ट चुनने का अधिकार बोर्ड के सदस्यों को दिया गया था। वह अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और मैं समझता हूं कि वह कायम रहना चाहिये। तीसरी बात माननीय मन्त्री महोदय ने यह कही कि बोर्ड में कोई पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य नामजद किया जाय यह बात मुनासिब नहीं है। लेकिन मूल विधेयक में यह बात पहले थी कि नामिनेटेड में से एक सदस्य अनुसूचित जाति का हुआ करेगा। पता नहीं उस समय जो नीति निर्धारित की गई थी माननीय मन्त्री महोदय ने की थी, उसमें कौन सी गलती पायी गयी, क्या उससे बोर्ड का स्तर गिर गया, क्यों उन्होंने अपनी दलील में कहा कि इससे बोर्ड का स्तर गिर जायगा? किसी महदूद दायरे के अन्दर बांधना किसी बोर्ड के सदस्य के लिये कि वह अनुसूचित या बैकवर्ड जाति का हो, यह वह मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। लेकिन यह भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक नीति का प्रश्न है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से बहुत नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया भी जाता है तो सरकार के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के द्वारा जिस प्रकार वह नीति व्यवहार में आती है उसका बहुत बुरा परिणाम हम देख रहे हैं। उससे अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के अन्दर असन्तोष बढ़ता सा जा रहा है। आज ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि सूचना विभाग में ७१ मुलाजिम भर्ती किये गये और उसमें अनुसूचित जाति के दो निम्न श्रेणी में और बैकवर्ड के दो जो सबसे निम्नतम श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनमें रखे गये। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि सारे प्रदेश में सूचना विभाग के लिये कोई अनुसूचित जाति का और बैकवर्ड जाति का कोई योग्य व्यक्ति मिला ही नहीं। यह चीज होती है। सरकार जानती है। सवालों में पूछा जाता है, लेकिन फिर भी सरकारी कर्मचारी सरकार की नीति की उपेक्षा करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सरकार अपनी नीति में पीछे रहना चाहती है। सरकार चाहती है १८ फीसदी अनुसूचित जातियों की भर्ती हो जाय, सरकार चाहती है पिछड़ी जातियों का लिहाज किया जाय।

[ श्री द्वारका प्रसाद मौर्य ]

अप्वाइन्टमट डिपार्टमेंट स खास तौर से एक सूची भेज दी गयी, लेकिन सरकार की नीति होते हुये भी उसकी अवहेलना सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है। अगर सरकार बोर्ड क जो नामजद सदस्य हैं, यह व्यवस्था जो पहले थी उसे भी निकाल देती है, मान लिया कि बैकवर्ड के नहीं थे, उसे न बढ़ाइये, लेकिन जो पहले से व्यवस्था थी उसको निकालने का यह अर्थ होगा कि फिर ऐसा वातावरण पैदा होता है जिसमें अनुसूचित जातियों की तरफ से सरकारी कर्मचारियों की दृष्टि हटती चली जाय। बोर्ड के अन्दर सारे प्रदेश में, ऐसा हम मानने को तैयार नहीं हैं कि अनुसूचित जाति का एक भी आदमी अच्छा कहीं न मिला। मैं समझता हूं कि अगर इस चीज को सरकार अपने नामिनेशन में करती है अनुसूचित और बकवड के लिय, तो नीति पर इसका असर पड़ेगा और जो तमाम प्रदेश में आज अनुसूचित और बैकवर्ड जाति के साथ उपेक्षा की दृष्टि की जाती है और जिस तरह की व्यवस्था हो रही है और जिस तरह से हमको समझा दिया जाता है इस माननीय सदन के सामने कि कोई योग्य व्यक्ति मिला नहीं, ऐसी दरख्वास्त नहीं आई, ऐसी बात हो गयी, यह सब जो समझा दिया जाता है उससे सिवाय इसके कि जो मसोस कर बैठ जायें, लेकिन यह बात कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि सचना विभाग के लिये कोई उपयुक्त आदमी अनुसूचित जाति में से नहीं मिला सकता था, कोई जिम्मेदार नहीं मिल सकता था। इसलिये मैं कहूंगा कि सरकार अपनी इस नीति को बदले और इन बैकवर्ड और पिछड़ी जातियों का एक एक सदस्य नामिनेट करे। उस नामिनेशन से इस बोर्ड की महत्ता घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगी और उसमें सब का, एक समावेश हो जायगा। संभव है कि उसमें एलेक्टेड भी आ जायं, संभव है कि कोई न आवे तो फिर अगर नामिनेशन से रहता है तो वह बोर्ड एकांगी न होकर सर्वांगी होगा, इसलिये उसका रहना भी बहुत आवश्यक ह।

मैं समझता हूं कि इस संशोधन को जो माननीय तेज प्रताप सिंह ने रखा है और उसमें श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने जो संशोधन रखा है उसके साथ स्वीकार होना चाहिये, क्योंकि जैसा मैंने कहा उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। जहां तक सदस्यों की बाबत है तो इस सदन के दो माननीय सदस्य और कौंसिल के एक सदस्य वहां जायें तो उससे हमारे सदन का महत्व बढ़ता है और सदन की जानकारी के लिये भी यह आवश्यक है। साथ ही एलेक्टेड होकर अगर सदस्य आवें तो अच्छा है, सरकार जो यह हर जगह प्रेसीडेन्ट को नामिनेटेड करती चली जा रही है मैं इसका समर्थन करने से मजबूर हूं। मैं समझता हूं कि वह इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लेंगे।

**श्री शिव नारायण**--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष**--श्री राजनारायण जी की स्पीच होने के बाद।

*__श्री राज नारायण__ (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं दिल से यह इच्छा करता था कि माननीय गुप्ता जी का जो विधेयक प्रस्तुत है उसकी कहीं से ताईद करूं, मगर जब कर्तव्य से बाध्य होता हूं और समुचित बुद्धि का उपयोग किया जाता है तो इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि इसके विरोध में आवाज बुलन्द होनी चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक माननीय गुप्ता जी की भावना है, उनकी इच्छा उनका इन्टेंशन है, मैं पहले भी आपके द्वारा कह चुका हूं और आज भी उन्हें बताना चाहता हूं उस पर अटैक करने का मेरा मकसद नहीं है। हो सकता है, गुप्ता जी की भावना बड़ी पवित्र हो, उनकी जैसी पवित्र भावना हो वैसी हमारी भी न हो। इसीलिये श्रीमन्, मैं जब सैद्धान्तिक वाद-विवाद हो, बराबर इस सदन में निवेदन करता रहा हूं कि इन्टेंशन और मोटिव का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। इन्टेन्शन अच्छा है, इन्टेन्शन शान्ति स्थापित करने का है, सारे प्रदेश में अशान्ति व्यापित है, इन्टेन्शन कोई यह नहीं कह सकता कि इस सरकार का है कि अहिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़े लेकिन अहिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, किसी को यह कहने का शायद साहस नहीं होगा कि सरकार का भाव है कि अराजकता व्यापित हो, मगर अराजकता व्यापित हो रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो मैं यही उदाहरण देते हुये श्रीमन् चाहता हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्य जो पहले कानून लागू था उसकी धारा को देखें और जो माननीय गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया है उसका अवलोकन करें और उसमें जो संशोधन प्रस्तुत हैं उनको देखें, तीनों बातों को देखें। जो मूल अधिनियम था इसमें अगर बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन को देखें तो "The chairman shall be elected by the members of the Board" चेयरमैन का चुनाव बोर्ड के मेम्बरों के द्वारा होगा। दूसरा यह है" Five members nominated by the Provincial Government of whom one shall belong to a scheduled caste, one shall be a Vaidya and one a Hakim who have high distinction in the practice of their profession".

पहले के अधिनियम में सरकार को इन धाराओं के अन्दर एक रोशनी दी गयी थी। सरकार यदि नामिनेट भी करने का अधिकार रखती थी ५ मेम्बरों को तो सरकार के लिये एक घेरा बना दिया गया था, एक मर्यादा सुरक्षित की गयी थी। वह घेरा यह था कि "who have attained high distinction in the practice of their profession". जो अपने चिकित्सा करने के काम में निपुण हों ऐसे लोगों में से ही सरकार ५ व्यक्तियों को नामिनेट करेगी। मगर जब वर्तमान विधेयक, जो प्रस्तुत है, उसको देखा जाता है तो यह बातें उसमें नहीं हैं। श्रीमन्, मैं समय बचाने की दृष्टि से पहले उसको कह दूं फिर अपने तर्क के समर्थन में जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत विधेयक है और जो संशोधन प्रस्तुत हैं उन पर आऊंगा। तीसरा क्लाज देखा जाय श्रीमन् तो उसमें है :—

"Three members elected by the United Provinces Legislative Assembly from amongst its members by single transferable vote."

इस असेम्बली को भी अधिकार प्राप्त था कि सिंगिल ट्रान्सफ़रेबिल वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को उस बोर्ड में भेजें। सदन के सम्मानित सदस्य जब माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने लगें तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वे अपने अधिकार को भी जरा ध्यान में रखें। इसके बाद चौथा तो श्रीमन्, इसी तरह से है लजिस्लेटिव कौंसिल के लिये। ५वां क्लाज देखा जाय तो उसमें है :

"Three members elected by all the members of the District Boards of the United Provinces in the prescribed manner by single transferable vote."

इसी प्रकार से म्युनिसिपल बोर्डों के लिये भी है कि सिंगल ट्रान्सफ़रेबिल वोटों के द्वारा चुनाव होने की बात थी। श्रीमन् जब मैं पहले जिस धारा में कान्स्टीट्यूशन आफ बोर्ड का निर्माण होता था उसको देखता हूं, तो सहज और स्वाभाविक बुद्धि से इसी नतीजे पर आता हूं कि पहले जनतन्त्र प्रणाली को अख्तियार करने की बात दिमाग में रहती थी और हम इस बात के अभ्यस्त नहीं थे कि सारी शक्ति को अपने हाथ में लेकर काम करें। क्या कारण है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, और इन दिक्कतों को सामने रखते हुये आज माननीय मन्त्री जी के द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक है तो मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि गुप्ता जी की सदइच्छा हो, इन्टेन्शन बढ़िया हो, लेकिन इसके बाद जिस व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता चली जाती है तो वह निरंकुश हो सकता है।

अब यह विवाद हिन्दुस्तान में उठाया जाय। आज की सरकार को छोड़ दीजिये। पहले के भी उदाहरण हैं श्रीमन्, राम एक राजा थे लेकिन राम राज्य की कल्पना सब करते हैं, और गांधी जी भी राम राज्य स्थापित करने का निरन्तर ऐलान करते रहे। मगर यह कह दिया जाय कि राम की प्रतिभा सब में हो ऐसी बात नहीं है। एक डिक्टेटर भी यदि संतुलित बुद्धि का है, न्याययुक्त बुद्धि का है, वह बढ़िया काम कर सकता है। यह कोई नहीं कह सकता कि डिक्टेटर हमेशा बुरा काम करेगा। उनके द्वारा अच्छा काम भी हो सकता है। लेकिन इसके माने यह नहीं होंगे कि डिक्टेटरशिप की प्रणाली अख्तियार की जाय, तानाशाही

[ श्री राजनारायण ]

की प्रणाली को अख्तियार किया जाय और जनतन्त्र प्रणाली को छोड़ कर हिटलरशाही और ज़ारशाही प्रणाली को अख्तियार किया जाय !

हमारा मंत्री जी से निवेदन है और वह यह है कि वह कृपा करके अपना इन्टेन्शन, नीति और मनोवृत्ति को हम लोगों के सामने न रखें क्योंकि उनकी नीति, मनोवृत्ति और इच्छा के अच्छे होते हुये भी इस विधेयक के अन्दर जो ताकत और शक्ति ली जा रही है वह प्रत्येक जनतन्त्र प्रणाली के विरुद्ध है और उसका विरोध हर एक सचेत जनतन्त्र के प्रेमी को करना चाहिये। श्रीमन्, मैं समझता क्योंकि कभी-कभी गुप्ता जी के कार्य से हमें ऐसा लगता है कि सेन्ट्रलाइज सत्ता के विरुद्ध आवाज बुलन्द करते हैं, कभी-कभी झलक आती है और जब गुप्ता जी के द्वारा विधेयक प्रस्तुत हो और सेन्ट्रेलाइज सत्ता के अख्तियार करने की बात हो तो काम कैसे चलेगा और फिर कुछ प्रमाण भी पेश करने पड़ते हैं।

इस प्रकार से श्रीमन्, आप देखेंगे कि यह मनोवृत्ति चाहे वह सरकार का विषय हो या चाहे राजनीतिक पार्टी का विषय हो, हर जगह सेन्ट्रेलाइज करने की प्रवृति होगी। सत्ता के डिसेन्ट्रेलाइजेशन के लिये आज रिवोल्ट करना चाहिये। मैं तो अपने कांग्रेसी दोस्तों को मुबारकबाद देता हूं कि जो सेन्ट्रेलाइजेशन की प्रवृति के विरुद्ध रिवोल्ट करने के लिये आगे बढ़ते हैं। श्रीमन्, जब मैं इस विधेयक की धाराओं को एक-एक करके आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह निवेदन करता हूं कि जो संशोधन अच्छे हों उनको मानने की कृपा करें।

"A President to be nominated by the state Government,, क्यों? क्यों स्टेट गवर्नमेंट नामिनेट करे? पहले में क्या दोष था? पहला तरीका क्यों नहीं चलाया गया? क्या खामी थी? और श्रीमन्, मैं क्या बताऊं, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर ब्लैक स्पाट है। माननीय गुप्त जी नहीं थे, मैंने उनको फोन किया था और फिर मने उनको बताया कि यहां की क्या हालत है। जो सरकार के विभाग में दवाइयां बनती हैं वहां कितना गबन होता है, सामान का कितना दुरुपयोग होता है, कहां से सोना आता है, कहां से मोती आता है और कैसे जाता है? मैंने जाकर माननीय मुख्य मन्त्री जी से बयान किया कि आप हमको एक आदमी दीजिये और चलकर सारी की सारी फ़ाइलें पकड़ लीजिये और देख लीजिये कि किस तरह से सारी कार्यवाही हो रही है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसमें एक भुक्तभोगी भी है, वह बराबर पत्र लिखता रहता है और मैं उसकी कापियां करवा करवा कर बराबर भेजता रहा हूं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। बेचारा डर के मारे लखनऊ छोड़कर दूसरी जगह भी चला गया। डायरेक्टर की चिट्ठी उसके पास है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख कर्मचारियों के पत्र मैंने अपनी आंखों से देखे हैं कि तुम अपनी शिकायत लिखकर दो। लेकिन जब कोई ऐसा मामला आ जाता है, शिकायत आ जाती है तो उसमें चूंकि डिप्टी डायरेक्टर फंसते हैं, डायरेक्टर फंसते हैं तो इसलिये सारा मामला ठप कर दिया जाता है। मैं माननीय गुप्त जी से फिर कहना चाहता हूं कि हालांकि मैं सदन में सारी बात नहीं रखना चाहता, मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से सारी बातें कही, और जब मैंने कहा कि हमारे साथ आदमी भेजिये तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह हमारे साथ आदमी भेजते क्योंकि वहां मामला पकड़ जाने वाला था और सारा जाल बट्टा साबित हो जाने वाला था। फिर मैं यह भी कहने का साहस नहीं करता कि डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर सभी एक से होते हैं। सभी एक से नहीं होते। मनुष्यों में भी विभिन्नता पाई जाती है। लेकिन ऐसी प्रणाली ही क्यों अपनायी जाय कि जिसके अन्दर ऐसी गुन्जायश हो? अगर आदमी अच्छा है तो वह अच्छा काम करेगा और अगर बुरा है तो वह बुरा काम करेगा। तो जो सारी पाबन्दी बुरे आदमियों के लिये होनी चाहिये थी इसमें नहीं है। वही कमी इसमें पायी जा रही है और माननीय गुप्त जी चाहें कितने ही कर्मठ क्यों न हों, वह सारी प्रतिभा के बाद भी असमर्थ होंगे जब नामिनेशन करने की बात आयेगी। उस समय पचीसों तरह के कंसीडरेशन्स उनके सामने आयेंगे, सरकार के सामने

बातें आयेंगी, और यह कहना कि अगर चुनाव की प्रणाली रहेगी तो उसमें गड़बड़ी रहेगी और अगर नामिनेशन की प्रणाली रहेगी तो उसमें गड़बड़ी नहीं रहेगी, ऐसी बात नहीं है। चुनाव की प्रणाली में भी यदि गड़बड़ी हो तो हो सकती है। नामिनेशन की प्रणाली में भी यदि गड़बड़ी हो, तो हो सकती है। इसलिये हमको जो अच्छा मार्ग हो, जो बढ़िया मार्ग हो, जिसमें सत्ता बांट कर चलने की बात हो उसकी ओर ही कदम उठाना चाहिये। दूसरे किसी प्रकार के तर्क पर नहीं जाना चाहिये। उस तर्क पर जाने से अनर्थ होगा। और श्रीमन्, आगे मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी से और माननीय मल्ल जी से। मैं समझ नहीं पाया कि जो माननीय मल्ल जी ने अपनी तकरीर के दौरान में यह बात कह दी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड से चुनाव कराने में कुछ दिक्कत होगी। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को यह अधिकार होना चाहिये, कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये जो सिंगिल ट्रान्सफ़रेबिल वोट की प्रणाली थी उसके जरिये प्रतिनिधि चुने जाने चाहिये, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास बहुत सी आयुर्वेद की शाखायें हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अच्छा होता है तो यह अपने ढंग पर चिकित्सा की प्रणाली को करता है। तो तमाम प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रतिनिधि हों उनके जरिये से उन लोगों पर अंकुश रहेगा, आचार-विचार का आदान-प्रदान होगा और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी उनके विचारों से अवगत होते रहेंगे। इसलिये मैं मल्ल जी से निवेदन करूंगा कि तेजप्रताप सिंह जी का जो संशोधन है वह उसका विरोध न करें। और मल्ल जी का विरोध केवल सिद्धान्त के रूप में नहीं था। जहां तक कि मैंने उनकी बात को सुना था उन्होंने व्यावहारिक दृष्टि से कहा था। मैं उनसे यह कहूंगा कि यह व्यावहारिक दृष्टि से पहले भी था। पहले भी चुनाव होता था उसी तरह से अब भी होगा। हमारी असेम्बली के जो मेम्बरान थे उनके लिये क्यों नहीं बढ़ाया गया? अब जो बोर्ड बनेगा उसमें विधान सभा के जो पहले कानून के अन्तर्गत सिंगिल ट्रान्सफरेबिल वोट के जरिये से प्रतिनिधि भेजने का तरीका था अब वह नहीं है। हम चाहते हैं कि जो विधान सभा के सम्मानित सदस्य यहां पर एकत्रित हुये हैं उनको यह हक होना चाहिये ताकि वह भी यह देखें कि आयुर्वेद कैसे विकसित होगा? जो पुरानी पद्धति यूनानी सिस्टम की है वह किस प्रकार से विकसित होगी और उसमें क्या बुराई है। उसमें ऐसे प्रतिनिधि चुनकर भेजे जायं जिनके द्वारा अपनी भावना को, अपने विचार को और अपने तर्क को वह मेम्बरों के सामने रख सकें।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी नामिनेशन प्रणाली सरकार द्वारा रखी गयी है उसमें कमी हो। अगर माननीय मन्त्री जी चाहते हैं कि कुछ नामिनेशन के अधिकार सरकार के हाथ में रहें तो इस प्रकार का नामिनेशन का तरीका रखें जिससे पहले अधिनियम के अन्दर जो मर्यादा सुरक्षित रखी थी तो वह जरूर वहां होनी चाहिये। मैंने तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन को देखा और उस संशोधन से मुझे यह बात नहीं मालूम हुई कि वह किस तरीके से चाहते हैं कि इन लोगों का चुनाव हो? चुनाव में शिड्यूल कास्ट या और कोई दल के उसमें रहने की आवश्यकता है या कुछ दूसरे लोगों के रहने की आवश्यकता है? मगर उनके लिये कुछ मर्यादा हो कि उनको इस प्रणाली से जानकारी है। आयुर्वेद के बारे में उनकी दक्षता हो, यूनानी चिकित्सा पद्धति में उनकी दक्षता हो। ऐसे लोगों को उसके लिये नामजद करे। ऐसा न हो कि इधर-उधर से लोग उसमें आ सकें। अब मैं नहीं कह सकता कि पावर पालिटिक्स के प्रेशर से उसमें काम हो सकता है। मैं समझता हूं कि गुप्ता जी इस प्रकार से वहां नहीं करेंगे। वैसे पावर पालिटिक्स के आधार पर बहुत से नामिनेशन होते हैं। अतः सरकार को स्वतः अपने को बचाने के लिये खुद चाहिये कि वह ऐसी व्यवस्था करे, ऐसा ढांचा बनाये जिसमें जनता की भी जिम्मेदारी हो और जनता के प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी हो। अगर कोई गड़बड़ हो तो वह खुद भी सोचें और उसके लिये सुधार करके अपने को वह आगे बढ़ावें। मगर सरकार यह कहेगी कि पहले की कुछ गड़बड़ी है अब उन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिये और

[ श्री राजनारायण ]

सुधार करने के लिये प्रेसीडेन्ट को नामजद कर रहे हैं तो यह हमारे लिये बहुत दूषित है और यह हमारे लिये बड़ा खतरनाक रास्ता है जिस रास्ते पर चलने से संघर्ष होकर डिक्टेटरशिप बढ़ेगी। मैं गुप्ता जी की एक बात को मानता हूं जो उन्होंने अपनी दौराने तकरीर में कही थी कि यह एक विभाग ऐसा है स्वास्थ्य का जिसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है। इसको कांग्रेस का विश्वासी भी होना चाहिये, सोशलिस्ट का भी विश्वासी होना चाहिये, प्रजा सोशलिस्ट का भी विश्वासी होना चाहिये और कम्युनिस्ट का भी विश्वासी होना चाहिये। जितने भी लोग हैं उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी होनी चाहिये। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो राजनीति भी अच्छी हो सकती है। इसलिये मेरा कहना है कि जब गुप्ता जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुप्ता जी सरकार के हाथ में सारी शक्ति रखें तो उसके लिये कोई दूसरी वजह होती और उसके लिये सरकार कुछ तर्क देती किन्तु जिस विभाग में राजनीति नहीं होनी चाहिये उस विभाग में भी सरकार ऐसे अधिकार अपने हाथ में रक्खे और ऐसा विधेयक पेश करे, अच्छी मनोवृत्ति के होते हुये भी बहुत खतरनाक है। इसमें संशोधन होना चाहिये और मैं माननीय गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि अगर जल्दी में अथवा किसी जिद्द के कारण उन्होंने पहले इस अमेंडमेंट को स्वीकार नहीं किया तो इसको आगे बढ़ा दें और अगर हमारे संशोधन को स्वीकार न करें तो किसी कांग्रेसी से वैसा संशोधन रखवा दें जिसमें यह बातें आ जायें। हां इतना प्रतिबन्ध उसमें आ जाय, जिससे क्वेक्स न आने पायें।

यों तो इसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें हैं और इस पर हमारे सम्मानित सदस्य अपने ख्यालात को प्रकट कर चुके हैं। मैं थोड़े में इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय गुप्ता जी ने इस विधेयक के समर्थन में एक तथ्य यह रक्खा कि एलोपैथ्स के लिये भी उन्होंने ऐसा ही विधेयक रक्खा है। मैं माननीय गुप्ता जी को याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय भी इसका विरोध हुआ था और उस समय भी इन्हीं भावनाओं को प्रकट किया गया था और कहा गया था कि सरकार को इस प्रकार की ताकत नहीं लेनी चाहिये। अगर सरकार यह ताकत अपने हाथ में लेगी तो सब कुछ होते हुये गड़बड़ होगा, समुचित प्रबन्ध नहीं हो पायेगा और न आयुर्वेद की उन्नति ही हो पायेगी। श्रीमान्, सन् ४६ से आज तक ९ वर्ष हो गये इस हुकूमत को। यह ९ वर्ष का समय कोई मामूली समय नहीं है। समय द्रुतगति से जा रहा है मगर काशी विश्वविद्यालय को जहां पर आयुर्वेद की पढ़ायी होती है और दवाइयां भी बनायी जाती हैं उसके लिये सरकार ने कुछ नहीं किया है! माननीय मन्त्री जी भी वहां पर गये थे और जब वहां पर आचार्य नरेन्द्रदेव वायस-चान्सलर थे उन्होंने सरकार की तरफ से उसको कुछ दिलाने का वायदा भी किया था। आज मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि काशी विश्वविद्यालय के विकास की जो व्यवस्था होनी चाहिये थी वह अभी तक नहीं हुई है। मौजूदा हालत यह है कि आयुर्वेद की जो पढ़ायी होती है उसके कोर्सेज भी बदलते रहते हैं। विद्यार्थी से आरम्भ में कहा जाता है कि फलां-फलां पुस्तकें पढ़ायी जायेंगी लेकिन साल के दौरान में ही वह कोर्सेज बदल दिये जाते हैं और कहा जाता है कि अब यह कोर्सेज नहीं दूसरे कोर्सेज पढ़ाये जायेंगे। बराबर आयुर्वेद के विद्यार्थी हमारे पास ऐसी शिकायतें लेकर आते रहते हैं। कभी डायरेक्टर साहब और कभी डिप्टी डायरेक्टर साहब को फोन करना पड़ता है। कभी माननीय गुप्ता जी से भी निवेदन करने का साहस करना पड़ता है मगर अक्सर वह फोन पर भी नहीं मिलते, वह बड़े बिजी रहते हैं, उनके ऊपर रिस्पांसिबिलिटीज भी बड़ी लम्बी-चौड़ी हैं, पार्टी का भी उनको काम करना होता है, समय उनको कम मिलता होगा। तो भी आज जो व्यवस्था है वह वर्तमान बोर्ड के होने पर और भी गड़बड़ हो जायेगी। अतः इसको बुनियादी तौर पर तब्दील किया जाना चाहिये। पहले ऐक्ट में जो दोष थे और जो दोष इस विधेयक में हैं वह सब दूर किये जाने चाहिये। श्री जोरावर जी के नाम में जो संशोधन माननीय तेजप्रताप सिंह ने प्रस्तुत किया है उसकी बहुत सी बात

अच्छी हैं। यदि गौर से देखा जाय तो उसमें सब बातें आ जाती हैं। एक चीज और कह देना चाहता हूं उसको माननीय मन्त्री जी अपनी ओर से रक्खें कि उस बोर्ड के अन्दर ऐसा कोई भी व्यक्ति न आने पाये जो मूल अधिनियम की धारा में बताया गया है, उसके विरुद्ध हो। उसमें कहा गया था, "हाई डिस्टिंकशन इन दी प्रैक्टिस आफ हिज प्रोफ़ेशन'। अपने प्रोफेशन की प्रैक्टिस में उनकी ख्याति और प्रतिभा हो, उनके द्वारा समाज की भलाई हुई हो और उनकी दवा की प्रणाली से लोग लाभान्वित हुये हों। यह बात जरूर उसमें आना चाहिये और जब तक यह बात नहीं आवेगी तब तक बिल अधूरा रह जाता है।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में। हमारे माननीय मित्र जब कभी शिड्यूल कास्ट की बात आती है तो चिहुंक जाते हैं, लेकिन अब उनको यह चिहुंकने की आदत छोड़नी चाहिये और जब बैकवर्ड और शिड्यूल कास्ट की बात आये तो वह उसमें क्वालिफिकेशन की बात न सोचें। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण स्वयं इस बात को मानेंगे कि शिड्यूल्ड कास्ट के भी वही व्यक्ति लिये जायं जो चिकित्सा प्रणाली में निपुण हों जिनको अच्छी जानकारी हो, अगर वह शिड्यूल्ड कास्ट के मिलते हों तो उनको अवश्य लेना चाहिये और उसकी यहां गुन्जायश होनी चाहिये कि जब तक वह मिलते हैं दूसरों को न लें। हमारे देश का यह मर्ज जो पहले सुषुप्तावस्था में था वह अब प्रकट हो चुका है, उसको आज कोई चाहे कितना ही दबाये लेकिन आज जो उनकी मांग है, चाहे वह शिक्षा विभाग में हो, चिकित्सा विभाग में हो या ऐडमिनिस्ट्रेशन में हो, सब जगह उनकी मांग होगी और उसको दबाते चलना अब मैं समझता हूं कि सरकार के लिये असंभव हो जायगा। हमारे पास सबूत हैं कि इन्हीं बैकवर्ड क्लासेज और शिड्यूल्ड कास्ट को लेकर सारे देश में मारपीट हुई है और वही पुरानी दकियानूसी नीति को अपनाकर, वही वेस्टेड इन्टरेस्ट्स के लोग पुलिस, एजूकेशन और चिकित्सा विभाग में जाते हैं। इसलिये मैं सरकार से कहता हूं कि वह अपने ऊपर जिम्मेदारी ले और जहां तक हो सके अपनी ओर से सही मानों में जो बैकवर्ड लोग हैं उनको लाने की कोशिश करे। जब तक सरकार इस मनोवृत्ति से चलेगी, समाज उससे छिन्न-भिन्न होगा और द्वेष की भावना बढ़ेगी। इसलिये सरकार को विभिन्न विभागों में निम्नवर्ग के लोगों को उचित स्थान देना होगा। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अब अपनी उस तंग मनोवृत्ति की ओर न जायं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल से तो एक खतरा पैदा होगा, इससे जो ढांचा बनेगा और जो अधिकार लोगों के हाथ में जायेंगे उस खतरे को देखते हुये मैं उनसे अपील करूंगा कि अगर माननीय मन्त्री जी को जनतन्त्र प्रणाली में विश्वास है तो वह इस बिल में आमूल परिवर्तन करें और ऐसा प्रयास करें, जिससे सही मानों में आयुर्वेद और यूनानी पद्धति को प्रोत्साहन मिले।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम--(जिला अलीगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा हो अगर आप अपना डिसक्रिशन इस्तेमाल करें क्योंकि यह बहुत जरूरी मसला है और इस पर थोड़ी बहस और होने दें।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा --इस पर श्रीमन्, काफ़ी बहस हो चुकी है और पहले भी प्रश्न उपस्थित किया जा चुका है और आप समय दे चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस क्लाज पर काफी बहस हो चुकी है और बार प्रश्न उपस्थित करने की अनुमति मांगी जा चुकी है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, अगर आप इसके उद्देश्य को देखेंगे तो इसके उद्देश्य और कारणों में जो लिखा है उसके अनुसार यही क्लाज इस बिल का प्राण है। तो जो प्राण हो उस पर हम समझते हैं कि काफी समय होना चाहिये और माननीय गौतम जी ने इसीलिये कहा है कि ऐसा मौका देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--बार बार सदस्यों की मांग रही है और सदन कहता है इसलिये मैं अब मजबूर हूं।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री तेजप्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं अपने उन माननीय साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे इस संशोधन का समर्थन किया है और जिन्होंने उन सिद्धांतों पर जो इसमें सन्निहित हैं प्रकाश डाला है। साथ ही साथ जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया है उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं और कुछ चन्द बातें उनसे मैं निवेदन भी करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे माननीय मित्र मदनगोपाल जी वैद्य ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुये यह कहा कि जिस बोर्ड का संगठन आपने अपने इस प्रस्ताव के द्वारा किया है उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा है कि वैद्य और हकीम ही केवल उस बोर्ड के सदस्य हो सकें। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने खुद ही अपने एक संशोधन द्वारा जोकि इस कार्यसूची में नम्बर २० पर अंकित है प्रस्ताव किया है कि इसी बोर्ड में तीन मेम्बर तो लेजिस्लेटिव असेम्बली के द्वारा एलेक्टेड हों और एक मेम्बर उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल द्वारा एलेक्टेड हों। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार वैद्य हकीम ही यहां पर चुने जायेंगे ? क्या इसमें कोई ऐसा प्रतिबन्ध रक्खा है कि हमारा लेजिस्लेचर केवल वैद्यों को उस बोर्ड में भेजने के लिये चुने ? मैं समझता हूं कि उन्होंने परस्पर विरोधी बातें हमारे सामने रक्खी हैं। यद्यपि मैं उनकी भावनाओं से पूर्णतया सहमत हूं उनकी भावना यही है कि इस बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन्स में केवल वैद्य और हकीम ही मनोनीत किये जाने चाहिये।

दूसरी चर्चा मेरे मित्र जैन साहब ने की कि हर जगह चुनाव की बात कही जाती है। जिस बोर्ड का संगठन करना हो उसमें चुनाव की बात कहते हैं और चुनाव एक ऐसी खराब पद्धति है जिसके द्वारा कोई काम ठीक से चल नही पाता। हमारे कुछ अन्य मित्रों ने भी कहा कि चुनाव के कारण तमाम गड़बड़ियां पैदा होती हैं और इसके जरिये अयोग्य व्यक्ति बोर्ड में आने की चेष्टा करेंगे। इसीलिये यह कहा गया कि केवल उन्हीं आदमियों को आना चाहिये जो योग्य हों। और योग्य व्यक्ति आयें कैसे ? बोर्ड में उसका इलाज बतलाया गया कि सरकार उनको नामजद करे तभी योग्य व्यक्ति आ सकते हैं। मेरी समझ में यह तर्क आया नहीं। या तो फिर हम इसको ऐसा मान लें कि जो सरकार करेगी वहां कोई गलती होने वाली नहीं है। जो भी नामदगी करेगी वह हमेशा ठीक होगी और यदि गलती हो सकती है तो फिर बड़ी भयंकर भूल भी हो सकती है, जिसका इलाज नहीं। फिर जो यह विधेयक रक्खा गया है उसमें कहीं यह भी नहीं रक्खा है कि केवल वैद्य या हकीम को ही सरकार नामिनेट करेगी। उस भावना का भी कहीं संरक्षण नहीं होता कि केवल वैद्य या हकीम या जो आयुर्वेद और यूनानी पद्धति से सम्बन्धित हैं या जो लोग इस पद्धति के जानकार हैं वे इससे दिलचस्पी रखते हैं वही इस बोर्ड में आ सकें। तब मैं समझता हूं कि हर तरीके से जो यह धारा विधेयक में रक्खी गयी है वह अपूर्ण है और हमें आगे ले जाने वाली नहीं है।

अभी हमारे जैन साहब ने चुनाव के सम्बन्ध में जो बुराई बतलाई उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी बहुत सी संस्थायें हैं, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटी और विलेज लेविल्स पर, तो फिर अगर हम इस सिद्धांत को मानते हैं कि चुनाव खराब है तो हमें उन सारी संस्थाओं के पदाधिकारियों को नामजदगी द्वारा रखना चाहिये और अगर उसी तरीके को हम और आगे बढ़ा ले जायं तो हमारे इस लेजिस्लेचर की भी वही दशा होने वाली है और हमें यह मानना होगा कि जो तमाम दलबन्दियों से खराबी आती है वह इस हाउस में भी आ जाती है क्योंकि दलबन्दी पर यहां भी चुनाव होता है लिहाजा इसका भी संगठन नामजदगी द्वारा हो। सारे हिन्दुस्तान का केवल एक प्रेसीडेन्ट का चनाव कर लिया

जाया करे हर चार या पांच साल बाद और वह प्रेसीडेन्ट सारे लेजिस्लेचर्स को, कैबिनेट्स को नामिनेट कर दिया करे और सारी चीजें नामिनेशन के जरिये होने लगें। यह तर्क हमें कोई आगे नहीं ले जाता। लोकल कन्डीशंस को देखते हुये हम चुनाव की पद्धति को स्वीकार करते हैं कि वहां से ठीक से रिप्रेजेन्टेशन हो सके क्योंकि लोकल कन्डीशंस को वहां का लोकल आदमी ही ज्यादा अच्छी तरह से रिप्रेजेन्ट कर सकता है। किसी उद्योग विशेष की उन्नति व पुनरुद्धार कुछ वे विशेष व्यक्ति ही कर सकते हैं जिन्हें उससे दिलचस्पी हो व जानकारी हो। तब तो इस सदन को मानना होगा कि उसी उद्योग या उस काम में लगे हुये लोगों को उसके संचालनार्थ बोर्ड में रक्खा जाय। वे ही उसके संचालक बनें। मैं समझता हूं कि यही एक तरीका है, जो हमें आगे ले जाता है। वही ठीक है। माननीय राजनारायण जी ने एक शंका पैदा की। आप आखिर नामिनेशन द्वारा क्यों प्रेसीडेंट को रखना चाहते हैं? जब मूल अधिनियम में हमने ऐसी व्यवस्था रखी थी कि प्रेसीडेंट एलेक्टेड हो तो उसमें क्या खामी देखी जिसकी वजह से हम अब इस संशोधित विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था कर रहे हैं कि वह नामिनेटेड हो। मैं विनम्रता पूर्वक उनसे संदर्भ सहित इसके कारणों को बतलाना चाहूंगा १ जनवरी, १९५१ में जब इस बोर्ड का चुनाव हुआ अर्थात् बोर्ड आफ़ इंडियन मेडिसिन का, तो काफी सरगरमी रही। दो माननीय मित्र खड़े हुए थे। एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैद्य थे और एक कोई अन्य माननीय सज्जन थे जो कोई वैद्य नहीं थे, उनकी काफी कनवेसिंग चली, काफ़ी जोर-शोर हुआ, जैसा कि चुनाव में संभव और स्वाभाविक है। लेकिन इस चुनाव में गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड हो गयी। मुझे ऐसा पता है कि गवर्नमेंट ने काफी दबाव डाला उस चुनाव में और जिस व्यक्ति से इंटरेस्टेड थी गवर्नमेंट, उसकी जीत उस बोर्ड क प्रेसीडेंट के कास्टिंग वोट द्वारा करवा सकी। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। तो गवर्नमेंट इतना दबाव डालती है और ऐसी बातें हो जाती ह। चुनाव म सरकार दखल देने लग जाती है। जब मुझे मालूम हुआ कि बड़ी कठिनाई से याने कास्टिंग वोट से जीत हो सकी तब मुझे संदेह हुआ कि यह विधेयक, जो कि खेर कमेटी की तमाम रिपोर्ट पर आधारित बताया जाता ह और जिसमें उन्होंने यह सिफारिश की है कि प्रेसीडेंट एलेक्टेड हो, किसी खास मकसद से लाया गया है आपने उसकी सिफारिश को न मान करके नामिनेशन की व्यवस्था क्यों रखी? वहां पर मुझे संदेह हुआ और विशेषतः उस कार्यशैली से जो कि १९५१ में बरती गयी।

**श्री बनारसीदास**--प्वाइंट आफ़ आर्डर, माननीय सदस्य यह जवाब दे रहे हैं और वह अपने भाव पहले रख ही चुके हैं। जो कि भाषण दिए गए हैं, उनका उत्तर केवल होना चाहिये, न कि कोई दलील या अपने संशोधन का प्रतिपादन करना चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष**--हां, जहां तक हो, उत्तर ही के रूप में कहें।

**श्री तेजप्रताप सिंह**--आदेश है आपका कोई? जिन तर्कों को यहां उपस्थित किया गया था उन्हीं का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं भले ही कुछ मित्रों को अरुचि हो उससे। लेकिन मैं तो उन्हीं तर्कों का उत्तर दे रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, तो गवर्नमेंट दबाव डाले और उसमें दिलचस्पी ले यह चीज अच्छी नहीं है। और इसीलिये मैंने अपना संदेह प्रगट किया कि यह नामिनेशन की व्यवस्था उस कटु अनुभव पर आधारित हुई है। वह जो अनुभव हुआ उस पर आधारित हो कर हमारा यह विधेयक लाया गया ताकि बोर्ड को किसी तरह से सरकार का कैप्टिव व पिट्ठू किया जाय। उसमें जो व्यवस्था आपने रखी है कि नामिनेटेड हो तो उसकी क्वालिफ़िकेशन्स भी नहीं रखी गयीं। कोई प्रतिबन्ध नहीं रखा गया। बिलकुल छूट है गवर्नमेंट को, जिसको चाहे गवर्नमेंट नामिनेट कर सकती है। यह चीजें हमें आगे नहीं ले जाने वाली हैं। हमें वैद्य और हकीमों पर विश्वास करना चाहिये। उन पर ही छोड़ देना चाहिये कि वह अपनी इस पद्धति को किस तरह से समुन्नत करें। उन पर हमें विश्वास रखना चाहिये और इस प्रेसीडेंट के पद को खासतौर से जिसका पद एक महत्वपूर्ण पद है उसको एलेक्शन द्वारा ही रखना चाहिये। हमारे

[ श्री तेजप्रताप सिंह ]

मल्ल जी ने एक सुझाव दिया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों द्वारा और म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों द्वारा जो चुनाव हों, इस बोर्ड के सदस्यों के लिये वह व्यवस्था न रखी जाय। उसमें उन्होंने कतिपय कठिनाइयां प्रस्तुत की कि चुनाव द्वारा देर लग सकती है, खर्चा बढ़ेगा। यह सारी दलीलें उन्होंने दी। वैसे जब मैंने यह संशोधन रखा था और इस पर विचार किया था, तो यह चीज ख्याल में थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के अधीन बहुत से चिकित्सालय हैं और बहुत से वैद्य और हकीम उनमें काम करते हैं उनका भी संरक्षण होना चाहिये। वह वास्तव में तभी अनुप्राणित हो सकते हैं जैसा राजनारायण जी ने कहा। मैं इस तर्क में बल समझता हूं कि अगर उसका भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें यदि आ जाता है तो वे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और जो चिकित्सालय यूनानी और आयुर्वेद के चलते हैं उनकी सुरक्षा हो सकेगी उनकी उन्नति हो सकेगी। तो इसलिये मैं तो समझता हूं कि जो मेरा प्रस्ताव था वह पूर्ण है।

दूसरे शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेज के बारे में भी .....

**श्री उपाध्यक्ष**--संशोधन पर संशोधन माननीय सदस्य स्वीकार करते हैं या नहीं ?

**श्री तेजप्रताप सिंह**--मैं धीरे-धीरे उसी पर आ रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेशन पहले रखा गया था वह भी किसी नीतिवश रखा गया होगा। अब तो हम समझते हैं ऐसी व्यवस्था है कि बैकवर्ड क्लासेज का भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो। हां एक बात जरूर मानने की है कि वे लोग भी क्वालिफाइड वैद्य या हकीम हों। मैं समझता हूं कि इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिये और मैंने यह जो दूसरे नम्बर पर ४ नामिनेशन्स के बारे में रक्खा है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा उसमें यह बात आ जाती है। उसमें लिखा हुआ है यह चारों आदमी कैसे होंगे :

"Who have attained high distinction in the practice of their profession."

जो लोग हिकमत और वैद्यक से परिचित हों, और परिचित ही न हों बल्कि जिसमें उन्होंने हाई डिस्टिंक्शन प्राप्त किया हो, वही लोग इसमें लाये जायं। आप जानते हैं कि अमीरों को छोड़कर गरीब ही ज्यादातर इस पद्धति से संबंधित हैं। इस चिकित्सा प्रणाली द्वारा ज्यादातर उन्हीं का फायदा होता है। जैसा कि खर कमेटी की रिपोर्ट में दिया गया है, दो टाउन्स में सेन्सस लिया गया था। उसके अनुसार ५० और ६० प्रतिशत जनता वहां की आयुर्वेद और यूनानी पद्धति से चिकित्सा पाती है और मदद पाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस खयाल से भी बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्ज रखना जरूरी है। मैं मल्ल जी के संशोधन को मानने के लिये तैयार हूं क्योंकि उन्होंने बतलाया कि उसमें खर्चा अधिक होगा, और फिर यदि स्टेट लेजिस्लेचर के उसमें मेम्बर्स रहते हैं तो वह सारी कमियां दूर हो जाती हैं। मैं उनका संशोधन मानने को तैयार हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपने इस संशोधन पर फिर से जोर देता हूं।

**श्री बनारसीदास**--उपाध्यक्ष महोदय, यह खंड ५ के संबंध में जो बहस की गई है, सरकार का कभी कोई ऐसा मंशा नहीं कि चुनाव की प्रणाली को खत्म किया जाय, और यदि मौजदा विधेयक के अनुसार गौर से देखा जाय जिस प्रकार से बोर्ड का संगठन किया जा रहा है, उसमें १५ आदमी चुने हुये होंगे। सरकार केवल ५ आदमियों को नामजद करना चाहती है और अगर कल इस सदन में माननीय तेजप्रताप सिंह जी और राजनारायण जी होते तो उनको मालूम होना चाहिये कि कल आम वाद-विवाद के समय जो शंका उनको मदनगोपाल जी के संबंध में हुई वह न पैदा होती। कल जब यह प्रश्न उपस्थित किया गया था तो यह मान लिया गया कि बोर्ड का संगठन केवल हकीमों और वैद्यों से ही होगा और सरकार की तरफ से कोई नामजद प्रेसीडेंट या सदस्य ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि रजिस्टर्ड हकीम या वैद्य न हो। कल जब यह कह दिया गया तो उसके

बाद माननीय मौर्य जी या तेजप्रताप सिंह जी की तरफ से यह शंका उपस्थित करना मुनासिब नहीं मालूम पड़ता। आज इस खंड के संबंध में जो बहस हुई ऐसा मालूम होता है कि जो इस विधेयक का पहला वाचन हुआ, आम बहस शुरू की गई लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में उसमें और खंड के अनुसार जो बहस चल रही है उसमें कोई अन्तर नहीं है। बार-बार उसकी मुख्य नीति के संबंध में कहना कहां तक मुनासिब है। जनरल डिस्कशन तो होता ही इसलिये है कि विधेयक का लक्ष्य क्या है मकसद क्या है उसके बारे में हम लोग बहस करें और यदि एक खंड को लेकर के तमाम बिल को डिस्कस करने लगें तो फिर यह जो हमारी नियमावली है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। फिर तो एक ही साथ में बहस हो, न खंड पर अलग-अलग विचार करने की जरूरत है न आम बहस करने की जरूरत है। तो खेर कमेटी मुकर्रर की गई थी। आप देखेंगे खेर कमेटी ने बोर्ड के संबंध में अपनी जो सिफ़ारिशें की थीं, उनमें लिखा था--केवल एक ऐसी सिफारिश है, जिसे गवर्नमेंट ने नहीं माना--

"President to be elected by the members". दूसरी सिफ़ारिश यह है--
"3 members to be nominated by the Government.

1 representative to be elected by the Executive Council of every chartered University which has got a Faculty of Indian Medicines".

तो यह हमने माना। जहां तक सरकार के नामिनेटेड सदस्यों का सवाल है अब तक पांच थे, हमने पांच ही रखा। एक सिफारिश यह थी:--

2 Members of the United Provinces Vaidya Sammelan.

1 representative of the United Provinces Anjumane-Tibiya.

4 members of registered Vaidyas and Hakims not in the service of Government or local bodies.

Two members elected by the registered Vaidyas and Hakims who are in the service of Government and local bodies.

तो इस तरह से खेर कमेटी ने नौ वैद्यों की सिफारिश की थी, जिनका चुनाव दो का वैद्य सम्मेलन के द्वारा और एक का हकीमों के संगठन के द्वारा, चार का रजिस्टर्ड वैद्यों और हकीमों के द्वारा, और दो ऐसे वैद्य और हकीम जो कि गवर्नमेंट या लोकल बाडीज़ की सर्विस में हों, उनके द्वारा चुने हुए इस तरह कुल मिलाकर नौ होते हैं। हमने इस विधेयक में नौ का नौ ही रखा है। हम नहीं चाहते कि इसमें सरकारी आदमियों का प्राबल्य हो। खेर कमेटी ने तो यह सिफारिश की थी कि दो वैद्य और हकीम सरकारी कर्मचारी भी हों। हम उस सिफ़ारिश को नहीं मानते। नौ के नौ गैर सरकारी हकीम और वैद्य चुनाव के द्वारा आयेंगे। एक प्रश्न असंगत यह पैदा किया गया, मैं समझता हूं शायद मौर्य जी को कहीं और अवसर नहीं मिला जौनपुर की एक शिकायत उपस्थित करने का तो उसे उन्होंने यहां उपस्थित कर दिया इस बिल के संबंध में। श्रीमन्, एजूकेशन ऐक्ट के मातहत तो डाइरेक्टर को अख्तियार था लेकिन यहां मान लीजिए कि आपका प्रेसीडेंट एलेक्टेड ही हो, या यही मान लीजिए कि नामिनेटेड ही हो तो प्रेसीडेंट को इसमें अख्तियार क्या दिया गया है? बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजुकेशन के प्रेसीडेंट को तो कुछ अख्तियार है, उसमें उसको कुछ पावर है, लेकिन यहां प्रेसीडेंट को क्या अख्तियार है? आखिर क्या कार्य है बोर्ड का? बोर्ड का कार्य तो मुख्यतः रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा कार्य यह है कि आयुर्वेद के संबंध में रिसर्च के बारे में सलाह देना, फैकल्टी के लिये फंड एलाट करना। और फिर यह कहा गया कि फैकल्टी का भी वही प्रेसीडेंट होगा! तो अगर यह मान लिया जाय कि एक प्रेसीडेंट बराबर होता है चुने हुए छः सदस्यों के, तब

[श्री बनारसीदास]

तो मौर्य जी की गणित ठीक हो सकती है। जब चुने हुए छः आदमी आयेंगे तो प्रेसीडेंट को अकेले क्या अधिकार रहेगा ? प्रेसीडेंट अपना एक मत दे सकता है, और मान लीजिए फैकल्टी के निर्णय को बोर्ड न माने अगर बोर्ड मान ले तब तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता, लेकिन अगर बोर्ड न माने तो प्रेसीडेंट का निर्णय नहीं बल्कि फकल्टी का निणय सरकार के सामने आयेगा। मैंने कल भी कहा था कि सरकार चाहती है कि फैकल्टी का निणय अंतिम हो। मैं नहीं समझ सका, मौर्य जी को कहां से शंका पैदा हो गई कि इसमें उन्होंने डाइरेक्टर और इंटरमीडियट बोर्ड की बात ला दी। यह हो सकता है जौनपुर की कोई शिकायत थी, उसको वह रखना चाहते थे, और उसे यहां उन्होंने रख दिया। वरना इस अवसर पर इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। यह भी कहा गया कि इसमें हरिजन या बकवर्ड क्लासज का प्रतिनिधित्व था। तमाम सूबे की इस नीति का भी उन्होंने एक साथ सिंहावलोकन कर डाला। आप यह देखेंगे कि आखिर रिजर्वेशन होता है किसी मकसद को लेकर। रिजर्वेशन का मकसद तो यह होता है कि किसी विशेष वर्ग के हित सुरक्षित रहें। तो पहले बोर्ड में इसकी बात क्यों रखी गयी थी ? आप देखेंगे कि शेड्यूल ४ में जो वद्यों का रजिट्रेशन होता था, उसमें यह था--

"Vaidyas and Hakims who in the opinion of the Board are of sufficient standing, reputation and ability, and are known for their skill in the profession and who fulfil the condition imposed by rules as to the length of their practice."

यानी यह शेड्यूल के अन्दर जो ४ क्लाज रखी गयी है, उसके अनुसार इस तरह के वैद्यों और हकीमों का रजिस्ट्रेशन हो सकता था, जिन्होंने नियमानुसार किसी शिक्षण संस्था में ५ साल तक ट्रेनिंग न पाई हो, किन्तु केवल अपने अनुभव के आधार पर उनका रजिट्रेशन हो सकता है। इसलिये यह समझा गया कि काफी शेड्यूल्ड कास्ट के लोग भी ऐसे वैद्य हो सकते हैं, उनके अनुभव के आधार पर बोर्ड में उनके हितों का समाधान ठीक हो सके इसलिये एक प्रतिनिधित्व रखा गया। आजकल हमारे प्रदेश में जब से मूल अधिनियम के तीसरे खंड को लागू किया गया है तो शेड्यूल का यह चौथा हिस्सा अमल में नहीं रहा। आज कोई ऐसा हकीम और वैद्य, चाहे वह हरिजन हो या नान हरिजन हो, रजिस्टर नहीं हो सकता, जिसने किसी प्रमाणित शिक्षण संस्था में तालीम हासिल न की हो। तो क्या प्रश्न पैदा होता है कि हरिजन आये या नान हरिजन आये ? अगर वह हरिजन है और उसके पास डिप्लोमा है तो रजिस्ट्रेशन से कौन इन्कार कर सकता है ? तो कौन से उसमें हित के संरक्षण की आवश्यकता थी ? उसमें काम क्या है ? लिखा है कि सरकार को सलाह देना आयुर्वेद और तिब्ब की तरक्की के बारे में और रिसर्च के बारे में, और दूसरे कार्य जिनको बोर्ड इस ऐक्ट के द्वारा उनके सुपुर्द करे। तो यह तो एक विशेषज्ञ समिति का कार्य है। जब यह मान लिया गया कि पांचों सरकार के नामजद किए हुए अनुभवी हकीम और वैद्य होंगे तो क्या इसके अंदर ऐसी कोई धारा लागू की गयी है कि हरिजनों को सरकार नामिनेट नहीं करेगी ? तो पांचों में से हरिजन भी हो सकता है। तो हर जगह एक विशेषज्ञ कौंसिल के अन्दर भी विशेष प्रतिनिधित्व के एलिमेंट का संरक्षण द्वारा लाया जाना, मुनासिब नहीं मालूम पड़ता। इसलिये इसकी यहां जरूरत नहीं है। खेर कमेटी ने बोर्ड के अन्दर लेजिस्लेचर के प्रतिनिधि नहीं रखे। क्यों नहीं रखे ? इंडियन मेडिकल कौंसिल में नहीं, साइंस की कांग्रेस में नहीं, हिस्टरी की कांग्रेस में नहीं, तो यह भी एक विशेषज्ञ बाडी है। लेजिस्लेचर तो सुप्रीम बाडी है, उसका कंट्रोल तो है ही। मौर्य जी ने कहा कि बोर्ड के दो सदस्य लेजिस्लेचर के लिये जायं। मैं नहीं समझता हूं कि मौर्य जी शायद इस बात को जानते होंगे कि जो यहां के प्रतिनिधि यूनिवर्सिटीज में जाते हैं वह शायद सदन को अपनी कोई रिपोर्ट अलग से भेजते हों जिससे मौर्य जी को पता रहता हो कि आगरे की सिनेट में क्या कहा और इलाहाबाद में जाकर क्या कहा हमारे सदस्यों ने ! बोर्ड की रिपोर्ट तो आपके सामने आयेगी। आपके दो सदस्य नहीं, आपके तो २१ सदस्यों की रिपोर्ट आपके सन्मुख प्रस्तुत होगी।

अब केवल एक प्रश्न यह रह जाता है कि प्रेसीडेंट नामिनेटेड हो या एलेक्टेड, जिसमें सारी डमोक्रेसी को एक खतरा पैदा हो गया है। आप देखिये कि प्रेसीडेंट को कोई एक्जीक्यूटिव अधिकार नहीं और फिर वह नामिनटेड प्रेसीडेन्ट भी तो कोई ऊंची शिक्षा प्राप्त किया हुआ हकीम या वैद्य होगा। और फिर २० के २० सदस्य जो उस बोर्ड के होंगे वे भी हकीम या वैद्य होंगे, तो ऐसी हालत में अगर प्रेसीडेंट नामिनेटेड ही हो तो कौन सा धक्का डेमोक्रेसी को लग जायगा ? वह तो सिर्फ इसलिये रखा गया है कि एक ऐसा आदमी बाडी में हो, जैसे अभी तज प्रताप सिंह जी कहते थे कि अगर वहां चुनाव हो किसी व्यक्ति के बारे में, तो चुनाव कोई बुरी चीज नहीं है। चुनाव डेमोक्रेसी के अन्दर आयेंगे। लेकिन जहां दलबन्दी की जरूरत नहीं है अगर हम उसको बचा सकते हैं तो बचाना चाहिये यह कह देना कि अगर ऐसा नहीं होगा तो एक साथ डिक्टेटरशिप आ जायेगी यह भी। मैं समझता हूं कि एक किस्म की स्लेवरी है, यह कोई डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं है। नामिनेशन इसलिये रखा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे बोर्ड को लाभ हो, भजा जा सक और फिर वह नामिनेटेड व्यक्ति ऊंची शिक्षा प्राप्त होगा। सरकार ने यह नहीं कहा कि वह डायरेक्टर होगा या वह सरकारी आदमी होगा। फिर आपको पूरा अवसर है, अगर आप समझते हैं कि सरकार नामिनेशन में गलती करती है तो आप सरकार की आलोचना इस सदन में कर सकते हैं। तो नामिनेशन करने की मन्शा आयुर्वेद और यूनानी साइंस क हित में है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि प्रशासन का कार्य तेजी के साथ चले और उसकी रिसर्च की स्पिरिट हो। जहां तक इम्तहान लेने वाली बाडी का सवाल है वह तो फैकल्टी होगी। इसलिये यह कोई ऐसी सिद्धांत की चीज नहीं है, जिसको राजनारायण जी कहते हैं। उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी की बात कही। अगर प्रेसीडेंट को आप एलेटेक्ड भी कर दें तो बनारस यूनिवर्सिटी की कमी को सरकार के गले क्यों मढ़ते हैं ? राज नारायण जी जानते हैं कि बनारस यूनिवर्सिटी का ऐक्ट अलग है, उनकी फैकल्टी अलग है, वहां पर कोई कमी है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर कैसे। आप तो आटोनामी के बड़े पक्षपाती हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि सरकार बनारस यूनिवर्सिटी में दखल दे ? अगर आचार्य नरेन्द्रदेव जी के समय में भी वहां सुधार नहीं हो सका तो सरकार को इसमें क्या गलती ?

श्री राजनारायण—सरकार रुपया तो दे सकती है।

श्री बनारसीदास—बनारस यूनिवर्सिटी को रुपया काफी दिया गया है, और अगर आप पिछले ९ सालों को देखें तो इस तरह की शिक्षण संस्थाओं को दिया गया सरकार का अनुदान बढ़ता चला गया है। इसलिये खेर कमेटी की सिफारिश के अनुसार सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है और जब कि सरकार अब पूरी तरह से इस बात को मानने के लिये तैयार है कि इस बोर्ड के अन्दर केवल हकीम और वैद्य ही होंगे, जो रजिस्टर्ड हों, मैं समझता हूं कि तेजप्रताप सिंह जी के संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। खेर कमेटीज तो केवल १५ आदमियों के बोर्ड का प्रस्ताव किया था, हमने तो उसमें हकीमों और वैद्यों की तादाद बढ़ाई है। मैं आशा करता हूं कि तेजप्रताप जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ निम्न रूप में रख दिया जाय—

"5. (1) The Board shall consist of the following members :

(i) A President to be elected by the members of the Board from amongst its members.

(ii) Four members nominated by the State Government of whom one shall belong to a Scheduled Caste, one shall belong to a Backward Class, one shall be a Vaidya and one a Hakim, who have attained high distinction in the practice of their profession.

[ श्री उपाध्यक्ष ]

(iii) Two members elected by the State Legislative Assembly from amongst its members.

(iv) One member elected by the State Legistative Council from amongst its members.

(v) One member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in the State and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine.

(vi) Two members representing Ayurvedic Education and Institutions of the State to be elected in the prescribed manner by the teachers of such institutions as are affiliated to the Board.

(vii) One member representing Unani Education Institution of the State Government to be elected, in the prescribed manner, by the teachers of such institutions as are affiliated to the Board.

(viii) Seven members (4 Vaids and 3 Hakims) not in the service of the State Government or local bodies.

(2) The Board shall elect one of its members to be the Vice-President."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मदनगोपाल वैद्य--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) की पंक्ति २ के कोष्ठक में शब्द "President" के बाद शब्द "whose name must be on the register" बढ़ा दिए जायं।

बोर्ड के संगठन के संबंध में यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया है कि इसके सब सदस्य वैद्य या हकीम होने चाहिये। इसी आशय की पूर्ति के लिये यह रखा गया है और यह इससे सिद्ध हो जाता है और इसी आशय के खंड ३ में और दो संशोधन नंबर ९ और १२ पर हैं। इस संशोधन के मान लेने पर अलग-अलग रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री बनारसीदास--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मदनगोपाल जी ने जो संशोधन रखा है, उससे आगे भी जो संशोधन है उसमें है प्रेसीडेंट कौन हो। इसलिये कोष्ठक में रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा संशोधन तेजप्रताप सिंह जी का है, जिसमें इलेक्टेड के बारे में है। इसलिये कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इसको वह वापस ले लें।

श्री मदनगोपाल वैद्य --कोष्ठक में रखने की बात इसमें नहीं है।

श्री बनारसीदास--उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोष्ठक में नीचे लिखा हुआ है कि "Whose name must be on the register" मदन गोपाल जी के संशोधन में है।

†श्री मोहन लाल गौतम (जिला अलीगढ़)--उपाध्यक्ष महोदय, अभी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जितने मेम्बर्स बोर्ड के होंगे वह सब वैद्य होंगे, तो कोई ऐसा संशोधन हो, जिसमें वैद्य सब जगह आ जायं, इन्क्लूडिंग प्रेसीडेंट, तो वह पूरा हो जायगा' और इधर-उधर जो इलेक्शन या नामीनेशन होगा तो वह वैद्य का ही होगा। यह कहां आयगा यह मालूम हो जाय, तो आसानी होगी।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बनारसी दास--उपाध्यक्ष महोदय, मदनगोपल वैद्य जी का जो दूसरा संशोधन है "whose names on the register." बढ़ा दिया जाय, यह और श्री तेजप्रताप सिंह का संशोधन है तो यह दोनों संशोधन टेबिल कर दिए गए हैं और सरकार को मानने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--यह अभी वापस नहीं हुआ है। माननीय सदस्य यदि इनको देखते हुए वापस लेना चाहें, तो दूसरी बात है।

†श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्रीमन्, एक संशोधन सदन में उपस्थित हो चुका है। उसका माननीय सभा सचिव की ओर से विरोध हो चुका है और अब उस पर बहस समाप्त हो चुकी है। वह वापस ले लिया उन्होंने। तो अब किसी माननीय सदस्य को उस पर बोलने का अधिकार किस रूल के अधीन है यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री उपाध्यक्ष--अगर वह वापस ले चुके हैं तो बोलने का अधिकार किसी को नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आज ही अध्यक्ष जी ने इस पर रूलिंग दी है कि वापस लेने के बाद भी अधिकार बोलने का है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--हम लोग बहस कर सकते हैं कि संशोधन वापस न किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--आप इसको वोट के द्वारा भी कर सकते हैं। मैं इसको सदन के सामने उपस्थित कर देता हूं।

प्रश्न यह है कि सदन इस संशोधन को वापस लेने की अनुमति देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--उपाध्यक्ष महोदय, नंबर १० पर जो मदन गोपाल जी वैद्य का संशोधन है उसे मैं पेश करना चाहता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ (१) के भाग (१) के अन्त में शब्द "whose name is on the register" बढ़ा दिये जायं।

यह बहुत छोटा सा संशोधन है और मुझे आशा है कि यह स्वीकार किया जायगा।

श्री बनारसीदास--उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मुझे स्वीकार है।

श्री मोहनलाल गौतम--इसको बढ़ाने के पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। इसी के उपखंड (iv) में दिया हुआ है कि--

"two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected, in the prescribed manner by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board;"

तो यह दो मेम्बर्स चुनेगा कौन यह तो दिया हुआ है, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि वे वैद्य ही हों। इसी तरह से नम्बर (iii) में:--

"One member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine;"

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ श्री मोहनलाल गौतम ]

इस भाषा के अनुसार किसी व्यक्ति को भी चुना जा सकता है। इसमें उस व्यक्ति के वैद्य होने की शर्त नहीं है इसलिये इसको यहां न रख कर ऐसी जगह रखना चाहिये कि जो सब को कवर करे। मैं समझता हूं कि यह सारे के बाद में रखा जाय तो अच्छा होगा। अगर यह एक दो में करेंगे तो यह उन्हीं व्यक्तियों को कवर करेगा और सारे आदमियों को कवर नहीं करेगा। तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर गौर कर लिया जाय कि यह क्वालीफिकेशन्स सब के लिये हों। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि जो चुन जायेंगे, वह वैद्य होंगे, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इसको यहां न मंजूर करके किसी दूसरी मुनासिब जगह जहां से यह सब को कवर करता हो, रखा जाय।

**श्री बनारसीदास**--माननीय गौतम जी ने जो आपत्ति पेश की है उस संबंध में यदि वह खंड ५ का उपखंड (३) देखें तो उसमें लिखा है कि--

"One member elected in the prescribed manner by each of the Universities established by Law in Uttar Pradesh and having a Faculty of Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine;"

तो यह एक संशोधन तो आयेगा ही कि चुनाव कौन करेगा। फैकल्टी चुनाव करेगी। तो कल भी मैंने जनरल डिस्कशन के समय कहा था कि यूनिवर्सिटी जो प्रतिनिधि भेजेगी वह उसकी फैकल्टी चुन कर भेजेगी। तो माननीय गौतम जी को मालूम होना चाहिये कि फ़कल्टी आयुर्वेदी और यूनानी की होगी, और उसमें वही लोग हो सकते हैं कि जो हकीम और वैद्य हों और फैकल्टी के अन्दर कोई दूसरा आदमी नहीं होता है। अब उनको फैकल्टी चुनेगी। उसके अन्दर साफ तौर से लिखा है कि--

"One member each of the Universities established by Law in Uttar Pradesh".

तो उसके लिये फिर आगे चलकर जहां तक ९ मेम्बरों के चुनाव का सवाल है उसका तरीका बतलाया गया है। उसमें ६ वैद्य और ३ हकीम होंगे, जिनको रजिस्टर्ड हकीम और वैद्य ही चुनकर भेजेंगे। यह हकीम और वैद्य ही होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहां तक और मेम्बरों का सवाल है वह भी दो मेम्बर रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन भेजेंगे और उसमें जो टीचर रहेंगे, वह चुनाव करेंगे। उसमें यह अल्फ़ाज दिये हुए हैं कि--

"two members representing Ayurvedic Educational Institutions of Uttar Pradesh to be elected in the prescribed manner by the teachers of such Institutions as are affiliated to the Board,

(one member representing Unani Educational Institutions of Uttar Pradesh.....)

[nine members (6 Vaids and 3 Hakims) to be elected in the prescribed manner]"

जो लोग वैद्य और हकीम नहीं हैं, वह इसमें कैसे आ सकते हैं? इनका चुनाव तो हकीम और वैद्य ही करेंगे, तो वह हकीम और वैद्य का ही करेंगे। इस वजह से दूसरे आदमी का प्रश्न आने का पैदा नहीं होता।

**श्री मोहनलाल गौतम**--अभी बनारसी दास जी ने तो यह बताया कि कौन चुनेगा? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव होकर जो लोग आयेंगे, उनके लिये यह लाजिमी नहीं है कि वह वैद्य या हकीम ही हों। आज हम देखते हैं कि अपर हाउस में मेम्बर आते हैं वह संविधान में लोकल बाडीज के लिये दिया गया है कि वह भेजें, लेकिन यह उनक लिये जरूरी नहीं है कि वह आदमी लोकल बाडीज के ही आयें। लोकल बाडीज के अलावा दूसरे लोग भी आते हैं। यही बात यहां पर है कि यह जरूरी नहीं है

कि वह वैद्य और हकीम ही हों। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर इस कमी को लां में पूरा कर दिया जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि वह उसी स्प्रिट के अनूकूल होगा, जिसको अभी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने बयान किया । अपर हाउस के लिये रजिस्टर्ड ग्रेजुएट को अधिकार है कि वह एक नुमायन्दा भेजे लेकिन उनके लिये यह जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड ग्रेजुएट ही खड़ा हो। उसमें वह नहीं आते हैं। उनके लिये यह भी कोई रुकावट नहीं है कि दूसरा न आये। इस उसूल को गवर्नमेंट मानती है। और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने उसको अभी बयान किया है कि हकीम और वैद्य उसमें आयें। उसके अनुसार यह अच्छा होगा अगर इसको साफ कर दिया जाय। अगर यह साफ़ हो जाय तो इसमें आगे कोई दिक्कत नहीं होगी।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

†श्री नवलकिशोर--श्रीमन्, जो उपखंड (iii) के बारे में यह कंफ्यूजन आज सब को हो गया है वह इसके बाद जब वह अमेंडमेंट उस उपखंड (iii) में पास हो जायगा तो जो भी यह कन्फ्यूजन लोगों को है वह खत्म हो जायगा । उसका क्या तरीका होगा वह फैकल्टी प्रेसक्राइब करेगी और उसको नियमों के अन्तर्गत तय कर दिया जायगा कि किस तरह से वे चुनाव किये जायं। मैं समझता हूं कि जिस समय वह धर्मदत्त जी का संशोधन पास हो जायगा, तो यह कन्फ्यूजन दूर हो जायगा।

श्री अध्यक्ष--क्या कोई अभी उपखंड (iii) पर संशोधन बाकी है ?

श्री नवलकिशोर--जी हां, वह सबेरे स्थगित कर दिया गया था।

श्री मदनगोपाल वैद्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह सिद्धांत तो स्वीकार कर लिया है कि बोर्ड के जितने सदस्य होंगे, वह वैद्य या हकीम होंगे । लेकिन मैं समझता हूं कि खंड ५ के जो ३, ४, ५ उपखंड हैं मैं उनकी वास्तविकता सरकार को बताना चाहता हूं। सरकार की यदि यह धारणा हो कि फैकल्टी में जो लोग चुने हुए आते हैं वह वैद्य या हकीम ही होते हैं यह बात सही नहीं है । फ़ैकल्टी में दूसरे सदस्य भी होते हैं वह चुनकर आ सकते हैं। फ़ैकल्टी के अलावा जो आयुर्वेदिक एजुकशनल इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी एक सूची होती है जो बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन की तरफ से तैयार की जाती है, वह रजिस्टर्ड टीचर कहे जाते हैं.....।

श्री अब्दुल मुईज़ खां--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय वैद्य जी ने यह संशोधन उपस्थित किया था और माननीय सभा-सचिव ने इसको स्वीकार कर लिया है। उसी पर सदन में बहस चल रही है, दूसरे सदस्यगण इस पर और बोलना चाहते हैं। तो क्या माननीय मदनगोपाल जी वैद्य के बोलने से यह समझा जाय कि डिबेट समाप्त हो चुकी है ?

श्री अध्यक्ष--इसको माननीय नवल किशोर जी ने पेश किया था, इसलिये इस पर बहस जारी रह सकती है।

श्री मोहनलाल गौतम--यह संशोधन माननीय नवल किशोर जी ने पेश किया था और सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन हाउस को इसमें कुछ दिक्कत है, इसलिये इस दिक्कत पर वह बहस हो रही है।

श्री अध्यक्ष--वह संशोधन की मेरिट पर भी बोल सकते हैं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अध्यक्ष महोदय, गौतम जी ने एक सुझाव रक्खा था, उस पर विचार करके मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--पहले माननीय मदन गोपाल जी बोल लें तब आप अपना सुझाव रक्खें।

श्री मदनगोपाल वैद्य---मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार का यह ख्याल है कि इन धाराओं के तहत वैद्य और हकीम ही चुनकर आयेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति इसके विपरीत है, क्योंकि फैकल्टी में वैद्य और हकीमों के अतिरिक्त और दूसरे लोग भी होते हैं, जैसे रजिस्ट्रार और वाइस-चांसलर आदि पदाधिकारी। इसके अतिरिक्त जो आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन्स के टीचर्स हैं उनमें भी एलोपैथ्स होते हैं, उनको भी वहां वोट देने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि वहां से जो प्रतिनिधि चुनकर आयें वह वैद्य या हकीम ही हो, वह डाक्टर भी हो सकता है। लेकिन सरकार की मंशा यह है कि वैद्य या हकीम ही चुनकर आना चाहिये। यूनानी संस्थाओं में भी जो अध्यापक हैं, उनमें डाक्टर लोग भी हैं, वहां से भी वे चुनकर आ सकते हैं। इसलिये इन धाराओं के संबंध में सरकार की स्थिति साफ करनी चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जो मंशा माननीय सदस्यों की थी और जो सरकार ने मंजूर कर ली ..

श्री जगन्नाथ बल्ल---ऑन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। क्या माननीय मंत्री जी को तीन बार बोलने का अधिकार है?

श्री अध्यक्ष---उन्हें भाषण नहीं देना है, उनको केवल एक सुझाव देना है।

†श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं ऐसा सुझाव रखना चाहता हूं कि जो भाषा इस विधेयक में है अथवा संशोधन में है उससे कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन यदि हम दफा ५ में इस प्रकार से शब्दों को रख दें, तो वह दिक्कत और शंका मिट सकती है, जो कि मौजूदा भाषा से कदाचित उत्पन्न हो सकती है। वह इस प्रकार है:---

"The Board shall consist of the following members (including the President) from amongst the Vaids and Hakims whose name appear in the Register :"

†श्री नारायण दत्त तिवारी---अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल एक यह इशारा करना है जैसे बहस सारे खंड पर ही चालू है लेकिन इस समय माननीय लेख प्रताप सिंह का संशोधन धारा ५ (१) (i) के मुताल्लिक है और नवल किशोर जी का भी संशोधन इसी पर है। इस समय उस पर ही बहस चल रही है लेकिन क्योंकि वहां तक बहस सीमित थी और अब नया सुझाव जो आया है वह सीमित नहीं है बल्कि वह तो सारे खंड तक जाता है। या तो पहले माननीय नवलकिशोर जी का संशोधन स्वीकार कर लिया जाय और बाद में गुप्ता जी या गौतम जी का संशोधन लिया जाय। या यह हो कि श्री नवलकिशोर जी वापस ले लें और सरकार स्थगित करके बहस रिड्राफ्ट होने के बाद करावे। इस तरह से तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---मैं भी जरा समझ लूं, उसका जो तरीका होगा उस पर विचार कर के मैं अभी बताऊंगा। यह तो मान ही लिया है कि जो वैद्य और हकीम होंगे वही मेम्बर्स में शामिल होंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं समझता हूं कि अब सदन की मन्शा भी व्यक्त हो चुकी है और मैंने भी अपने विचार सदन को बता दिए हैं इसलिये यदि सदन को आपत्ति न हो तो दूसरे दिन अपने लॉ आफिसर से बातचीत करके इसकी भाषा को जैसे सिद्धांत अभी स्वीकार किया है उसके अनुसार ठीक करके लाया जाय तो मुनासिब होगा और अभी आगे की कार्यवाही ले ली जाय, जो आगे खंड हैं। परसों इसको रिड्राफ्ट करके उपस्थित कर दिया जायगा और अभी आगे का खंड ले सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---यही ठीक है, यही तरीका है, पांचवां खंड स्थगित किया जाता है।

---

† वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

( एक क्षण के अनन्तर )

(श्री तेजप्रताप सिंह से) क्या आपके संशोधन पर वोटिंग हो चुकी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उस पर बहस हो चुकी, वोटिंग हो चुकी है और वह नेगेटिव हो चुका है, लेकिन हम आज इसकी भाषा में कुछ परिवर्तन करके ठीक करना चाहते हैं और यह तो हम स्वीकार ही कर चुके हैं कि बोर्ड के सदस्य वैद्य और हकीमों में से होंगे।

श्री तेजप्रताप सिंह--मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो खंड ५ की रिड्राफ़्टिंग होगी, उसमें वह चीजें जो प्रस्तुत हो चुकीं क्या वह खत्म हो गयी ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने केवल यह सिद्धांत मान लिया है कि उसमें वैद्य और हकीम होंगे और उसके आधार पर रिड्राफ़्टिंग होगा। बस इतनी ही बात है।

श्री तेजप्रताप सिंह--रिड्राफ़्टिंग में तो १ से लेकर ५ तक सब में प्राविजो लगा कर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। मेरा मतलब केवल यह था कि पांचवां खंड फिर से रिड्राफ़्ट होगा और बहस फिर से जारी रहेगी।

श्री अध्यक्ष--बहस नहीं जारी है, खंड ५ में प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (१) में ही तो रिड्राफ़्टिंग होगा।

श्री तेजप्रताप सिंह--नम्बर ५ और १, और उसके नीचे सब-क्लाज (१) जहां तक हमारा आ चुका है।

श्री अध्यक्ष--ठीक है आपका आ चुका है, लेकिन आगे और भी अमेंडमेन्टस् आने वाले हैं।

श्री तेजप्रताप सिंह--वह तो बड़ी आसानी से खत्म किये जा सकते हैं एक एक क्लाज को लेकर।

श्री अध्यक्ष--तो क्या आप पोस्टपोनमेंट का विरोध करते हैं ?

श्री तेजप्रताप सिंह--अगर पोस्टपोन करते हैं तो सिर्फ नम्बर १ के सब-क्लाज (१) तक आ चुका है तो यहां से खत्म कर दिया जायगा या फिर से नम्बर ५ से शुरू होगा।

श्री अध्यक्ष--एक तो आपका संशोधन जनरल क्लाज ५ पर था सब्स्टीटयूट करने वाला, वह तो खत्म हो चुका वह रिओपेन नहीं हो सकता। जो आपने पांच का अमेंडमेंट आज सबेरे दिया था वह फिर से नहीं आ सकता। अब इसके जितने अमेंडमेंटस् ५ (१) के रह गये हैं और जहां से वे संशोधन शुरू होते हैं वहां से लिया जायगा।

श्री तेजप्रताप सिंह--जो टेक अप हो गये हैं उनको रिड्राफ्ट करके फिर से पेश करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--आपका तो खत्म हो चुका, उसके बारे में तो नहीं हो सकता।

श्री तेजप्रताप सिंह--वह तो ठीक है लेकिन जो और टेक अप हो चुके हैं उनको क्या लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--लेकिन वह अगर हो भी चुके हैं तब भी वोट अभी उन पर नहीं लिये गये हैं, और जब वोट नहीं लिये गये तो सदन की अनुमति से उसको फिर से रिड्राफ़्ट करने के लिये मैं इजाजत देता हूं कि सदन की यह इच्छा है कि उसको रिड्राफ़्ट करके मंत्री जी पेश करें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, यह तो निवेदन हम लोगों ने किया था, आरम्भ में ही, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसको उस वक्त स्थगित कर दिया। वह स्थिति खैर अब बाद में आयी। मैं अब केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब रिड्राफ़्टिंग होकर आयेगी तो उसका असर इस पूरे क्लाज पर पड़ेगा, तो फिर अगर हम उसको समझते हैं कि वह हानिकारक है तो क्या हमको उस समय अपनी सम्मति व्यक्त करने का अधिकार होगा ?

श्री अध्यक्ष--क्यों नहीं होगा ?

श्री बनारसीदास--नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि हम अजेंडे के १० वें आइटम तक आ चुके हैं। तेजप्रताप सिंह जी का संशोधन तो रिजेक्ट हो चुका है, उस पर विचार नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष--उस पर उनको आपत्ति नहीं है। रिड्राफ़्टिंग जिस विषय पर होकर आयेगा उसी विषय के बाद से शुरू होगा और उसके पहले की जो चीज है उस पर बहस नहीं होगी।

(इसके उपरान्त खण्ड ५ पर विचार स्थगित हुआ।)

## खण्ड ६

यू० पी० ऐक्ट १०, १९३९ की धारा १० का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President or any member nominated under sub-section (1) of section 5 shall be removable by the State Government alone."

श्री जगन्नाथ मल्ला--श्रीमन्, इसमें कुछ शब्द छूट गये हैं उनको जोड़कर मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित धारा १० की उपधारा (२) को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय--

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President shall only be removed when a vote of no-confidence has been passed against him by the Board :

Provided that the no-confidence motion is carried by more than half the members of the Board."

श्रीमन्, पहले जो मूल अधिनियम में था वह इस प्रकार था--

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a Chairman may be removed by the Provincial Government only."

उसमें यह था कि स्टेट गवर्नमेंट ही चाहे तो प्रेसीडेंट को रिमूव कर सकती है, लेकिन अब जो यह संशोधन विधेयक आया है इसके द्वारा सरकार अपने पावर को और बढ़ाना चाहती है। इसमें है--

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) the President or any member nominated under sub-section (1) of section 5 shall be removable by the State Government alone."

श्रीमन्, पहले तो खाली प्रेसीडेंट के ही रिमूवल का सवाल था, लेकिन अब तो जितने नामिनेटेड मेम्बर्स हैं उनके भी रिमूवल का अख्तियार सरकार अपने हाथ में ले रही है। पहले जो धारायें हैं उनके अनुसार यह अख्तियार बोर्ड को ही था और उसमें कुछ प्राविजन्स दिये गये थे कि कोई मेम्बर ऐसा करता है तो बोर्ड उसको हटा सकता है। लेकिन अब जितने नामिनेटेड मेम्बर्स हैं उनको हटाने का अख्तियार सरकार अपने हाथ में ले रही है और जितने इलेक्टेड हैं उनके लिये बोर्ड को अख्तियार होगा कि हटा दें। मैं समझता हूं कि इस तरह से मेम्बरों को दो तरह से ट्रीट करना उचित नहीं होगा। इसलिये कि जो मेम्बर एक दफा नामिनेट होगा वही मेम्बर होगा और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन रक्खें तो बहुत उचित बात नहीं होगी। मैं तो यह भी चाहता था कि प्रेसीडेंट भी इलेक्ट किया जाय लेकिन हाउस ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अब उसको हटाने का अख्तियार भी बोर्ड से सरकार ले रही है और अगर बोर्ड को उसको हटाने का अख्तियार नहीं होगा तो प्रेसीडेंट बोर्ड को कुछ नहीं समझेगा। बोर्ड एक खिलवाड़ मात्र रह जायगा और सरकार जो है एक प्रेसीडेंट को नामिनेट करके जिस तरह से चाहेगी, उस तरह से मनमाना करा सकती है। इसलिये श्रीमन्, मैंने यह संशोधन पेश किया कि जो मेम्बर्स हों उनको कम से कम यह अख्तियार दिया जाय, क्योंकि कठपुतली बना कर आप किसी भी संस्था को ठीक रूप से चला नहीं सकते। आप विश्वास रखिये, इतना तो आपको मानना होगा कि जो लोग उसमें आयेंगे वे कुछ चुने हुए लोग आयेंगे और कुछ आप नामिनेट करेंगे। वे कोई पागल नहीं होंगे। अगर आप भी पागलों को नामिनेट करते हों तब तो मैं कुछ नहीं कह सकता वर्ना ऐसे लोगों को जिनको आप नामिनेट करेंगे या जो लोग चुनकर आयेंगे, उनको यह अख्तियार होना चाहिये कि अगर प्रेसीडेंट किसी किस्म की गल्ती करता है, या किसी किस्म का हस्तक्षेप करता है जिससे बोर्ड के काम में दिक्कत होती हो या जिससे इस ऐक्ट की मंशा की पूर्ति न होती हो तो ऐसी हालत में बोर्ड को यह अख्तियार होना चाहिये कि वह प्रेसीडेंट को हटा सके। सरकार का अपने हाथ में लेना यह अख्तियार कुछ उचित नहीं मालूम होता। नामिनेशन की बात तो ठीक है क्योंकि आप उस अख्तियार को अपने हाथ में खुद ले रहे हैं, साथ ही उसको हटाने का अख्तियार भी अगर आप अपने हाथ में लेते हैं तो यह मुनासिब न होगा। यही नहीं, श्रीमन्, पहले तो मेम्बरों को जो नामिनेट किये जाते हैं, उनको भी हटाने का अधिकार बोर्ड को था। वह अधिकार भी अब सरकार अपने हाथ में ले रही है। इस तरह से अधिकारों को हाथ में ले लेकर किसी संस्था को कठपुतली बना देना कुछ उचित न होगा। इसलिये श्रीमन्, मैं समझता हूं कि ज़रा बोर्डों को आज़ाद रहने दिया जाय। हर जगह बोर्ड बनते हैं और उनको अख्तियार रहते हैं। जैसे म्युनिसिपल बोर्ड हैं उसके मेम्बरों को अधिकार है कि यदि चेयरमैन ठीक से काम नहीं कर रहा है या प्रेसीडेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है और वह कोई ऐसी गड़बड़ी पैदा करता है जिससे बोर्ड ठीक से नहीं चल पा रहा है, एम्बेज़िलमेंट करता है या और कोई काम करता है जो जनता के हित के लिये ठीक नहीं है तो वहां पर बोर्ड को यह अधिकार है कि वे अपने प्रेसीडेंट को हटा दें। तो श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि चाहे कोई भी बोर्ड हो जब तक यह अधिकार उसके मेम्बरों को नहीं मिलता वह बोर्ड ठीक से नहीं चल सकता। काम तो मेम्बरों को करना है, सारे प्रस्ताव उनको पास करने हैं और उसको हटाने का अधिकार सरकार ले ले तो वह मनमानी करेगा। अगर प्रेसीडेंट आकर खाली गलत काम किया करे और मेम्बरों को ठुकराये, कुछ परवाह नहीं। फिर कुछ नहीं कर सकते। कठपुतली बन जायंगे। इसलिए यह अधिकार मेम्बरों को होना चाहिए कि चेयरमैन को हटा सकें या किसी भी मेम्बर को हटा सकें। और उसके लिए इसमें धाराएं दी गई हैं कि वह यह काम अगर करता है तो वह हटाया जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत ही उचित होगा कि हमारे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय क्योंकि इसके स्वीकार करने से ही बोर्ड ठीक ढंग से काम कर सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

**श्री बनारसी दास**—अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन पेश किया गया है, पहले जो सदन ने निर्णय किया है उसी के स्प्रिट के खिलाफ है। अगर आपका संशोधन मान भी लिया जाय कि बोर्ड को यह अधिकार दिया जाय कि वोट आफ नो कांफीडेंस पास करें, लेकिन फिर जो स्थान होगा, उसकी पूर्ति सरकार ही करेगी, नामिनेशन द्वारा होगा। तो यह दोनों चीजें परस्पर विरोधी हैं। जब इस उसूल को सदन ने मान लिया कि प्रेसीडेंट का नामिनेशन सरकार द्वारा होगा, तो फिर यह भी अपने आप कारोलरी हो जाती है कि प्रेसीडेंट को अलग भी सरकार द्वारा किया जायगा। बोर्ड और म्युनिसिपैलिटीज का यहां उदाहरण देना ठीक नहीं बैठता। वह तो ऐडमिनिस्ट्रेटिव बाडीज हैं, वह राजनैतिक इकाइयां हैं, यह कोई राजनैतिक दल या राजनैतिक संस्था नहीं है। यह तो एक विशेष साइंस की प्रगति और विकास के लिए है। तो सदन ने जब यह मान लिया कि प्रेसीडेंट नामिनेटेड होगा तो वह वोट आफ़ नो कांफीडेंस वाला तर्क देना सदन के उस निर्णय के विरुद्ध मालूम पड़ता है, इसलिये मुझे बड़ा खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

**श्री राजनारायण**—श्रीमन्, जो संशोधन प्रस्तुत है जगन्नाथमल्ल जी का मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। एक ही बात, श्रीमन्, आज सरकारी पक्ष से बार-बार दोहरायी जा रही है और जब आप यहां नहीं थे तो मैंने निवेदन किया था कि बार-बार इंटेंशन, मनोवृत्ति की दुहाई क्यों दी जाती है? हमको यहां पर यह देखना है कि जिस तरह का विधेयक है इससे कैसी-कैसी कार्यवाहियां हो सकेंगी। इसी दृष्टिकोण से हमें विधेयक पर विचार करना है। हम बार-बार यह मान चुके हैं कि सरकार की मनोवृत्ति बढ़िया है। लेकिन अगर बढ़िया मनोवृत्ति से काम खराब हो तो उस बढ़िया मनोवृत्ति को लेकर क्या करें? इसलिये फिर मैं निवेदन कर रहा हूं कि वह सरकार की मनोवृत्ति और सदिच्छा की बात न रखा करें। एक ही बात माननीय बनारसी दास जी ने अपने तर्क में कही। यह बात असंगत मालूम होती है कि सरकार तो नामिनेट करे और उस पर अविश्वास का प्रस्ताव बोर्ड करे तब वह हटाया जाय। यह असंगत किस मष्तिष्क का द्योतक है? मैं माननीय बनारसी दास जी से निवेदन करूंगा कि जरा वह इस पर गंभीरता से विचार करें। यह सरकार की ओर से कहा नहीं जा सकता कि इसे सर्वसम्मति से सदन ने पास किया है। हमारी जितनी ताकत थी, उसको लेकर हमने विरोध किया। हमने नामिनेशन का भी विरोध किया कि नामिनेशन नहीं होना चाहिये। बल्कि जो पुराना कानून था उसमें नामिनेशन नहीं था। उसमें एलेक्शन था। तमाम मेम्बरान चेयरमैन को चुनते थे। यह दसवीं धारा देखी जाय, जिसको सरकार संशोधित करना चाहती है। उसमें कई एक कायदे की बातें थीं कि कब वह डिसक्वालीफ़ाइड समझा जायगा या कब मेम्बरी से अलग हो जायगा, मैं सबको पढ़ना नहीं चाहता। एक-एक लाइन करके बता देना चाहता हूं। अगर वह लगातार तीन मीटिंगों में बिना उचित कारणों के अनुपस्थित रहे या उसमें जो सातवीं धारा में डिसक्वालिफिकेशन बतायी गयी है उसकी भी लम्बी लिस्ट है, उसके मुताबिक अयोग्य माना जाय, या कोई लीगल प्रेक्टीशन हो, जैसे वकील हो और कुछ हो या वह किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स या सूट में लगा हो या गवर्नमेंट की किसी सर्विस में। ऐसे लोगों के लिये बहुत सी डिसक्वालिफ़िकेशन थी कि ऐसे लोग मेम्बर होते हुए भी वहां से अलग कर दिये जायेंगे। अब सरकार चेयरमैन के बारे में एक अधिकार लेना चाहती है कि वह जब चाहे तब उनको हटा दे, रिमूव कर दे। मैं सदन के सम्मानित सदस्यों की सद्बुद्धि पर छोड़ रहा हूं, एक बार सरकार ने नामिनेट कर दिया, सरकार यह अधिकार लेने के लिये तैयार थी उसने यह अधिकार ले लिया, फिर भी सरकार क्यों चाहती है कि जब भी सरकार चाहे तभी हटा दे। जब सरकार चाहे तब हटा देने की शक्ति सरकार के पास रहे तो बराबर वह व्यक्ति सरकार के इशारे पर काम करता रहेगा चाहे उसका काम अच्छा हो, जनता के हित में या अहित में हो इसकी उसे कोई परवाह नहीं रहेगी। वह तो बराबर यह चाहेगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री या सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है यह बराबर हमसे प्रसन्न रहे। जैसा कि हमने श्रीमन्, यहां पर

उदाहरण उपस्थित किये थे कि ऐसे २ सबूत हमारे पास मौजूद थे और अब भी वे साबित हो सकते ह। श्रीमन्, जो उसके बारे में आवाज उठाने वाला व्यक्ति था उसको यहां से उठा करके फेंक दिय गया, उस बेचारे को अपनी रोजी चलाने के लिये दूसरी जगह जाना पड़ा। आयुर्वेद विभाग में दवाइयां बनती हैं सरकार की। श्रीमन्, सोना आता है कितना आता है? कितने का आता है? कैसे और कितनी उसकी भस्म बनती है? इसकी कहीं सफ़ाई नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में जा कर हमने जो फाइल उपस्थित की और हमने कहा कि आप अपने आदमी दीजिए सारे रजिस्टर पकड़वा दें और सब चार्ज साबित करने के लिये तैयार हैं.....

श्री बनारसी दास--आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर। माननीय सदस्य अभी खंड ५ के संबंध में जो कह रहे थे, उसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--अगर आपने कहा था तो मैं समझता हूं कि दुबारा न कहें।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, उस समय मैंने डिटेल में कहा था अब रिफ़रेंस के लिए कह रहा हूं। तो मैं इतना ही माननीय बनारसी दास जी से जानना चाहता हूं कि वह डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर जो इस समय मेडिसिन बोर्ड के हैं वे सरकार के कृपापात्र बन करके रहेंगे या जन-सेवक बन करके रहेंगे? वे जनता के लिये लाभकारी काम करेंगे या माननीय मंत्री जी और उपमंत्री जी और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की जी हुजूरी करके सारा अपना कारोबार चलाना चाहेंगे। अगर श्रीमन्, उनको हटाने का अधिकार सरकार का रहेगा, तो वे सरकार को हर तरह से खुश करने की कोशिश करेंगे चाहे जनहित का काम हो या न हो। इसलिये मैं सरकार के हाथ में उन्हें हटाने का अधिकार देने का घोर विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि जब राज्य सरकार के लिये यह उचित है कि नामिनेशन का अधिकार उसने ले लिया तो कम से कम अब एक बार तो वह ऐसा काम करे जिससे कि सरकार ही के ऊपर बराबर मुनहसिर रह कर, लालायित न रह कर वह प्रेसीडेंट बोर्ड के तमाम सम्मानित सदस्यों पर, सरकार ने जो नियम बनाया है या बनायेगी जिसके अनुसार बोर्ड बनेगा, उन पर क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है कि वे मेम्बर उस प्रेसीडेंट के कार्य को देखें। अगर उसका कार्य खराब होता है तो बोर्ड के मेम्बर बैठ करके उसपर विचार करें, उनके ऊपर बाकायदा नोटिस दें, अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना दे करके उसको सफ़ाई का मौका दें और मौका मिलने के बाद यदि मेम्बर संतुष्ट नहीं होते तो मेम्बर जैसा मल्ल जी ने लिखा है कि सारे बोर्ड के आधे मेम्बर बैठ कर के उनके ऊपर अगर अविश्वास का प्रस्ताव पास करना चाहें तो कर दें। इतना तर्क तो हम मानने के लिये तैयार हैं अगर सरकार चाहे तो मैजारिटी को दो तिहाई कर दे, मल्ल जी ने आधे का रक्खा है, तो हम उनसे कह सकते हैं कि बहुत जगह दो तिहाई की मैजारिटी से प्रेसीडेंट को निकालने की प्रथा है यहां पर भी वही कर दें। मगर यह बराबर कहना कि अगर उसके निकालने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं होगा तो बड़ा गड़बड़ होगा क्या गडबड़ होगा? कोई बात तो बतायें। खाली एक संज्ञा का सरकार प्रयोग कर देती है कि उससे गड़बड़ होगा, असंगति होगी। श्रीमन्, न तो कहीं असंगति है और न कहीं गड़-बड़ है। फिर मैं उन्हीं शब्दों को दोहराना चाहता हूं कि सरकार अपनी इच्छा के बारे में चाहे जो कुछ कहे मगर जितना काम यह सरकार कर रही है वह सारा काम उसकी तानाशाही की मनोवृत्ति को सूचित करता है और यह कह देने से काम नहीं चलेगा कि यह स्वास्थ्य विभाग है इसमें राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिये। कौन इसको राजनीति का अखाड़ा बना रहा है, यह सरकार बना रही है या जगन्नाथ मल्ल जी बना रहे हैं? मैं कहता हूं कि सरकार बना रही है इसको राजनीति का अखाड़ा और अगर वह राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहती तो माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का संशोधन क्यों न माना जाय। सरकार के द्वारा सरकार के बनाये हुए कानून के द्वारा बोर्ड का निर्माण होगा, बोर्ड के आधे मेम्बर या दो तिहाई मेम्बर चेयरमैन के कामों को बराबर देखकर उसके

[श्री राजनारायण]

प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पेश करना चाहें तो पेश कर सकते हैं। ऐसे संशोधन को मान लेने में क्या सरकार को आपत्ति है ? सही माने में यह राजनीति का अखाड़ा नहीं होना चाहिये इसमें दो रायें नहीं होनी चहिये। मगर मैं देख रहा हूं श्रीमन्, इसमें दो रायें हैं। तो जो आज की रूलिंग पार्टी है वह जीवन की किसी क्षेत्र को भी राजनीति से अछूता नहीं रखना चाहती। कोई भी क्षेत्र चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टिकोण को, राजनीतिक नुक्तेनजर को रखना चाहती है। मैं उसका जबर्दस्त विरोधी हूं और कहना चाहता हूं कि केवल यह कह देने मात्र से कि "इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए", "राजनीति इसमें नहीं आती हो", ऐसी बात नहीं है। राजनीति इसमें आ जाती है। सरकार को अगर जनता के विकास के लिए, उसके स्वास्थ्य के विकास के लिए बोर्ड का निर्माण करना है, आयुर्वेद को विकसित कराना है, यूनानी पद्धति को तरक्की देनी है, तो इस तरह का बोर्ड बनाना चाहिये, जो बोर्ड या बोर्ड का पदाधिकारी हर बार हर समय उस प्रणाली और उस व्यवस्था से अपने को संचालित करता हुआ ले चले और कहीं भी ऐसी शक्ति सरकार के हाथ में नहीं रहनी चाहिये कि अब तो यह चेयरमैन या प्रेसीडेंट खराब हो गया, इसको निकाल दो या अब यह अच्छा हो गया इसको रख दो। यह भी नहीं है इसमें कि एक बार का निकाला हुआ या रिमूव किया हुआ दूसरी बार फिर नहीं रक्खा जा सकता। यह भी कहीं नहीं है। यानी यह भी अधिकार सरकार के पास है कि एक बार किसी को रिमूव किया और आगे चल कर 'जस्ट लाइक ए गुड ब्वाय' उसने सरकार को संतुष्ट कर दिया कि अब वह सरकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करेगा, तो फिर उसको वह नियुक्त कर दे। तो कहीं भी जनमत की पाबन्दी होगी ? श्रीमन्, अगर देखा जाय तो पहले का जो ऐक्ट था उस पहले के कानून के मुताबिक सरकार समय-समय पर चेतती थी और चेक्स थे, ऐसी रुकावटें थीं, जिससे कि सरकार निरंकुश होकर के जितनी दूर पौड़ना चाहे नहीं पौड़ सकती थी .....

श्री अध्यक्ष--अब मैं समझता हूं आप दोहरा रहे हैं।

श्री राजनारायण--जी नहीं, श्रीमन्, मैं अभी समाप्त करता हूं।

तो पहले तो इसमें रखा गया था कि हाईली डिस्टिंक्शन प्राप्त किया हुआ व्यक्ति .....

श्री बनारसी दास--आन ए प्वाइंट आफ़ आर्डर। मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्वालिफ़िकेशन का क्लाज क्या होगा इसके बारे में अभी आपने निर्णय किया है। यह फ़ैसला हुआ है कि पांचवीं क्लाज़ को स्थगित किया जाता है। माननीय सदस्य फिर उसी को दोहरा रहे हैं और इस संशोधन से तो इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री जगन्नाथमल्ल--श्रीमन्, बड़ा दुख है कि माननीय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को यह भी नहीं मालूम है कि प्वाइंट आफ आर्डर क्या होता है।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके जरा उन्हें जोश न दिलाइए।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय बनारसी दास जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर वह हमारी बात मान लें तो हम माननीय बनारसी दास जी को प्रतिभा सम्पन्न और हर विषय का जानकार व्यक्ति घोषित करने के लिये तयार हैं, अगर वह इस संशोधन को मान लें।

†श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं माननीय जगन्नाथमल्ल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसकी शब्दावली में थोड़ा हेर-फेर किया जा सकता है। लेकिन इसका भाव बिल्कुल सही है और उसके साथ ही साथ श्रीमन्, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कारणों से आपने खंड ५ का विचार आज स्थगित किया है और सरकार ने इस सुझाव को माना है उन्हीं कारणों से इस खंड ६ को भी आज स्थगित कर दिया जाय।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप अगर श्रीमन्, मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (१) देखेंगे तो उससे स्पष्ट हो जायगा कि इस खंड पर विचार होना स्थगित होना क्यों आवश्यक है। खंड ५ में यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है कि वह कोई प्रेसीडेंट या मेम्बर केवल वैद्य या हकीम ही हो सकता है, चाहे फैकल्टी की ओर से आये, चाहे नामिनेट होकर आये, चाहे वह एलेक्ट होकर आये। हर हालत में हकीम या वैद्य ही होंगे। अब अगर धारा १० को चाहे वह पुरानी हो और चाहे जो संशोधन आज प्रस्तुत किया गया है उसके आधार पर उस सिद्धांत की कसौटी में कसें तो यह धारा आमूल-चूल बदलनी चाहिए। अब विधेयक में धारा १० के प्रस्तुत संशोधन को देखें तो आप देखेंगे कि सदस्यों को दो प्रकार से बांट दिया गया है। एक तो वह जो सरकार द्वारा नामजद होते हैं और दूसरे वह सदस्य जिनका चुनाव होता है। दोनों प्रकार के सदस्य वैद्य हकीम होंगे। लेकिन फ़र्क यह कर दिया गया है कि जो नामजद होंगे उनको तो केवल राज्य सरकार हटा सकेगी, लेकिन जो चुने हुए होंगे उनके लिये उपधारा (१) है। उसी को आप देखिए कि किस प्रकार है? अगर कोई मेम्बर तीन मीटिंगों में लगातार नहीं आता है और कोई उचित कारण नहीं देता है तो वह हटा दिया जायगा। अब श्रीमन्, बताइए कि चुने हुए को तो हटायें और नामजद के लिये कह दें कि राज्य सरकार हटायेगी, यह कितना ग़लत है? नामजद वैद्य और चुने हुए में डिस्टिंक्शन उचित नहीं है। अगर तीन बार नामजद सदस्य भी नहीं आता है, प्रेसीडेंट नहीं आता है तो क्यों सदस्य या सभापति रहेगा? तो यह नामजद और ग़ैर-नामजद के लिये भी लागू होता है। इसी प्रकार धारा ७ में अगर कोई डिसक्वालिफ़िकेशन हो गयी है, दिवालिया हो गया हो, तो अगर नामजद दिवालिया हो गया है तो बोर्ड नहीं हटा सकता है, लेकिन चुने हुए का दिवाला हो गया तो बोर्ड हटा सकता है। ऐसे ही अगर कोई पागल हो गया है तो नामजद को बोर्ड नहीं हटा सकता। अगर कोई मारेल टरपीट्यूड की बात है या रजिस्टर से रिमूवल कर दिया गया है या बोर्ड का एम्प्लाई हो गया है तो यह चीजें नामजद और चुने हुए दोनों पर लागू होती हैं। अब आप (सी) खंड को देखें--

"Being a legal practitioner, appears in any suit or proceeding, civil or criminal against the Board."

जहां आपने सिद्धांत मान लिया कि वैद्य और हकीम ही होगा, वहां इसमें है कि वकील लोग भी होंगे। तो वकील तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिये मेहरबानी करके इस खंड १० पर फिर विचार किया जाय, यह अव्यावहारिक है। मैं समझता हूं कि बिना मतलब के वैद्य हकीमों में फर्क कर दिया गया है। नामजद सदस्य कह सकता है कि हमको बोर्ड क्या हटायेगा, हम नामजद हैं, हम चाहे दिवालिया हों, हमारा दिमाग ख़राब हो, सरकार ही हटा सकती है। चुने हुए कहेंगे कि हमको बोर्ड भी हटा सकता है। तो इस तरह से नकली दीवार खड़ी करना, मैं समझता हूं कि एक अनुपयुक्त वस्तु है।

अब दूसरी बात सभापित के बारे में है। मान लिया थोड़ी देर के लिये कि सभापित नामजद हो, लेकिन प्रश्न तो यह है कि ऐसा सभापति क्यों रक्खा जाय जिसके ऊपर बोर्ड के भारी बहुमत का अविश्वास है? यह आज तक किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चाहे कोई बोर्ड हो, कमेटी हो या कमीशन हो, जहां पर एक बार सभापित के प्रति सदस्यों का अविश्वास होता है, स्थायी रूप से होता है। आखिर बोर्ड में सदस्य जिम्मेदार व्यक्ति ही होंगे। उस सभापति से सदस्य कम जिम्मेदार नहीं होंगे। सभी प्रकार के सदस्य होंगे। नामजद भी होंगे, चुने हुए भी होंगे, फैकल्टीज से आये हुए बड़े-बड़े विद्वान भी होंगे। तो जहां ऐसे विद्वानों की संस्था हो, वहां अव्वल तो कोई ऐसी स्थिति आयेगी ही नहीं। वहां तो पारस्परिक सहयोग, प्रेम और सोहार्द से ही काम चलेगा। लेकिन अगर बदकिस्मती से कोई सभापति बोर्ड का विश्वास प्राप्त न कर सकें और बोर्ड यह चाहे कि यह हमारे सभापति न रहें तो उसका एक तरीका है--अविश्वास का प्रस्ताव--जो आज म्युनिसिपल बोर्ड में चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में चलने वाला है। तो यह अविश्वास के प्रस्ताव वाला

[ श्री नारायणदत्त तिवारी ]

सिद्धांत प्रजातांत्रिक संस्थाओं में आज से नहीं बहुत समय से चलता चला आ रहा है। अब जिस प्रकार सरकार ने व्यवस्था की है उसके आधार पर बोर्ड में खामखाह एक जिच रहेगी। अगर बोर्ड के सभापति में उसके मेम्बरों का विश्वास नहीं है। तो वे सरकार के पास रेप्रेजेंट करेंगे कि बोर्ड का सभापति यह कर रहा है, वह कर रहा है, और बोर्ड का प्रेसीडेंट चूंकि सरकार का नामजद है इसीलिये वह और निरंकुश होता जायगा। बजाय बोर्ड का विश्वास प्राप्त करने के उसकी निरंतर चेष्टा यह रहेगी कि वह सरकर के उच्चाधिकारियों का विश्वास प्राप्त करें। यह मनुष्य मात्र के स्वभाव में स्वाभाविक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि खंड ५ में सिद्धांत बदल चुका है, जो पुराना सिद्धांत था उसको हमने हटा दिया है और पुराने खंड ५ के आधार पर यह खंड १० लिखा गया था। इसलिये श्रीमन्, मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि आप सरकार को सलाह दें इस खंड पर विचार स्थगित करें।

श्री बनारसीदास--दसवीं धारा का तो डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। यह तो खंड ६ चल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं मूल अधिनियम की धारा १० को कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मालूम होता है कि माननीय सभा सचिव जी ने मेरी बात को ठीक सुना नहीं। वह कहते हैं कि अधिनियम की धारा ६ पर विवाद हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--आप उनकी बात सुनते क्यों हैं? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप असंगत हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको पढ़ने की चेष्टा करें और अधिनियम की धारा १० और प्रस्तुत विधेयक के खंड ६ पर विचार स्थगित करें या फिर इस संशोधन को मान लें। नहीं तो ठीक है, फिर वकील लोग भी बोर्ड के सदस्य हो सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--इस सम्बन्ध में जरा मैं कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक इसमें अन्तर किया गया है धारा १० की उपधारा (१) में और जो डिसक्वालिफ़िकेशन्स दी हुई हैं ७ में, तो यह जो आक्षेप नारायणदत्त जी ने किया है, तो अन्तर रहते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता है इस संशोधन से। इस संशोधन का केवल इतना मतलब है कि निकालने वाला कौन होगा? बोर्ड उनको निकालेगा जो कि डिसक्वालिफाइड होंगे और जिन पर डिसएबिलिटीज होंगी, और चूंकि वे डिसएबिलिटीज और डिसक्वालिफ़िकेशन्स नामजद आदमियों के लिये भी लागू होंगी इस कारण उनको निकालने का अधिकार केवल सरकार का होगा। इतना अन्तर उन्होंने किया है शायद नामजदगी की वजह से। कुछ लोग चुनाव से सदस्य हैं उन्हें निकालने का इसलिये बोर्ड को अधिकार दे दिया है और कुछ लोगों की नामजदगी होना है इसलिये सरकार को उन्हें निकालने का अधिकार दे दिया है। लेकिन एक बात नारायणदत्त जी की सही मालूम होती है कि धारा १०(१) में जब यह है कि--

"Being a legal practitioner, appears in any suit or proceeding, civil or criminal against the Board." जब सरकार ने स्वीकार किया कि बोर्ड में सिर्फ़ वैद्य और हकीम होंगे तो फिर लीगल प्रैक्टीशनर्स कैसे होंगे, यह प्रश्न कैसे सुलझाया जायगा? तो यद्यपि इसके रहने से कोई असर नहीं पड़ेगा अमल करने में तो भी यह हिस्सा इनएप्लीकेबिल रहेगा। वह रिडंडेंट हो जायगा और लोग हंसेंगे। इस बात पर मैं

समझता हूं कि माननीय मंत्री जी विचार करके खण्ड १० (१) में इतना परिवर्तन करेंगे। जब परसों आयें तो खंड ५ दुरुस्त करके आयें और उससे जो कांसीक्वेंशल नतीजा निकलता है, यानी यह अनावश्यक सा हिस्सा निकाल दिया जायगा, जो इस प्रकार है :--

'Being a legal practitioner', तो इतना मैं समझता हूं कि नारायणदत्त जी का कहना वाजबी है। लेकिन इसकी वजह से यह कोई आवश्यक नहीं है कि यह संशोधन जो उपस्थित हुआ है, उस पर विचार न किया जाय। क्योंकि वह निकल जायगा तो भी संशोधन कायम रह सकता है लेकिन यदि माननीय सदस्य मेरिट्स पर यह तय करते हैं कि बोर्ड से यह अधिकार हटा लें तो जगन्नाथमल्ल जी का संशोधन मान लें। लेकिन यदि वे मानते हैं कि चुने हुये और नामजद सदस्यों को निकालने के अधिकार में अन्तर होना चाहिये तो सरकार के कथन के अनुसार कार्य होगा और यह संशोधन फल हो जायगा। लेकिन हमारे आगे बढ़ने में इसमें कोई बाधा नहीं है। सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि १० (१) का संशोधन परसों मंत्री जी ले जायें।

श्री बनारसी दास--अध्यक्ष महोदय, जब यह मान लिया गया है तो धारा १० (१) में आवश्यक परिवर्तन हो जायगा। इससे कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--हां तो यह जारी रहेगा। मैंने निर्णय दे दिया, अब इस पर कोई बहस नहीं होगी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस संशोधन के सम्बन्ध में एक बात पर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि आपने स्वयं कहा कि जब अगले दिन धारा ५ संशोधित रूप में उपस्थित की जाय तो धारा १०(१) का जो कांसीक्वेंशल रूप हो उसके उपस्थित करने की कृपा करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो संशोधन है उसमें न तो सोशलिस्ट पार्टी का सवाल है और न कांग्रेस पार्टी का सवाल है बल्कि सवाल यह है कि बोर्ड का प्रेसीडेंट किस रूप में हटाया जाय? अगर गवर्नमेन्ट नामिनेट करती है तो वह फिर नामिनेट करेगी या उसका हटाने वाला कोई ऐसा नियम हो, कोई ऐसी बात पैदा हो कि जिससे गवर्नमेन्ट हटाने के लिये बाध्य हो तो मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेन्ट इस बात पर निश्चित राय रखती है कि बोर्ड का प्रेसीडेंट नामिनेटेड हो तो मैं निवेदन करूंगा कि .....

श्री अध्यक्ष--आप अपना भाषण, मैं समझता हूं कि दूसरे रोज जारी रखेंगे क्योंकि अब पांच बजने वाले हैं।

## सूर्य-ग्रहण के उपलक्ष्य में छुट्टी की सूचना

श्री अध्यक्ष--मैं सदन को इतनी सूचना देना चाहता हूं कि कल सदन सूर्य-ग्रहण के कारण नहीं बैठेगा और परसों बैठेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे बृहस्पतिवार, १५ दिसम्बर, १९५५ के ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१३ दिसम्बर, १९५५।

## नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१ पर)

No. A-2142/XV—3124-1947

FROM

DR. I. R. KHAN, PH. D. (LONDON),
JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT,
UNITED PROVINCES,

TO

THE DIRECTOR OF EDUCATION,
UNITED PROVINCES,

*Dated Lucknow, November* 7, 1949.

SIR,

EDUCATION (A) DEPTT.

WITH reference to the correspondence resting with your letter no. F(2)/6733/IV—62, dated October 5, 1948, I am directed to convey the sanction of the Governor to the enclosed scheme granting concessions to the political sufferers and their dependents who took part in the struggle for national freedom of 1942.

2. I am to point out that while the scholarships mentioned in paragraphs 13 and 14 of the scheme will be available for all the children and dependents covered by the scheme, the scholarships mentioned in paragraphs 15, 16, 17, 18 and 19 of the scheme will be awarded on merit. I am also to say that expenditure in this connexion should, in no case, exceed the allotment made in the budget.

3. I am to request that the scheme may be circulated among all educational institutions and given publicity through the Press by issuing a Press Note giving in brief the gist of the scheme and inviting applications from deserving candidates in accordance with the prescribed procedure.

4. The charge will be debited to the head "37—Education—E—General Charges—(c) Scholarships—Men—

In Arts Colleges—For others.

In Secondary Schools—For others.

In Primary Schools—For others."

Yours faithfully,
I. R. KHAN,
*Joint Secretary.*

अमर उजाला

No. A-2142(i)/XV—3124-1947

COPY forwarded for information to—

(1) All Commissioners of Divisions, United Provinces.

(2) All District Officers, United Provinces.

(3) All Regional Deputy Directors of Education, United Provinces.

(4) All Regional Inspectresses of Girls Schools, United Provinces.

(5) All District Inspectors of Schools, United Provinces.

(6) All Assistant Inspectresses of Girls Schools, United Provinces.

(7) All Chairmen, Municipal Boards, United Provinces.

(8) All Presidents, District Boards, United Provinces.

(9) All Presidents, District Congress Committees, United Provinces.

(10) All Presidents, City Congress Committees, United Provinces.

By order,
I. R. KHAN,
*Joint Secretary to Government,*
*United Provinces.*

---

FINANCE DEPARTMENT

No. A-2142(ii)/XV—3124-1947

COPY forwarded for information to the Accountant General, United Provinces, Allahabad.

By order,
N. C. RAY,
*Assistant Secretary to Government,*
*United Provinces*

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## Scheme for the grant of stipends and educational facilities to the political sufferers and their dependents

*Preamble*

SEVERAL representations have been made to Government by persons who took part in the struggle for national freedom, for educational facilities for themselves and for their dependents in the shape of stipends, freeships and aid. Government considers that their cases stand on par with the soldiers of Great War of 1914—18 and the World War of 1939—45 as the personnel of struggle for national freedom has equally suffered and in many cases has lost his/her property and means of livelihood and deserves educational facilities on lines similar to those as have been provided for the soldiers of war in the scheme promulgated with Government Resolution no. 1860/XV—121-A-1917 and GO. no. A-770/XV—197-1941, dated December 9, 1918, and March 18, 1942, respectively. Accordingly the following scheme has been prepared to provide educational facilities to the political sufferers for themselves and for their dependents who have their homes or domicile in the United Provinces. The restriction of residence or domicile in the United Provinces shall not apply to *bona fide* Hindu and Sikh refugees from Pakistan.

2. The term "Political Sufferers" should be taken to mean only those persons who have undergone continuous imprisonment or detention of not less than six months or who lost part or whole of their property, jobs or means of livelihood as a result of their participation in the "Struggle" and to *their dependents*. It also covers the children and dependents of such sufferers who have died in prison or detention, who have been killed in action, were awarded capital punishment, sentenced to transportation for life or have become permanently incapacitated for example, due to firing, *lathi* charge, etc. on account of their taking part in the struggle for national freedom launched by the Congress. The sufferers of 1921, 1931 and 1942 movement are also regarded as soldiers of national freedom and will be entitled to all the benefits of this Scheme.

3. The term "Dependent" will mean to include legitimate children, step-children, a deceased son's children, fatherless nephew or neice and orphan brothers and sisters only.

*Scheme*

4. The scheme will apply only to the persons concerned and their dependents who have their homes or domicile in the United Provinces or are *bona fide* Hindu and Sikh refugees from Pakistan and will be applicable so long as they continue their studies satisfactorily.

5. All dependents of the political sufferers as defined in foregoing paragraph 2 who have died in prison or detention, killed in action, were awarded capitlal punishment, sentenced to transportation for life or have become permanently incapacitated due, for example, to firing, *lathi* charge, etc. shall be entitled to the benefits irrespective of their

merit and shall be given preference over the dependents of other political sufferers. In other words the aforesaid kind of dependents will be allowed benefit first and if any benefit remains vacant after providing for them, it will be allowed to other political sufferers or their dependents in accordance with the conditions laid down hereinafter.

6. Every person claiming the benefits under this Scheme for himself/herself or for his/her dependents shall apply every year by July 20 to the Collector of the district on the prescribed Form 'A' attached to this Scheme with full particulars duly filled in. The Collector shall thereupon verify from the President, District or City Congress Committee, as the case may be, that the applicant is eligible for the stipend and shall thereupon grant a certificate in Form 'B' attached to this Scheme by August 15.

7. The applicant shall be required to produce the certificate in Form 'B' granted under the preceding paragraph along with the application in Form 'A' to the head of the educational institution to which he/she seeks his/her or his/her dependent's admission or in which admission has already been made, by August 31. The head of the institution shall forward all cases with necessary recommendations on each to the authority mentioned in paragraphs 24 and 25 for decision by September 10.

8. The Collector, the head of institution and the authorities mentioned in paragraphs 24 and 25 will in no case entertain any application after July 20, August 31 and September 10 respectively (except during the current year)

9. The stipends and concessions shall positively be awarded by the authorities mentioned in paragraphs 23, 24 and 25 by September 30.

10. The prescribed application Form 'A' will be available from the officers of the District Inspector of Schools and the Assistant Inspectress of Girls Schools of each district.

11. Copies of this Scheme shall be sent to the Collectors of the districts, the District Inspector of Schools, the Assistant Inspectresses of Girls' Schools, the heads of all institutions, —Schools, Colleges and Universities, Presidents of District and City Congress Committees, President of the Provincial Congress Committee, Regional Deputy Directors of Education, Regional Inspectresses of Girls' Schools and Principals, Training Colleges for taking actions as required under this scheme.

12. (*a*) All political sufferers and their dependents mentioned in paragraph 4 shall be given special consideration in the matter of admissions and award of freeships and half freeships by all recognised Primary Basic Schools and Junior High Schools. All losses to schools on account of such freeships and half freeships will be supplemented by the Education Department. These fee-concessions will be over and above the limits prescribed in paragraphs 113, 114, 115 and 116 of the Educational Code.

(*b*) All political sufferers and their dependents shall be entitled to free seats in the hostels attached to the recognised Schools, Colleges or Universities and the loss of fee on this account shall be *supplemented* by the Education Department.

13. Thirty stipends of the value of Rs.5 per mensem each and tenable for a maximum period of *five years* (July to June)will be awarded annually to scholars reading in classes *I to V* of a recognised *Primary Basic Schools.*

14. Thirty stipends of the value of Rs.8 per mensem each and tenable for a maximum period of 3 *years* (July—June) will be awarded annually to scholars reading in classes VI to VIII to the recognised *Junior High Schools* (and in middle sections or middle schools so long as the old nomenclature continues).

15. Twenty stipends of the value of Rs.12 per mensem each and tenable for a maximum period of 2 *years* (July—June) will be awarded annually to scholars who pass in all subjects and secure an aggregate mark of not less than 45 per cent. in the examination of Class VIII of the recognised Junior High Schools (or middle sections or middle schools so long as these continue and are studying in *classes IX and X* of a recognised *High Schools or Higher Technical Schools* (or the old High Schools and Intermediate Colleges or Intermediate Sections of Degree Colleges).

16. Thirty stipends of a value of Rs.20 per mensem each and tenable for a maximum period of 2 years (July—June) will be awarded annually to scholars who pass in all subjects and secure an aggregate mark of not less than 45 per cent. in the examination of class X of a recognized Higher Secondary School (or High School Examination so long as it continues) and are studying in classes XI and XII of a recognized Higher Secondary School (or Intermediate College of Degree Colleges).

17. Twenty-five stipends of the value of Rs.30 per mensem each will be awarded annually in order of merit to scholars who pass the public examination at the end of the Higher Secondary School or Higher Technical School course or the Intermediate Examination or an equivalent examination recognised by the Board of High School and Intermediate Education, United Provinces or the Director of Education, United Provinces and will be tenable for a maximum period of 2 *years* (July—June) in the B. A., B. Com., B. Ag., B. Sc., or equivalent classes of the recognised Universities or Technical Institutes or Technical Universities in the United Provinces teaching Arts, Science or Technical subjects.

18. Fifteen stipends of a value of Rs.35 per mensem each will be awarded annually in order of merit to scholars who pass the examination of B. A., B. Com, B. Sc., B. Ag. or equivalent classes of the recognised Universities or Technical Institutes or Technical Universities in the province teaching Arts, Science or technical subjects and will be tenable for a maximum period of 2 years (July : June) in Post-Degree classes of the above mentioned institutions.

19. Three stipends of a value of Rs.50 per mensem each will be awarded annually in order of merit to scholars who pass the examination of M. A., M. Com., M. Sc. or equivalent classes of the recognized Universities or Technical Institutions or Technical Universities in the province teaching Ats, Science or technical subjects and will be tenable for a maximum period of 2 years (July—June) to such students who carry on research in any special subject in the abovementioned institutions.

20. Deserving students will also be allowed non-recurring grant for books, stationery and payment of examination fees, etc. at the rate of Rs.100, Rs.50, Rs.40, Rs.30, Rs.20, Rs.10 and Rs.5 in a year in Post-graduate, degree and classes XI and XII, IX, and X, VI to VIII, IV and V and I to III, respectively. This assistance will be admissible on consideration of pecuniary circumstances and poverty.

21. Holders of stipends under this Scheme will not be debarred from holding any other scholarship orstipend tenable in the class in which they may be reading and awarded to them under any other scheme or by any other authority.

22. A concession or stipend under this Scheme may be withdrawan, if in the opinion of the awarding authority the progress of the scholar is inadequate or his/her conduct unsatisfactory.

23. Admissions and fee concessions admissible under this Scheme will be made and granted by the heads of the institutions under the rules in force for admission and grant of fee concession for their institutions.

24. Stipends under paragraphs 13, 14 and 15 and non-recurring grant under paragraph 20* up to class XII of this Scheme will be awarded by the District Inspector of Schools or the Regional Inspectresses of Girls Schools or the Principals, Training Colleges, United Provinces as the case may be on the recommendation of the head of the institution. Monthly stipend bills in respect of the above awards will also be countersigned by the aforesaid officers. Copies of all the awards will be forwarded to the Director of Education, United Provinces for watching the expenditure and maintaining the progressive expenditure under each paragraph.

25. Stipends under paragraphs 16 to 19 and non-recurring grant under paragraph 20* above up to class XII will be awarded by the Director of Education, United Provinces and monthly stipends bills relating thereto will be countersigned by him or by an officer authorised by him.

26. The District Inspector of Schools, the Regional Inspectresses of Girls' Schools and the Principals of Training Colleges shall submit every year by September 30, paragraphwise list of all stipend holders and grantees of aid under paragraph 20* who may be continuing their studies in the next class, to the Director of Education, United Provinces for maintaining and watching the expenditure every year.

---

* *Vide* G. O. no, A-182/XV—3124-47, dated January 11, 1950.

## Application Form 'A'

1. Name of Scholar.
2. Name of father.
3. Guardian's particulars :
   (*a*) Name.
   (*b*) Occupation.
   (*c*) Relationship to scholar.
4. Particulars of the Soldier of National Freedom.
   (*a*) Name.
   (*b*) Occupation.
   (*c*) Relationship to scholar.
   (*d*) Monthly income from all sources.
5. Nature of loss suffered with date and year as defined in paragraph 2 of the scheme.
6. Institution and class last attended.
7. (*a*) Institution and class in which reading.
   (*b*) Whether or not resides in hostel.
8. Name and result of last examination with the year of passing it.
9. Age of Scholar.
10. Roll number of High School, Inter. or Degree Examination with the year of passing the same or percentage of marks obtained in class VIII or as the case may be.
11. Residence with full address.
12. Length of residence in the United Provinces. If refugee mention the fact and quote registered number.
13. Special circumstances, if any.
14. Concession desired :
    (*a*) Stipends.
    (*b*) Cost of books.

*Signature of Guardian.* *Signature of Scholar.*

*Date of application.*

Recommendation by the Head of the institution in which studying.

विधान सभा

## Certificate Form 'B'

*Certificate and recommendation of the District Magisrate*

CERTIFIED that (Scholar) aged is the legitimate child/step-child/deceased son's child/fatherless nephew or niece/orphan brother/orphan sister of ( ) who is/was political sufferer as he underwent continuous imprisonment/detention for years/months in the year 19 to 19 or died in prison or detention/killed in action/sentenced to capital punishment/transported for life/in 19 or became incapacitated due, for example, to firing, *lathi* charge, etc. has suffered loss of property for participation in the Struggle for National Freedom launched by the Congress.

Certified also that the said scholar is a resident of district in the United Provinces since birth/domiciled in the United Provinces. Registered Refugee from

The said scholar may be/may not be—

(*a*) Awarded stipend.

(*b*) Non-recurring assistance for books, stationery, etc.

*Dated*

*Signature of District Magistrate and seal of Court.*

उत्तर प्रदेश संवाद

## नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०४ पर)

### संलग्न ब्योरा

| क्रम-संख्या | पद का नाम | | नियुक्तियों की संख्या | संख्या अनुसूचित जाति | संख्या पिछड़ी जाति |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | उच्च श्रेणी सहायक | ... | १ | ० | ० |
| २ | निरीक्षक | ... | ४ | ० | ० |
| ३ | अनुवादक | ... | २ | ० | ० |
| ४ | पत्रकार | ... | ५ | १ | ० |
| ५ | न्यूज़ आफ़िसर | ... | १ | ० | ० |
| ६ | लघु श्रेणी सहायक | ... | १६ | ० | ० |
| ७ | बन्डल लिफ्टर | ... | १ | ० | ० |
| ८ | कैमरा असिस्टेंट | ... | १ | ० | ० |
| ९ | असिस्टेंट फ़ोटोग्राफर | ... | १ | ० | ० |
| १० | सिनेमा आपरेटर | ... | १ | ० | ० |
| ११ | आर्टिस्ट | ... | १ | ० | ० |
| १२ | सम्पादक | ... | १ | ० | ० |
| १३ | ज़िला सूचना अधिकारी | ... | ११ | ० | ० |
| १४ | अतिरिक्त रेडियो इंजीनियर | ... | १ | ० | ० |
| १५ | सहायक रेडियो इंजीनियर | ... | ५ | ० | ० |
| १६ | टेक्नीशियन | ... | १ | ० | ० |
| १७ | रेडियो इन्सपेक्टर | ... | ६ | ० | ० |
| १८ | निम्न श्रेणी कर्मचारी | ... | १२ | १ | २ |

पी० एस० यू० पी०--२० एल० ए०--१९५६--७९६

उत्तर प्रदेश विधान सभा